अध्याय IV

सहकारी बैंकिंग में गतिविधियां

4.1 सन् 1904 में कृषि ऋण सहकारी समितियां अधिनियम लागू होने के समय से सहकारी बैंकिंग अनेक चरणों से गुजरी है। सहकारी बैंकों, जोकि मुख्यतः सरकारी नीति के परिणामस्वरूप विकसित हुए थे, का स्वतंत्रता पश्चात की अवधि में तेजी से विस्तार हुआ उन्होंने सरकार की विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब उनके कारोबार को नया रूप दिया जा रहा है ताकि बढ़ते हुए स्पर्धात्मक वित्तीय परिवेश में उनकी भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो।

4.2 भारत में सहकारी बैंकिंग का ढांचा जटिल है। इसमें शहरी सहकारी बैंक और ग्रामीण सहकारी ऋण संस्थाएं शामिल हैं। शहरी सहकारी वित्तीय संस्थाओं में एक ही प्रकार होता है, अर्थात् प्राथमिक सहकारी बैंक जिन्हें सामान्यतः शहरी सहकारी बैंक कहा जाता है। तथापि, उन्हें उनके अनुसूचित दर्जे, परिचालनगत पहुंच और प्रयोजन/ग्राहकों के आधार पर श्रेणीबद्ध किया जाता है। 31 मार्च 2006 को 1,853 शहरी सहकारी बैंकों में से 55 को अनुसूचित बैंक का दर्जा प्राप्त था जबकि इनमें से 24 अनेक राज्यों में कार्यरत थे। अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों में से 117 महिला शहरी सहकारी बैंक और अन्य 6 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति शहरी सहकारी बैंक थे। इनके अलावा, 79 वेतनभोगी शहरी सहकारी बैंक भी थे। 1,853 बैंकों में से 914 शहरी सहकारी बैंक यूनिट बैंक थे, अर्थात एक ही मुख्य कार्यालय/शाखा वाले थे।

4.3 ऐतिहासिक रूप से, ग्रामीण सहकारी ऋण संस्थाओं ने कृषि और ग्रामीण क्षेत्र में संस्थागत ऋण उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये ऋण संस्थाएं उन दो महत्वपूर्ण रूपों का विशेष रूप से हिस्सा रही हैं, जिन्हें सामान्यतः अल्पावधि सहकारी ऋण ढांचा और दीर्घावधि सहकारी ऋण ढांचा कहा जाता है। अल्पावधि सहकारी ऋण ढांचा, जिसमें ग्राम स्तर पर प्राथमिक कृषि ऋण समितियां, मध्यवर्ती स्तर पर जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक और शीर्ष स्तर पर राज्य सहकारी बैंक शामिल होते हैं, प्राथमिक तौर पर किसानों तथा ग्रामीण कारीगरों को अल्पावधि फसल ऋण और अन्य कार्यशील पूंजी ऋण उपलब्ध कराता है। दीर्घावधि सहकारी ऋण ढांचे में राज्य स्तर पर राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक तथा जिले या प्रखंड स्तर पर प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक या राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की शाखाएं होती हैं और यह ढांचा कृषि, ग्रामीण उद्योग और हाल ही की अवधि में आवास में निवेश करने के लिए विशिष्ट रूप से मध्यावधि और दीर्घावधि ऋण प्रदान करता है। तथापि, ग्रामीण सहकारी बैंकों का यह ढांचा देश के सभी राज्यों में एक जैसा नहीं है। कुछ राज्यों में एकल स्वरूप हैं जहां राज्यस्तरीय बैंक अपनी स्वयं की शाखाओं के माध्यम से कार्य करते हैं, जहां राज्य स्तरीय बैंक अपनी स्वयं की शाखाओं के माध्यम से कार्य करते हैं, जबकि अन्य राज्यों में मिश्रित स्वरूप होता है, जिसमें एकल और केंद्रीय प्रकार की दोनों प्रणालियां शामिल होती हैं (चार्ट IV.1) ।

4.4 सहकारी क्षेत्र की वित्तीय स्थिति सुधारने के प्राथमिक उद्देश्य से हाल के वर्षों में अनेक उपाय किए गए। वार्षिक नीति 2004-05 की मध्यावधि समीक्षा में घोषित किए अनुसार, 'शहरी सहकारी बैंकों के लिए विजन डाक्यूमेंट' का मसौदा बनाकर मार्च 2005 में पब्लिक डोमेन पर रखा गया। शहरी सहकारी बैंकों पर भारतीय रिज़र्व बैंक और राज्य सरकार का दोहरा नियंत्रण होता है, अतः उक्त विजन डाक्यूमेंट में शहरी सहकारी बैंकों पर नियंत्रण और पर्यवेक्षण के प्रति अधिक अभिमुखीकरण पर ध्यान दिया गया है ताकि इस क्षेत्र का विकास सरलता से हो सके। ग्रामीण सहकारी ऋण संस्थाओं को मज़बूत करने के लिए भारत सरकार ने ग्रामीण सहकारी बैंकिंग संस्थाओं के पुनरुज्जीवन की दृष्टि से एक व्यवहार्य और कार्यान्वयन योग्य कार्य योजना तैयार करने के लिए अगस्त 2004 में ग्रामीण सहकारी ऋण संस्थाओं के पुनरुज्जीवन पर कार्य दल (अध्यक्षः प्रो.ए. वैद्यनाथन) का गठन किया। बहुस्तरीय विनियामक स्वरूप, परिचालनों का विषम स्वरूप और सहकारी बैंकों को आनेवाली प्रोत्साहन संबंधी कठिनाइयों के मद्देनजर नीति निर्माण की परामर्शी प्रक्रिया ने वित्तीय क्षेत्र के इस महत्वपूर्ण घटक में सुधार की सिफ़ारिश की। उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार के समग्र लक्ष्य के साथ उनके कारोबार के स्वरूप को ध्यान में रखकर विवेकपूर्ण विनियामक मानक तैयार किए गए।

4.5 अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक तुलनात्मक रूप से तेज गति से बढ़ने के बावजूद शहरी सहकारी बैंकों (अनुसूचित और अनुसूचित न किए गए) का कारोबार कुल मिलाकर मध्यम गति से ही बढ़ा। शहरी सहकारी बैंकों की आस्तियों की गुणवत्ता में भी भारी सुधार हुआ। 2005-06 के दौरान अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों का लाभ बढ़ा।

चार्ट IV.1: सहकारी ऋण संस्थाओं की संरचना

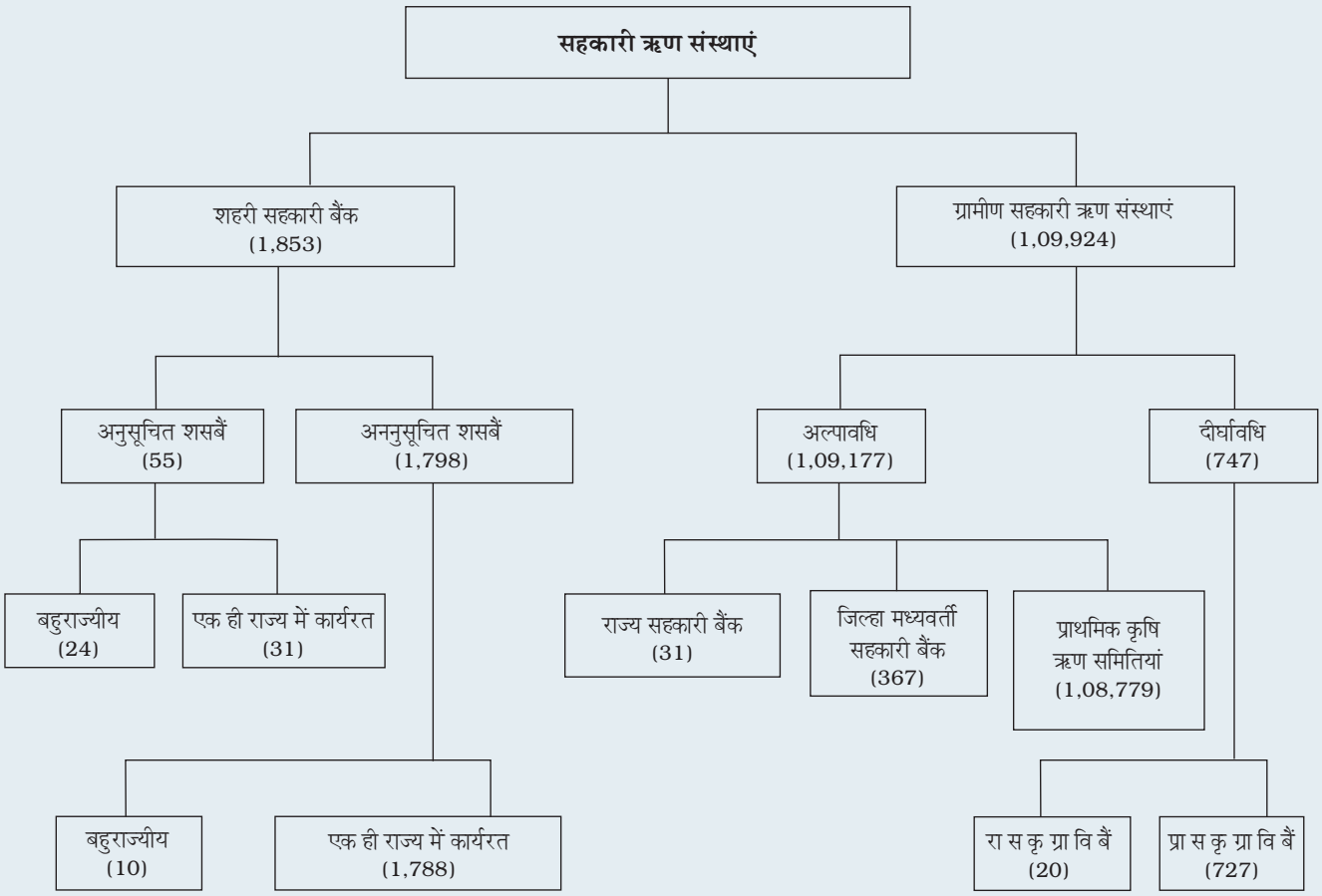

रा स कृ ग्रा वि बैं : राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक।

प्रा स कृ ग्रा वि बैं : प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक।

टिप्पणी : कोष्ठकों के आंकडे शहरी सहकारी बैंकों की मार्च 2006 के अंत की संस्थाओं की संख्या और ग्रामीण सहकारी ऋण संस्थाओं की मार्च 2005 के अंत की संख्या दर्शाते हैं।

4.6 अद्यतन उपलब्ध डाटा के अनुसार वर्ष 2004-05 के दौरान ग्रामीण सहकारी श्रेत्र के सभी घटक उनके कारोबारीय परिचालन में विस्तार कर सके (परिशिष्ट सारणी IV.1)। तथापि, उनके वित्तीय निष्पादन में संस्थावार भिन्नता थी। अल्पावधि ढांचे के अंतर्गत, जहां आय में तेज गिरावट के कारण राज्य मध्यवर्ती बैंकों को 2003-04 के दौरान हुए लाभ से कम लाभ हुआ, वहीं आय में उल्लेखनीय वृद्धि के कारण उसी अवधि में जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को अधिक लाभ हुआ । प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को समग्रतः हानि होते रही, हालांकि उनमें से अधिकांश को लाभ हुआ था। दीर्घावधि ढांचे के मामले में, व्यय, विशेष रूप से प्रावधानों और आकस्मिक व्ययों, के कारण 2004-05 के दौरान राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक को हानि हुई, वहीं उसी अवधि में प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों को लाभ हुआ, जिसका कारण ब्याजेतर आय में तेज वृद्धि और व्यय नियंत्रण था। ग्रामीण सहकारी बैंकों के अल्पावधि ढांचे की आस्ति गुणवत्ता में सुधार हुआ जबकि दीर्घावधि संस्थाओं के संबंध में खराब हो गया। प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का वसूली निष्पादन सुधरने से उनका अतिदेय अनुपात कम हो गया।

4.7 स्व-सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम और व्यष्टि वित्त संस्थाओं को वित्तीय सहायता देने में वृद्धि होना जारी रहा। पुनर्वित्त, परियोजना कार्यान्वयन की निगरानी, विभिन्न सरकारी योजनाओं का कार्यान्वयन और ग्रामीण सहकारी बैंकिंग संस्थाओं के क्षमता निर्माण में नाबार्ड ने केंद्रीय भूमिका निभाना जारी रखा।

4.8 जमा बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआइसीजीसी) की जमा बीमा योजना के अंतर्गत सहकारी बैंक बड़ी संख्या में कवर हुए हैं। 31 मार्च 2006 की स्थिति के अनुसार बीमाकृत सहकारी बैंकों की संख्या 2,245 थी। सहकारी बैंकों से प्राप्त बीमा प्रीमियम की राशि पिछले वर्ष के 143 करोड़ रुपए की तुलना में 190 करोड़ रुपए थी। वर्ष के दौरान डीआइसीजीसी द्वारा 43 सहकारी बैंकों के दावों का निपटान किया गया जिसकी कुल राशि 565 करोड़ रुपए थी, जो प्राप्त प्रीमियम से बहुत अधिक थी। उक्त योजना की शुरुआत के समय से 147 सहकारी बैंकों के लिए उपलब्ध कराई गई और दावों के भुगतान की डीआइसीजीसी को प्राप्त कुल राशि 1,760 करोड़ रुपए थी और वसूलियों आदि से प्राप्त चुकौती की राशि 28 करोड़ रुपए (2005-06 वर्ष के दौरान के 8 करोड़ रुपए सहित) थी। विवेकसम्मत मानक कड़े करने के साथ ही जमा बीमा ने भी इस क्षेत्र की स्थिरता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

4.9 यह अध्याय छह भागों में बांटा गया है। भाग 2 में नीतिगत उपाय, शहरी सहकारी बैंकों के परिचालन तथा निष्पादन का ब्यौरा दिया गया है, वहीं भाग 3 में ग्रामीण सहकारी बैंकों संबंधी जानकारी दी गई है। व्यष्टि ऋण के क्षेत्र की गतिविधियां भाग 4 में दी गई हैं। भाग 5 ग्रामीण सहकारी क्षेत्र में नाबार्ड की भूमिका का उल्लेख करता है। भाग 6 में ग्रामीण सहकारी बैंकिंग क्षेत्र के पुनर्जीवन हेतु उठाए गए कदमों की रूपरेखा दी गई है।

2. शहरी सहकारी बैंक

4.10 शहरी सहकारी बैंक उनके मिश्रित ग्राहकों और ऋण सुपुर्दगी माध्यमों की दृष्टि से विशिष्ट हैं। शहरी सहकारी बैंकों के गठन के पीछे उद्देश्य यह होता है कि मध्य वर्ग/निम्न मध्य वर्ग के लोगों के बीच बचत और स्व-सहायता को प्रोत्साहन दिया जाए और शहरी/अर्ध शहरी केंद्रों में कम साधन संपन्न लोगों को ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जाए। उनकी स्थानीय भावना और पहचान के साथ ही सामान्य लोगों तक उनकी पहुंच के कारण अधिक वित्तीय समावेशन प्राप्ति के लिए शहरी सहकारी बैंक महत्वपूर्ण हैं। तथापि, हाल के समय में शहरी सहकारी बैंकों ने अनेक प्रकार की, विशेषतः उनकी वित्तीय स्थिति के संबंध में कमज़ोरी दिखलाई है। वित्तीय प्रणाली में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानते हुए रिज़र्व बैंक का यह प्रयास है कि उनके स्वस्थ विकास को प्रोत्साहन दिया जाए। तथापि, इस क्षेत्र के विषम स्वरूप के मद्देनजर, विनियमन की अलग पद्धति आवश्यक है। अतः हाल के वर्षों में, रिज़र्व बैंक ने छोटे और कमज़ोर शहरी सहकारी बैंकों को विनियामक सहायता देने के साथ-साथ पर्यवेक्षण भी मज़बूत किया है (बॉक्स IV.1)।

बॉक्स IV.1 : शहरी सहकारी बैंकों के विनियमन और पर्यवेक्षण की दो स्तरीय रूपरेखा

शहरी सहकारी बैंकों की समस्याएं सुलझाने की दृष्टि से रिज़र्व बैंक ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए विजन डाक्यूमेंट का मसौदा तैयार करके मार्च 2005 में पब्लिक डोमेन पर रखा था। विजन डाक्यूमेंट में इस बात को रेखांकित किया गया है कि शहरी सहकारी बैंक क्षेत्र में भौगोलिक विस्तार, मात्रा, बल, व्यावसायिकता के स्तर और कार्य निष्पादन के संदर्भ में भारी विषमता है।

शहरी सहकारी बैंकों के भिन्नतायुक्त स्वरूप के बावजूद, उन पर एकरूप विनियमन लागू थे क्योंकि एक क्षेत्र में एकरूप विनियामक मानक लागू किया जाना सैद्धांतिक रूप से यह उचित समझा गया था। तथापि, सभी शहरी सहकारी बैंकों पर एक रूपीय विनियामकता लागू करने से अनेक बैंकों, विशेषतः छोटे बैंकों, जिनका कार्य प्रासंगिक रूप से सहकारिता के सिद्धांतों के अधिक करीब था, पर विपरीत प्रभाव पड़ा। पर्यवेक्षण के संदर्भ में भी, सभी शहरी सहकारी बैंकों के प्रति पर्यवेक्षण के एक ही नजरिए से प्रत्यक्ष निरीक्षण के संदर्भ में बैंकों की लागत बढ़ गई और छोटे बैंकों द्वारा भी विवरणियां प्रस्तुत की गई। इससे पर्यवेक्षी संसाधनों का अकुशल आबंटन हुआ जिससे बड़े और जोखिमपूर्ण बैंकों पर पर्यवेक्षी ध्यान कम दिया जा सका।

इस क्षेत्र की संस्थाओं के विषम स्वरूप और एक अलग दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए विजन डाक्यूमेंट में यह लक्ष्य रखा गया है कि शहरी सहकारी बैंकों संबंधी विनियामक और पर्यवेक्षी ढांचा तर्कसंगत बनाया जाए ताकि छोटे शहरी सहकारी बैंक सुदृढ़ बन सकें। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, एक ही जिले तक सीमित परिचालन और 100 करोड़ रुपए से कम जमाराशि वाले छोटे शहरी सहकारी बैंकों को अनुमति दी गई कि वे 180 दिवसीय दोष मानदंड अपनाएं, न कि 90 दिवसीय मानदंड जोकि बड़े शहरी सहकारी और सभी वाणिज्यिक बैंकों पर लागू हैं। इसका प्रयोजन यह है कि छोटे शहरी सहकारी बैंकों को राहत के उपाय उपलब्ध कराना क्योंकि उनसे कम प्रावधानीकरण अपेक्षित है जो बदले में उच्च लाभ में परिवर्तित होता है जोकि इन बैंकों का पूंजी आधार मज़बूत करने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। इसके अलावा, सरकारी प्रतिभूतियों में किए गए निवेश से जुड़ी हुई बाजार जोखिम को देखते हुए छोटे शहरी सहकारी बैंकों को सरकारी प्रतिभूतियों में सांविधिक चलनिधि अनुपात बनाए रखने (एनडीटीएल के 15 प्रतिशत तक) से छूट दी गई है जिसकी सीमा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में ब्याज अर्जक जमाराशियों में रखी गई निधि तक होगी। इन बैंकों पर 'मानक अग्रिमों' के 0.40 प्रतिशत के प्रावधानीकरण मानक भी लागू नहीं किए गए हैं जोकि हाल ही में बड़े शहरी सहकारी बैंकों तक विस्तारित किए गए हैं।

पर्यवेक्षण को तर्कसंगत बनाने के एक भाग के रूप में जहां बड़े शहरी सहकारी बैंकों को संमिश्र अप्रत्यक्ष पर्यवेक्षण सूचना प्रणाली के तहत रखा गया जिसमें आठ विवेकसम्मत पर्यवेक्षी विवरणियों का सेट होता है, वहीं उन छोटे बैंकों के लिए पांच विवरणियों वाली सरलीकृत सूचना प्रणाली लागू की गई है जिनकी जमाराशियां 50 करोड़ रुपए से 100 करोड़ रुपए तक हैं और जिनकी शाखाएं किसी एक ही जिले तक सीमित हैं। उक्त सरलीकृत अप्रत्यक्ष पर्यवेक्षण सूचना प्रणाली का विस्तार निकट भविष्य में 50 करोड़ रुपए से कम जमाराशि वाले बैंकों तक किया जाएगा।

नीतिगत गतिविधियां

4.11 वर्ष के दौरान नीतिगत पहलों में अन्य बातों के साथ-साथ रिज़र्व बैंक, राज्य सरकारों और शहरी सहकारी बैंकिंग क्षेत्र के प्रतिनिधियों के बीच चर्चा की प्रक्रिया के माध्यम से दृष्टिकोणों की अधिक अभिमुखता स्थापित करके दुहरे नियंत्रण से संबंधित मामलों पर ध्यान देने का लक्ष्य रखा गया है। इस संदर्भ में,अब तक आठ राज्यों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर लिए गए हैं। समेकन के माध्यम से उक्त क्षेत्र को मज़बूत बनाने की दृष्टि से कमज़ोर शहरी सहकारी बैंकों के पुनर्गठन या विलय और समामेलन के माध्यम से उनके अबाधित समापन पर और शहरी सहकारी बैंकों की पूंजी बढ़ाने के वातावरण की निर्मिती, जिससे अन्य बातों के साथ-साथ मज़बूत शहरी सहकारी बैंकों की कमज़ोर बैंकों को अधिगृहीत करने की क्षमता बढ़ेगी, पर ध्यान दिया जा रहा है।

4.12 विवेक सम्मत मानदंडों को भी नई स्थिति के अनुरूप सुधारा गया। शहरी सहकारी बैंकों के लिए कारोबार के नए अवसर भी खोले गए ताकि उनका शुल्क आधार और अन्य ब्याजेतर आय बढ़ सके। वाणिज्य बैंकों के लिए ऋण सुपुर्दगी, ग्राहक सेवा, वित्तीय समावेशन और वित्तीय बाजारों में सुधार संबंधी किए गए अनेक महत्वपूर्ण उपाय आवश्यक अनुकूलन के साथ शहरी सहकारी बैंकों पर भी लागू किए गए।

ढांचागत पहलें

विजन डाक्यूमेंट/मध्यावधि ढांचा

4.13 रिज़र्व बैंक द्वारा शहरी सहकारी बैंकों के पुनरुज्जीवन के लिए उठाया गया सबसे महत्वपूर्ण कदम उनके लिए विजन डाक्यूमेंट तैयार करना है जिससे अन्य बातों के साथ-साथ शहरी सहकारी बैंकों के मामलों पर ध्यान देने की राज्य-विशेष संबंधी कार्य नीति पर विचार किया गया है। इस कार्य नीति के एक भाग के रूप में रिज़र्व बैंक और संबंधित राज्य सरकारों के बीच समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए जा रहे हैं। अक्तूबर 2006 तक आठ राज्यों, यथा आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तरांचल, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और गोआ के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। समझौता ज्ञापन में शहरी सहकारी बैंकों के लिए राज्य स्तरीय कार्य बल बनाने का विचार दिया गया है जो अन्य बातों के साथ-साथ राज्यों में व्यवहार्य और अव्यवहार्य शहरी सहकारी बैंकों की पहचान करने और व्यवहार्य शहरी सहकारी बैंकों की समयबद्ध पुनरुज्जीवन योजना और अन्यों के लिए बाधारहित समापन का सुझाव देगा (बॉक्स IV.2)।

ऋणात्मक निवल संपत्तिवाले अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों का पुनर्गठन

4.14 अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों के महत्व को ध्यान में रखकर रिज़र्व बैंक ने ऋणात्मक निवल संपत्तिवाले अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों के पुनर्जीवन और पुनर्वास के लिए संबंधित राज्य सरकारों के साथ सलाह की प्रक्रिया प्रारंभ की। शहरी सहकारी बैंकों की पुनर्वास योजना की रूपरेखा और निगरानी योग्य लक्ष्य बनाकर उनके पुनर्गठन के समयबद्ध कार्यक्रम पर बल दिया गया। वर्ष के दौरान 10 अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों को पुनर्गठन के अंतर्गत रखा गया। जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करने और प्रणालीगत समस्याओं से बचने के लिए रिज़र्व बैंक उनकी प्रगति पर सूक्ष्म दृष्टि रखता है।

विलयन/समामेलन पर दिशानिदेश

4.15 शहरी सहकारी बैंकों को मज़बूत करने के प्रयासों के एक भाग के रूप में रिज़र्व बैंक ने फरवरी 2005 में विलयन/समामेलन पर दिशानिदेश जारी किए। उक्त दिशा निदेशों में मुख्य रूप से जमाकर्ताओं की हित रक्षा और विलय की गई संस्था की वित्तीय सुदृढ़ता पर बल दिया गया है। शहरी सहकारी बैंक क्षेत्र में विलयन की प्रकिया को सरल बनाने की दृष्टि से अधिग्रहण करने वाले शहरी सहकारी बैंकों को सामान्य अनुमति दी गई कि वे अधिगृहीत शहरी सहकारी बैंकों से प्राप्त हानियों की ऋण चुकौती विलय के वर्ष सहित पांच वर्षों में कर सकते हैं (बॉक्स IV.3)।

पूंजी बढ़ाने के नए विकल्प

4.16 शेयर पूंजी और धारित अर्जित राशि शहरी सहकारी बैंकों की स्वाधिकृत निधि होती है।सदस्य शेयर पूंजी को न्यूनतम निर्धारित अवधि के बाद वापस ले सकते हैं। अत:, शहरी सहकारी बैंकों के शेयरों में इक्विटी के सभी गुण नहीं होते हैं। सहकारी बैंकों को प्रीमियम पर शेयर जारी करने की अनुमति भी नहीं होती है। पूंजी जुटाने के विभिन्न विकल्पों की जांच करने के लिए एक कार्य दल का गठन किया गया था (अध्यक्ष: श्री एन.एस. विश्वनाथन) जिसमें रिज़र्व बैंक, राज्य सरकार और शहरी सहकारी बैंकों के प्रतिनिधि रखे गए जिसका काम था इस मामले की जांच करना तथा शहरी सहकारी बैंकों की पूंजी बढ़ाने के लिए वैकल्पिक साधनों की पहचान करना। उक्त समूह ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है जो प्रति सूचना के लिए पब्लिक डोमेन पर रखी जाएगी।

विनियामक पहलें

4.17 शहरी सहकारी बैंकिंग क्षेत्र को मज़बूत करने की दृष्टि से रिज़र्व बैंक ने विवेकसम्मत मानदंड, ऋण सुपुर्दगी, ग्राहक सेवा में सुधार, वित्तीय समावेशन आदि के संबंध में वर्ष के दौरान नीतिगत अनेक उपाय किए।

बॉक्स IV.2 : शहरी सहकारी बैंकों के लिए कार्यबल

शहरी सहकारी बैंकों का विनियमन और पर्यवेक्षण रिज़र्व बैंक और सहकारी समितियों के राज्य पंजीयक, सहकारी समितियों के मध्यवर्ती पंजीयक और बहुराज्यीय सहकारी बैंकों के मामले में केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। सहकारी समितियों के राज्य पंजीयक गठन, पंजीयन, प्रबंध, समामेलन पुनर्गठन या समापन के संबंध में राज्यों के संबंधित सहकारी समितियां अधिनियम के अधिकारों का प्रयोग करते हैं। अनेक राज्यों में कार्यरत शहरी सहकारी बैंकों के संबंध में ऐसे अधिकार सहकारी समितियों के मध्यवर्ती पंजीयक द्वारा प्रयोग में लाए जाते हैं। नए बैंक/नई शाखाएं शुरू करने के लिए लाइसेंस जारी करना जैसे बैंकिंग से संबंधित कार्यों, ब्याज दर, ऋण नीति, निवेश, विवेकसम्मत जोखिम मानदंडों से संबंधित मामलों संबंधी विनियामक कार्य और पर्यवेक्षण रिज़र्व बैंक द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (जैसाकि सहकारी समितियों पर लागू) के प्रावधानों के तहत किया जाता है। विजन डाक्यूमेंट के मसौदे में इस दोहरे नियंत्रण को विनियामक उपायों को अपेक्षित गति तथा शीघ्रता से कार्यान्वित करने में आनेवाली कठिनाइयों का मुख्य कारण और प्रभावी पर्यवेक्षण के मार्ग की बाधा के रूप में पहचाना गया है। शहरी सहकारी बैंकों के विनियमन और पर्यवेक्षण की जिम्मेदार एजेंसियों के बीच समन्वय बढ़ाने की दृष्टि से विजन डाक्यूमेंट में यह प्रस्ताव दिया गया था कि रिज़र्व बैंक, राज्य सरकार और/या सहकारी समितियों के मध्यवर्ती पंजीयक के बीच समझौता ज्ञापन के रूप में कार्यशील व्यवस्था बनाई जाए। इसके अलावा, यह महसूस किया गया था कि शहरी सहकारी बैंकों संबंधी कार्य की नीति राज्य विशेष के अनुसार होनी चाहिए जिसमें संबंधित राज्य सरकार, रिज़र्व बैंक और उस राज्य में कार्यरत शहरी सहकारी बैंक शामिल होंगे। संबंधित राज्यों के साथ किए गए समझौता ज्ञापन में दिए गए आश्वासन के अनुसार, रिज़र्व बैंक शहरी सहकारी बेंकों पर राज्यस्तरीय कार्य दल का गठन करता है जिसमें अध्यक्ष के रूप में संबंधित राज्य के रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय निदेशक, सह अध्यक्ष के रूप में सहकारी समितियों के पंजीयक, शहरी बैंक विभाग के केंद्रीय कार्यालय से एक अधिकारी और सहकारी शहरी बैंकों का राष्ट्रीय महासंघ तथा शहरी सहकारी बैंकों के राज्य संघ से एक -एक अधिकारी शामिल होते हैं।

सहकारी शहरी बैंकों के लिए राज्यस्तरीय कार्यबल उसकी कार्य की शर्तों के अनुसार राज्य में संभावित व्यवहार्य और अव्यवहार्य कमजोर बैंकों की पहचान करता है और व्यवहार्य बैंकों के लिए पुनरुज्जीवन योजना तथा अव्यवहार्य बैंकों के समापन के अविघटनकारी मार्ग का सुझाव देता है। समापन के अविघटनकारी मार्ग में सक्षम बैंकों के साथ विलयन/समामेलन, समिति में रूपांतरण या अंतिम उपाय के रूप में परिसमापन शामिल हो सकता है। सहकारी शहरी बैंकों के लिए राज्यस्तरीय कार्य दल राज्य में बेलाइसेंसी बैंकों की वित्तीय स्थिति और मज़बूती के मूल्यांकन के आधार पर उनके भावी स्वरूप पर भी सिफ़ारिशें करता है। 8 राज्यों, नामतः आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तरांचल छत्तीसगढ़ और गोआ के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं और सहकारी शहरी बैंकों के राज्य स्तरीय कार्य दल का गठन किया गया है। इनमें से प्रत्येक राज्य एक कार्यबल गठित किया गया है। कुल शहरी सहकारी बैंकों में से 45.5 प्रतिशत बैंक और कुल शहरी सहकारी बैंकों की लगभग 22.0 प्रतिशत जमाराशि इन्हीं राज्यों में है।

2005-06 में चार शहरी सहकारी बैंकों के लिए कार्यबल ने 250 से अधिक शहरी सहकारी बैंकों की जांच की और इन बैंकों के लिए भावी कार्रवाई की सिफारिश की। शहरी सहकारी बैंकों के लिए कार्यबल की सिफारिशों के आधार पर की गई पर्यवेक्षी कार्रवाई में अन्य शहरी सहकारी बैंकों के साथ विलय करके बैंकों का निपटान, अव्यवहार्य शहरी सहकारी बैंकों के लाइसेंस रद्द करना और बेलाइसेंसी सहकारी समितियों के लाइसेंस के आवेदन अस्वीकार करना शामिल है। रिज़र्व बैंक और राज्य सरकार के बीच हस्ताक्षर किए गए समझौता ज्ञापन में राज्य की सहकारी समितियों के निबंधक और रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय निदेशक के बीच अन्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने का प्रावधान है।इस समझौता ज्ञापन में वे व्यापक उपाय दिए गए हैं जो शहरी सहकारी बैंकों के लिए कार्यबल के अंतर्गत रखे गए प्रत्येक संभावित व्यवहार्य/अव्यवहार्य शहरी सहकारी बैंकों के लिए कार्यबल की सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए हस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा किए जाने हैं (सारणी 1)।

परामर्शी मंच अर्थात सहकारी शहरी बैंकों के लिए राज्यस्तरीय कार्य बल के हितकारी प्रभाव स्वरूप उन राज्यों, अर्थात आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, में कमजोर और रुग्ण बैंकों की संख्या घट गई जिन्होंने समझौता ज्ञापन पर शुरु में ही हस्तक्षर किए थे तथा जहां सहकारी शहरी बैंकों के लिए राज्यस्तरीय कार्य बल का गठन किया गया था। इन राज्यों में क्षेणी I के शहरी सहकारी बैंकों की संख्या बढ़ गई, वहीं क्षेणी III और IV के कमजोर और रुग्ण शहरी सहकारी बैंकों की संख्या घट गई (सारणी IV.1देखें)।

सारणी 1 : सहकारी शहरी बैंकों के लिए राज्यस्तरीय कार्य बल (टाफकब) के कार्य

मद/राज्य	आंध्र प्रदेश	गुजरात	कर्नाटक	मध्य प्रदेश	उत्तरांचल	राजस्थान	छत्तीसगढ़	गोवा
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. शहरी सहकारी बैंकों की संख्या	124	296	297	61	7	39	14	6
2. समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने का दिनांक	27 जून 2005	28 जून 2005	5 सितंबर 2005	6, जनवरी 6, 2006	7 जून 2006	6 सितंबर 2006	11 अक्तूबर 2006	17 अक्तूबर 2006
3. टाफकब के गठन का दिनांक	27 जून 2005	28 जून 2005	5 सितंबर 2005	6, जनवरी 6, 2006	7 जून 2006	6 सितंबर 2006	11 अक्तूबर 2006	17 अक्तूबर 2006
4. बैठकों की संख्या	13	11	11	5	1	शून्य	शून्य	शून्य
5. समीक्षा करके पुनरूज्जीवन योजना की सिफ़ारिश किए गए कमज़ोर बैंकों की संख्या	29	60	78	6	1	शून्य	शून्य	शून्य
6. निदेशाधीन बैंकों की संख्या जिनकी समीक्षा करके कार्य योजना दी गई	11	16	15	4	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
7. बेलाइसेंसो बैंकों के समीक्षा किए गए लाइसेंस - आवेदनों की संख्या	7	13	8	7	1	शून्य	शून्य	शून्य
8. समापन के अविघटनकारी मार्ग (विलय/समामेलन) से समापन	3	5	1	1	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

बॉक्स IV.3 : शहरी सहकारी बैंकों का विलय/समामेलन

शहरी सहकारी बैंकों के विलयन पर दिशानिदेश जारी करने के बाद रिज़र्व बैंक को 28 कमज़ोर बैंकों के संबंध में विलय के 36 प्रस्ताव प्राप्त हुए। रिज़र्व बैंक ने 17 मामलों में अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी किए। इनमें से 14 मामलों में सहकारी समितियों के पंजीयक द्वारा जारी सांविधिक आदेशों के बाद विलय प्रभावी हुआ। विलय के इन प्रस्तावों को रिज़र्व बैंक ने अस्वीकृत किया जबकि अन्य विचाराधीन है।

विलय और समामेलन की प्रक्रिया बहुत विस्तृत और गहन होती है। अधिग्रहणकर्ता बैंक द्वारा विलय के प्रस्ताव सहकारी समितियों के पंजीयक/सहकारी समितियों के मध्यवर्ती पंजीयक को प्रस्तुत करना होता है तथा साथ-साथ उसकी प्रतिलिपि कुछ विशिष्ट जानकारी के साथ रिज़र्व बैंक को भेजनी होती है। रिज़र्व बैंक प्रस्ताव की जांच करता है और उसकी संवीक्षा तथा सिफ़ारिश के लिए उसे विशेषज्ञ दल के समक्ष रखता है। मूल्यांकन के बाद यदि प्रस्ताव उपयुक्त पाया जाता है जहां विलय की जानेवाली संस्था न्यूनतम विवेकसम्मत और विनियामक मानदंड पूरी करती है तो रिज़र्व बैंक विलय प्रस्ताव के लिए सहकारी समितियों के पंजीयक/सहकारी समितियों के मध्यवर्ती पंजीयक और संबंधित बैंक के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी करता है। सहकारी समितियों के पंजीयक/सहकारी समितियों के मध्यवर्ती पंजीयक सहकारी समितियां अधिनियम, जिसके तहत संबंधित बैंक का पंजीयन हुआ है, के प्रावधानों के अनुसरण में लक्ष्य शहरी सहकारी बैंक के समामेलन का आदेश जारी करते हैं।

सारणी 1 : अधिग्रहणकर्ता बैंकों का राज्यवार ब्योरा

क्र.	पंजीयन राज्य	अधिग्रहणकर्ता बैंकों की संख्या	प्रस्तुत प्रस्तावों की संख्या	जारी अनापत्ति प्रमाणपत्रों की संख्या
	1	2	3	4
1.	अनेक राज्यों में कार्यरत	4	15	11
2.	महाराष्ट्र	11	12	3
3.	गुजरात	5	5	2
4.	आंध्र प्रदेश	1	1	1
5.	कर्नाटक	1	1	–
6.	राजस्थान	1	1	–
7.	पंजाब	1	1	–
	कुल (1 to 7)	**24**	**36**	**17**

अधिकांश लक्ष्यित बैंक हानि उठाने वाले शहरी सहकारी बैंक थे। कुछ ऐसे मामलों में विलय की अनुमति दी गई थी जहां अधिगृहीत बैंक हानि नहीं उठा रहे थे किंतु यह माना गया था कि वे लंबी अवधि तक अपने बल पर सक्षम नहीं रह पाएंगे। विलय के प्रस्ताव प्राप्त 28 लक्ष्यित बैंकों में से 10 बैंक महाराष्ट्र में, आठ गुजरात में, चार आंध्र प्रदेश में और एक-एक कर्नाटक, गोआ, राजस्थान, दिल्ली और पंजाब में पंजीकृत था। एक विलयित बैंक बहुराज्यीय सहकारी समितियां अधिनियम, 2002 के तहत पंजीकृत था।

विलय के 17 प्रस्तावों, जिनके लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी किए गए थे, छह बैंक महाराष्ट्र में, छह गुजरात में, तीन आंध्र प्रदेश में और एक गोआ में पंजीकृत था। एक बैंक अनेक राज्यों में कार्यरत सहकारी समितियां अधिनियम, 2002 के अंतर्गत पंजीकृत था। अनेक राज्यों में कार्यरत सहकारी समितियां अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत शहरी सहकारी बैंक सबसे आगे थे क्योंकि अधिग्रहणकर्ताओं ने 10 बैंकों का अधिग्रहण किया था। अधिग्रहणकर्ता और अधिगृहीत बैंकों का ब्योरा सारणी 1 और 2 में दिया गया है।

सारणी 2 : अधिगृहीत बैंकों का राज्यवार ब्योरा

क्र.	पंजीयन राज्य	अधिगृहीत बैंकों की संख्या	प्राप्त प्रस्तावों की संख्या	जारी अनापत्ति प्रमाणपत्रों की संख्या	विलयित बैंकों की संख्या
	1	2	3	4	5
1.	अनेक राज्यों में कार्यरत	1	1	1	1
2.	महाराष्ट्र	10	15	6	5
3.	गुजरात	8	9	6	4
4.	आंध्र प्रदेश	4	4	3	3
5.	कर्नाटक	1	3	–	–
6.	गोवा	1	1	1	1
7.	राजस्थान	1	1	–	–
8.	दिल्ली	1	1	–	–
9.	पंजाब	1	1	–	–
	कुल (1 to 9)	**28**	**36**	**17**	**14**

I. विवेकसम्मत मानदंड

4.18 अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप, किसी अग्रिम को अनर्जक की श्रेणी में रखने की 180 दिवसीय चूक अवधि 31 मार्च 2004 से कम करके 90 दिन की गई। तथापि, उक्त मानदंड पूरे करने में शहरी सहकारी बैंकों की कुछ श्रेणियों की कठिनाइयों को देखते हुए उक्त मानदंड शिथिल और आस्थगित किए गए। तदनुसार, 100 करोड रुपए से कम जमाराशि और एक ही जिले में शाखाओं (यूनिट बैंकों अर्थात् एक ही शाखा/मुख्य कार्यालय वाले बैंक सहित) वाले बैंकों को अनुमति दी गई कि वे उनके ऋण खातों को चूक के मौजूदा 90 दिवसीय मानदंड के बदले 180 दिवसीय मानदंड के आधार पर एनपीए के रूप में श्रेणीबद्ध करें। उक्त छूट मार्च 2007 की समाप्ति तक जारी रहेगी ताकि संबंधित शहरी सहकारी बैंक चूक का 90 दिवसीय मानदंड अपनाने के लिए पर्याप्त प्रावधान की व्यवस्था कर सकें और उनकी क्रियाविधि को सुदृढ़ कर सकें।

4.19 ऋण वृद्धि की हाल की प्रवृत्ति को ध्यान में लेते हुए अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के मामले में कृषि ओर लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के सीधे अग्रिमों जो कि मानक आस्तियां होती हैं, से अन्य 'मानक अग्रिमों' के लिए अपेक्षित सामान्य प्रावधानीकरण नवंबर 2005 में 0.25 प्रतिशत से बढ़ाकर 0.40 प्रतिशत किया गया। एक ही जिले तक सीमित शाखाओं और 100 करोड़ रुपए तथा उससे अधिक की जमाराशि वाले तथा एक से अधिक जिलों में कार्यरत शहरी सहकारी बैंकों के लिए अधिक प्रावधानीकरण की अपेक्षा लागू की गई। अन्य शहरी सहकारी बैंकों अर्थात् एक ही जिले में शाखाएं तथा 100 करोड़ रुपए से कम जमाराशि वाले बैंकों के लिए मानक आस्तियों से संबंधित 0.25 प्रतिशत के प्रावधानीकरण की अपेक्षा लागू रहेगी। ऐसे प्रावधान अब तक की भांति पूंजी पर्याप्तता प्रयोजनार्थ अनुमत सीमा तक टियर II पूंजी में शामिल करने हेतु पात्र होंगे।

4.20 अप्रैल 2001 में शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया था कि वे बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 24 के अंतर्गत सरकारी और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों के रूप में उनकी आस्तियों का निश्चित प्रतिशत बनाए रखें। सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करने में आने वाली कठिनाइयों को देखते हुए 100 करोड़ रुपए से कम जमाराशि आधार और एक ही जिले में शाखाओं वाले शहरी सहकारी बैंकों को सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से संबंधित जोखिम से बचाने की दृष्टि से उन्हें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में ब्याज अर्जक जमाराशियों में रखी गई उनकी निधि की सीमा तक 25 प्रतिशत के निर्धारित सांविधिक चलनिधि अनुपात से आंशिक (15 प्रतिशत से अनधिक) छूट दी गई। यह छूट 31 मार्च 2008 तक लागू रहेगी।

4.21 प्राप्त अभिवेदनों के आधार पर शहरी सहकारी बैंकों को 31 मार्च 2006 तक एक बार पुनः अपनी प्रतिभूतियां 'एच टी एम' श्रेणी में अंतरित करने की अनुमति दी गई। जहां प्रतिभूति का बाजार मूल्य अंकित मूल्य से कम था वहां अपेक्षित प्रावधान उक्त दो मूल्यों के बीच का अंतर होगा जिसका शोधन अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों को पहले सूचित किए अनुसार पांच वर्षों की अवधि के बदले अवधिपूर्णता की शेष अवधि के दौरान किया जा सकेगा। ये संशोधित मूल्यांकन मानदंड 2005-06 के दौरान एचटीएम को किए गए अंतरणों के संबंध में ही लागू होंगे।

4.22 रिज़र्व बैंक ने नवंबर 1996 में शहरी सहकारी बैंकों को 5,000 रुपए तक की सीमा के भीतर तृतीय पक्ष के चेकों के क्रय / बट्टे / आहरण की ज़मानत पर प्रतिभू के बिना बेज़मानती अग्रिम देने की अनुमति दी थी। उक्त सीमा बहुत पहले निर्धारित की गई थी, अतः शहरी सहकारी बैंकों के महासंघ और सहकारी शहरी बैंकों के महासंघ ने उक्त सीमा वृद्धि हेतु अभिवेदन दिया था ताकि शहरी सहकारी बैंकों की प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति बढ़ सके। शहरी सहकारी बैंकों और उनके महासंघों के प्रतिवेदनों पर विचार करने के पश्चात यह निर्णय लिया गया कि बिना प्रतिभू वाले बेज़मानती अग्रिमों की सीमा 5,000 रुपए से बढ़ाकर 50,000 रुपए की जाए जो आपात मामलों में 30 दिन की अस्थायी अवधि के लिए तृतीय पक्ष के चेकों की ज़मानत पर क्रय / बट्टे / आहरण के संबंध में सारबद्ध स्वरूप में होगी। तथापि, बेज़मानती अग्रिमों की अन्य श्रेणियों अर्थात् 30 दिन तक की अवधि के निर्बंध बिल, मुल्तानी हुंडियों के लिए बिना प्रतिभू वाले अस्थायी बेज़मानती अग्रिमों पर सीमा 5,000 रुपए तक ही बनी रहेगी। किसी बैंक द्वारा अपने सदस्यों को स्वीकृत किए गए कुल बेज़मानती अग्रिम 33.3 प्रतिशत की वर्तमान सीमा के बदले उसकी मांग और मीयादी देयताओं के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होने चाहिए। तथापि, बैंकों को क्रमिक रूप से कम सीमा अर्थात् 31 मार्च 2006 तक मांग और मीयादी देयताओं के 20 प्रतिशत तक और 31 मार्च 2007 तक मांग और मीयादी देयताओं के 15 प्रतिशत तक पहुंचने की अनुमति दी गई थी।

4.23 वर्ष 2006-07 के वार्षिक नीति वक्तव्य में की गई घोषणा के अनुवर्तन में और अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के साथ अधिक विनियामक तालमेल बनाने की दृष्टि से शेयरों / डिबेंचरों की प्राथमिक / संपार्श्विक ज़मानत पर दिए गए ऋणों का जोखिम भार 100 प्रतिशत से बढ़ाकर 125 प्रतिशत किया गया और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं की इक्विटी / यू टी आइ के यूनिटों में निवेश के बाबत 102.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 127.5 प्रतिशत कर दिया गया।

4.24 जुलाई 2005 में, रिज़र्व बैंक ने वाणिज्यिक भूमि-भवनों संबंधी जोखिम पर जोखिम भार 100 प्रतिशत से बढ़ाकर 125 प्रतिशत कर दिया। इस संवेदनशील क्षेत्र में बढ़ती हुई जोखिम को ध्यान में रखते हुए जोखिम भार को और भी बढ़ाकर 150 प्रतिशत कर दिया गया।

4.25 राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत अग्रिमों और निवेशों के संबंध में आय निर्धारण और आस्ति वर्गीकरण अपेक्षाओं जो कि पहले राज्य सरकार की गारंटी प्रयोग में लाने से संबद्ध थीं, समीक्षा की गई और 31 मार्च 2006 को समाप्त वर्ष से उक्त अपेक्षाओं की संबद्धता समाप्त करने का निर्णय लिया गया।

4.26 अप्रैल 2003 में शहरी सहकारी बैंकों पर अपने निदेशकों, उनके रिश्तेदारों और उन फर्मों / संस्थाओं / कंपनियों जहां उनका हित है, को ऋण तथा अग्रिम देने पर रोक लगाई गई। इसकी पुनरीक्षा करने पर अक्तूबर 2005 में निदेशकों से संबंधित निम्नलिखित श्रेणियों को उक्त निदेश से बाहर रखने का निर्णय लिया गयाः (क) शहरी सहकारी बैंकों के बोर्ड के स्टाफ निदेशकों को नियमित कर्मचारी संबद्ध ऋण; (ख) वेतनभोगी सहकारी बैंकों के बोर्ड के निदेशकों को वे सामान्य ऋण जो कि सदस्यों को मिलते हैं; और (ग) बहु-राज्यीय सहकारी बैंकों के प्रबंध निदेशकों को सामान्य कर्मचारी-संबद्ध ऋण।

4.27 अनधिकृत संग्रह से उत्पन्न देयताओं के भार से शहरी सहकारी बैंकों की रक्षा के लिए और भुगतान तथा बैंकिंग प्रणाली की अखंडता और मज़बूती के लिए जनवरी 2006 में उन पर 'खाते में भुगतान' चेक की राशि उसमें उल्लिखित आदाता के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के खाते में जमा करने पर रोक लगाई गई।

II. ऋण सुपुर्दगी

4.28 लघु उद्योग क्षेत्र की ओर ऋण प्रवाह को सुगम बनाने की दृष्टि से लघु उद्योग मंत्रालय और वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, सिडबी, आइबीए और चुनिंदा बैंकों के साथ सलाह करके लघु उद्योगों

के समूहों के क्षेत्र में स्थित सिडबी और बैंक शाखाओं के बीच रणनीतिक सहयोग की योजना तैयार की गई। इस योजना को 'लघु उद्यम वित्तीय केंद्र' का नाम दिया गया और शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया कि वे इस योजना का, लाभ सिडबी और उनके बीच आपसी सहमति से हुई शर्तों पर लें।

4.29 लघु उद्योग क्षेत्र में विनिर्माण हेतु आरक्षित सात मदों के संयंत्र और मशीनरी में निवेश की सीमा 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर मई 2005 में 5 करोड़ रुपए कर दी गई। शहरी सहकारी बैंकों द्वारा इन यूनिटों को दिए गए अग्रिम प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के उधार माने गए।

4.30 लघु और मध्यम उद्यमों को ऋण प्रवाह बढ़ाने की माननीय वित्त मंत्री घोषणा के एक भाग के रूप में लघु और मध्यम उद्यमों के ऋण पुनः निर्धारित करने पर कुछ दिशा निदेशाा जारी किए गए (कृपया अध्याय II भी देखें)। शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया कि वे सहकारी समितियां के संबंधित राज्य / मध्यवर्ती पंजीयक के अनुमोदन से ऋण पुनः निर्धारण योजना तैयार करें और ग्राहकों के बीच उक्त योजना का पर्याप्त प्रचार भी करें ताकि सभी लाभार्थियों को इसकी जानकारी मिल जाए।

III. ग्राहक सेवा सुधारना और कारोबार के अवसर बढ़ाना

4.31 शहरी सहकारी बैंकों की ग्राहक सेवा सुधारने तथा उनके कारोबार के अवसर बढ़ाने के लिए वर्ष के दौरान अनेक उपाय किए गए। रिज़र्व बैंक ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए राज्यों में कार्यरत और बहु-राज्यीय सहकारी समितियां अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत शहरी सहकारी बैंकों को कुछ शर्तों पर अपने ग्राहकों को एजेंट के रूप में पारस्परिक निधि का प्रस्ताव देने की अनुमति दी। रिज़र्व बैंक ने सुप्रबंधित अनुसूचित तथा अनुसूचित न किए गए शहरी सहकारी बैंकों को सहकारी शहरी बैंकों के लिए राज्य स्तरीय कार्य दल की सिफारिशों के आधार पर चुनिंदा ऑफ साइट / ऑन साइट एटीएम खोलने की अनुमति भी दी। परिसमानाधीन रखे गए शहरी सहकारी बैंकों के संबंध में दावे तैयार करने, प्रस्तुत करने और उनका निपटान करने तथा वितरण हेतु आस्तियों से वसूलियां अनेक एजेंसियों की संबद्धता और परिसमापन प्रक्रिया के अनेक चरणों के कारण विलंबित हुईं। एजेंसियों के बीच उचित समन्वय सुनिश्चित करने और दावों के निपटान तथा प्राप्य राशियों की वसूली शीघ्रता से करने की दृष्टि से आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में समितियों का गठन में किया गया जिसमें राज्य सरकार, रिज़र्व बैंक और शहरी सहकारी बैंकों के राज्य महासंघों के प्रतिनिधि शामिल किए गए जो दावों के निपटान प्राप्य राशियों की वसूली, डीआइसीजीसी तथा जमाकर्ताओं सहित अन्य लेनदारों को की गई चुकौती में हुई प्रगति की समीक्षा करेगी।

4.32 मार्च 2006 में शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया कि वे पेपर बैंड से लपेटे गए नोट पैकेट स्वीकार करने हेतु जनता में विश्वास निर्मिती के लिए अपनी शाखाओं के भुगतान काउंटरों में दोहरे प्रदर्शन वाली नोट गणना मशीन लगाएं।

4.33 वर्ष 2005-06 के वार्षिक नीति वक्तव्य की मध्यावधि समीक्षा में की गई घोषणा के अनुसरण में मुद्रा तिजोरी सुविधा का विस्तार उन अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों तक किया गया जो बहु-राज्यीय सहकारी समितियां अधिनियम, 2002 के अंतर्गत और उन राज्य अधिनियमों के तहत पंजीकृत हुए थे जहाँ राज्य सरकारों ने रिज़र्व बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करके विनियामक समन्वय का आश्वासन दिया था। ऐसे अनुसूचित बैंकों के लिए पात्रता मानदंड निर्धारित किए गए। मुख्य शर्तों के अनुसार बैंकों के पास निम्न बातें होनी चाहिए: (क) 200 करोड़ रुपए की न्यूनतम निवल संपत्ति; (ख)12 प्रतिशत जोखिम भारित आस्तियों के प्रति अनुपात ; (ग) निवल एन पी ए 10 प्रतिशत से कम; (घ) पिछले तीन अनुवर्ती वर्षों में कुल हानियां घटाकर लाभ अर्जित किया हो; (ङ) नकदी आरक्षित निधि अनुपात और सांविधिक चलनिधि अनुपात अपेक्षाओं का अनुपालन किया हो; और (च) न्यूनतम दो व्यावसायिकों सहित निर्वाचित प्रबंध बोर्ड होना चाहिए।

4.34 शहरी सहकारी बैंकों द्वारा अनिवासी सामान्य (एन आर ओ) जमाराशि स्वीकारना समाप्त किया गया और जुलाई 2005 में उन्हें सूचित किया गया कि वे बचत / चालू / आवर्ती / सावधि जमाराशियों के रूप में नई जमाराशियां स्वीकार न करें और अवधिपूर्णता पर सावधि / विद्यमान, आवर्ती जमाराशियों का नवींकरण न करें। तथापि, विद्यमान चालू / बचत जमाराशियों के मामले में शहरी सहकारी बैंकों के खातों को 6 माह की अवधि तक जारी रखने की अनुमति दी गई। उसके बाद, जमाराशि धारक को पूर्व सूचना देते हुए खाते बंद किए जाने चाहिए। यह भी निर्णय लिया गया था कि शहरी सहकारी बैंकों को नया स्वयंपूर्ण मुद्रा परिवर्तक लाइसेंस न दिया जाए।

4.35 शहरी सहकारी बैंकों को वर्ष के दौरान सकरारी प्रतिभूति बाजार में सहभागी होने के लिए प्रोत्साहित किया गया। 2005-06 के वार्षिक नीति वक्तव्य में किए गए प्रस्तावानुसार सरकारी प्रतिभूतियों में रेपो बाजार को और भी विस्तृत करने की दृष्टि से रिज़र्व बैंक ने अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों के साथ ही एसजीएल खाता धारक के साथ गिल्ट खाते वाले अनुसूचित न किए गए शहरी सहकारी बैंकों को रेपो बाजार में सहभागी होने की अनुमति दी। शहरी सहकारी बैंकों को गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के साथ हाजिर वायदा संविदाएं करने की अनुमति नहीं दी गई थी। तथापि, शहरी सहकारी बैंकों और सरकारी प्रतिभूतियों के अधिकृत प्राथमिक व्यापारियों के बीच रेपो लेनदेनों पर प्रतिबंध लागू नहीं थे।

IV. वित्तीय समावेशन

4.36 शहरी सहकारी बैंकों की पहुंच अब तक कवर न हुए जनता के व्यापक समूहों तक बढ़ाने की दृष्टि से सभी शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया कि वे 'शून्य' या अत्यंत कम शेष राशि और प्रभारों वाले आधार बैंकिंग 'नो फ्रिल्स' खाते उपलब्ध कराएं। उन्हें यह भी सूचित किया गया कि ऐसे खातों के लेनदेनों का स्वरूप और उनकी संख्या पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है किंतु इससे ग्राहक को समयपूर्व ही पारदर्शी तरीके से सूचना देनी होगी। शहरी सहकारी बैंकों को यह भी सूचित किया गया कि वे ऐसे 'नो फ्रिल्स' खातों और अन्य सुविधाओं की जानकारी उनकी वेबसाइट पर देकर उसमें सुविधाओं और प्रभारों की सूचना पारदर्शी तरीके से देते हुए उनका व्यापक प्रचार करें।

4.37 पहचान और पते के सबूत के दस्तावेजों में शिथिलता के बावजूद उनके लिए 'अपने ग्राहक को जानिए' मानदंड सरल करने का निर्णय लिया गया जो अपने सभी खातों में कुल शेष राशि 50,000 रुपए तक रखना चाहते हैं और जहाँ सभी खातों में जमा की गई कुल राशि एक वर्ष में एक लाख रुपए से अधिक होने की अपेक्षा न हो। बैंक खाते खोल सकते हैं बशर्ते न्यूनतम छह माह की पहचान और संतोषप्रद लेनदेन वाले अन्य खाते के धारक जो 'अपने ग्राहक को जानिए' मानदंड से जांचा गया हो, से पहचान प्राप्त हो। बैंक अपनी संतुष्टि के अनुसार ग्राहक की पहचान और पते की साक्ष्य के रूप में अन्य कोई दस्तावेज भी स्वीकार कर सकते हैं। ऐसे खाते खोलते समय ग्राहक को इस बात की स्पष्ट जानकारी दे दी जानी चाहिए कि यदि उनके सभी खातों में कभी भी शेष राशि 50,000 रुपए से बढ़ जाती है या उनके खाते में एक लाख रुपए से अधिक राशि जमा की जाती है तो उन्हें अपने ग्राहक को जानिए की प्रकिया पूरी होने तक आगे कोई भी लेनदेन करने की अनुमति नहीं होगी। इस दृष्टि से कि ग्राहक को कोई कठिनाई न हो, बैंक ग्राहक को अपने ग्राहक को जानिए की प्रक्रिया पूरी करने के लिए आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने की सूचना तभी दे दें जब शेष राशि 40,000 रुपए तक हो गई हो या एक वर्ष में जमा की गई कुल राशि 80,000 रुपए हो गई हो।

4.38 बैंकों को यह भी सूचित किया गया था कि वे बाढ़ से प्रभावित लोगों के संबंध में कम किए गए अपने ग्राहक को जानिए मानदंडों के साथ खाते खोलें ताकि वे सरकार से प्राप्त सहायता उन खातों में जमा कर सकें। तथापि, ऐसे खातों में अधिकतम शेष राशि सरकार से प्राप्त सहायता राशि या 50,000 रुपए, जो भी अधिक हो, से अधिक नहीं होनी चाहिए और उक्त सहायता राशि का प्रारंभिक जमा की गणना कुल जमा में नहीं की जानी चाहिए।

शहरी सहकारी बैंकों का पर्यवेक्षण

प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण

4.39 विद्यमान नीति के अनुसार, शहरी सहकारी बैंकों के निरीक्षण की आवधिकता उनके अनुसूचित दर्जे या उनकी क्षेणी द्वारा प्रतिबिंबित वित्तीय स्थिति पर निर्भर करती है। वर्तमान में, अनुसूचित और क्षेणी III और IV के अनुसूचित न किए गए शहरी सहकारी बैंकों का निरीक्षण वार्षिक आधार पर किया जाता है, वहीं अच्छे वित्तीय निष्पादन वाले अनुसूचित न किए गए शहरी सहकारी बैंकों (क्षेणी Iऔर II में दर्ज) का निरीक्षण दो वर्षों में एक बार किया जाता हैं। रिज़र्व बैंक ने 2005-06 के दौरान 1,096 शहरी सहकारी बैंकों का अर्थात् लगभग 60 प्रतिशत का सांविधिक निरीक्षण किया, जबकि पिछले वर्ष 848 शहरी सहकारी बैंकों का निरीक्षण किया था। निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर की जाने वाली अपेक्षित कार्रवाई के लिए क्षेणीबद्ध पर्यवेक्षी कार्रवाई की प्रणाली शुरु की गई जो निरीक्षण द्वारा शहरी सहकारी बैंकों को प्राप्त क्षेणी में दिखे अनुसार उनकी वित्तीय स्थिति के आधार पर पर्यवेक्षी हस्तक्षेप का स्वरूप निर्धारित करने के ढांचे के रूप में कार्य करेगी। समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए राज्यों में संबंधित शहरी सहकारी बैंकों के लिए कार्यबल द्वारा दी गई सूचना को शहरी सहकारी बैंकों के लिए पर्यवेक्षी कार्रवाई के स्वरूप निर्धारण में प्रयोग में लाई जाएगी।

कमज़ोर वित्तीय स्थिति वाले शहरी सहकारी बैंक

4.40 शहरी सहकारी बैंकों को वस्तुनिष्ठ मानदंडों के आधार पर उनकी वित्तीय स्थिति के अनुसार विभिन्न श्रेणियों में रखा जाता है। शहरी सहकारी बैंकों के श्रेणीकरण से रिज़र्व बैंक पर्यवेक्षण संसाधन बढ़ाने तथा कमज़ोर शहरी सहकारी बैंकों की स्थिति सुधारने के लिए उन पर ध्यान केंद्रित कर पाता है (बॉक्स IV.4)।

4.41 क्षेणी III और IV में श्रेणीबद्ध किए गए शहरी सहकारी बैंकों की संख्या मार्च 2006 के अंत में 677 थी (सारणी IV.1)। यद्यपि अधिकांश राज्यों में शहरी सहकारी बैंकों की श्रेणी में सुधार आया किंतु महाराष्ट्र में उनमें गिरावट आई।

निदेशाधीन शहरी सहकारी बैंक

4.42 गंभीर वित्तीय संकट झेल रहे बैंकों के संबंध में रिज़र्व बैंक बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश जारी करता है। निदेश जारी करने का आधार निरीक्षण के निष्कर्ष या आहरण हेतु बैंक पर भीड़ के टूट पड़ने जैसी आकस्मिक घटनाएं होती हैं। निदेशों में मुख्यत: जमाराशियां स्वीकारने/ आहरित करने पर प्रतिबंध, ऋण वृद्धि और बैंक को चलाने के लिए लगने वाले आवश्यक न्यूनतम स्थापना व्यय से अन्य व्यय करने पर प्रतिबंध या रोक लगाई जाती है। निदेश के अंतर्गत रखे गए बैंकों की निगरानी

बॉक्स IV.4 : शहरी सहकारी बैंकों के श्रेणीकरण के मानदंड

शहरी सहकारी बैंकों को कुछ प्रमुख विवेक सम्मत संकेतकों के आधार पर चार श्रेणियों, नामतः I,II,III और IV में निम्नवत् श्रेणीबद्ध किया जाता है :

(क) श्रेणी I : पर्यवेक्षण की चिंता न होने वाले सुदृढ़ बैंक।

(ख) श्रेणी II : निम्नलिखित में से कोई एक मानदंड पूरा करने वाले बैंक :

- निर्धारित मानदंडों से एक प्रतिशत कम जोखिम भारित आस्ति अनुपात से पूंजी अनुपात (जोखिम भारित आस्तियों के प्रति अनुपात); या
- 10 प्रतिशत या अधिक किंतु 15 प्रतिशत से कम एन पी ए; या
- समाप्त वित्तीय वर्ष में हुई निवल हानि; या
- पिछले वित्तीय वर्ष में नकदी आरक्षित निधि अनुपात/सांविधिक चलनिधि अनुपात बनाए रखने में चूक और/या चालू वर्ष के दौरान नकदी आरक्षित निधि अनुपात/सांविधिक चलनिधि अनुपात बनाए रखने में लगभग निरंतर चूक।

(ग) श्रेणी III : निम्नलिखित में से कोई भी दो शर्तें पूरी करने वाले बैंक :

- न्यूनतम निर्धारण के 75 प्रतिशत से कम किंतु अपेक्षित स्तर 50 प्रतिशत या अधिक जोखिम भारित आस्तियों के प्रति अनुपात ।
- 10 प्रतिशत या अधिक किंतु 15 प्रतिशत से कम निवल एन पी ए।
- पिछले तीन वर्षों में से दो वर्ष निवल हानि।

(घ) श्रेणी IV : निम्न शर्तें पूरी करने वाले बैंक :

- निर्धारित सीमा के 50 प्रतिशत से कम सीआरएआर; और
- पिछले वर्ष के 31 मार्च की 15 प्रतिशत या अधिक निवल एनपीए।

श्रेणी III और IV के बैंक पूर्ववर्ती मानदंडों के अनुसार 'कमज़ोर' और 'रुग्ण' श्रेणी के बैंक होते हैं।

की जाती है और प्रतिबंध हटाने का निर्णय बैंकों द्वारा उनकी कमियों को दूर करने की उनकी क्षमता पर निर्भर करता है। मार्च 2006 के अंत में कुल 75 शहरी सहकारी बैंक निदेशाधीन कार्यरत थे जिसमें 2005-06 के दौरान 12 शहरी सहकारी बैंक निदेशाधीन रखे गए थे (परिशिष्ट सारणी IV.2)।

परिसमापनाधीन शहरी सहकारी बैंक

4.43 वर्ष 2005-06 के दौरान 14 शहरी सहकारी बैंकों के लाइसेंस रद्द किए गए और उन्हें परिसमापनाधीन रखा गया जबकि 2004-05के दौरान ऐसे बैंकों की संख्या 39 थी। मार्च 2006 के अंत में परिसमापनाधीन शहरी सहकारी बैंकों की संख्या 226 थी (परिशिष्ट सारणी IV.3)।

अप्रत्यक्ष पर्यवेक्षण

4.44 प्रत्यक्ष निरीक्षण जो शहरी सहकारी बैंकों पर पर्यवेक्षण का मुख्य साधन बना हुआ है, को अप्रत्यक्ष पर्यवेक्षण के साथ समन्वित करके मज़बूत बनाया गया है। अप्रैल 2001 में अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों के लिए पर्यवेक्षी सूचना प्रणाली लागू की गई जिसमें 10 तिमाही अप्रत्यक्ष पर्यवेक्षण विवरणियां शामिल थीं। इन विवरणियों को अधिक तर्कसंगत बनाकर अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों के लिए मार्च 2004 को समाप्त तिमाही / वर्ष से एक वार्षिक और सात तिमाही अप्रत्यक्ष पर्यवेक्षण विवरणियों से प्रतिस्थापित किया गया। सूचना प्रणाली को अधिक तर्कसंगत बनाने के लिए बैंकों से प्राप्त जानकारी का दायरा बढ़ाने के साथ ही बैंकों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले डाटा की मात्रा घटाने का लक्ष्य रखा गया (बॉक्स IV.5)।

सारणी IV.1: शहरी सहकारी बैंकों की केंद्रवार श्रेणीकरण

केंद्र	श्रेणी I		श्रेणी II		श्रेणी III		श्रेणी IV		योग	
	2005	2006	2005	2006	2005	2006	2005	2006	2005	2006
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. अहमदाबाद	122	136	53	50	87	67	46	43	**308**	**296**
2. बंगलूर	80	90	58	76	118	85	40	46	**296**	**297**
3. भोपाल	20	16	17	28	27	17	13	14	**77**	**75**
4. भुवनेश्वर	1	1	5	6	4	3	2	4	**12**	**14**
5. चंडीगढ़	11	10	–	1	2	1	4	4	**17**	**16**
6. चेन्नई	44	54	25	32	54	39	10	7	**133**	**132**
7. गुवाहाटी	6	6	2	4	5	4	5	4	**18**	**18**
8. हैदराबाद	44	48	35	43	31	18	17	15	**127**	**124**
9. जयपुर	23	25	11	10	4	3	1	1	**39**	**39**
10. जम्मू	2	2	–	–	2	2	–	–	**4**	**4**
11. कोलकाता	29	30	12	11	4	3	6	7	**51**	**51**
12. लखनऊ	54	47	8	13	7	9	8	8	**77**	**77**
13. मुंबई	276	173	64	128	76	84	43	71	**459**	**456**
14. नागपुर	69	53	38	45	48	43	19	33	**174**	**174**
15. नई दिल्ली	12	12	1	1	1	–	1	2	**15**	**15**
16. पटना	2	3	2	1	1	1	–	–	**5**	**5**
17. तिरुवनंतपुरम	12	10	9	11	26	28	13	11	**60**	**60**
योग (1 to 17)	**807**	**716**	**340**	**460**	**497**	**407**	**228**	**270**	**1,872**	**1,853**

– : शून्य/नगण्य

बॉक्स IV.5 : शहरी सहकारी बैंकों के लिए अप्रत्यक्ष पर्यवेक्षण प्रणाली

अप्रत्यक्ष पर्यवेक्षण (ओएसएस) विवरणों की रूपरेखा ऐसी रखी गई है जिससे तुलनपत्र और तुलनपत्रेतर जोखिम, लाभप्रदता, आस्ति गुणवत्ता, अग्रिमों का क्षेत्र : घटक वार संकेंद्रण, जुड़े हुए या संबंधित उधार और पूंजी पर्याप्तता पर जानकारी सहित विवेक सम्मत ब्याज संबंधी जानकारी की प्राप्ति और अनुपालन की निगरानी की जा सके। अप्रत्यक्ष पर्यवेक्षण की सूचना प्रणाली का एक अन्य उद्देश्य यह भी है कि बैंक प्रबंध को पर्यवेक्षी प्राधिकारी के प्रति विवेक सम्मत दृष्टि से संवेदनशील बनाया जाए जिससे स्व-विनियमन में सहायता मिल सके। आठ अप्रत्यक्ष पर्यवेक्षण विवरणियों का सेट, जो मार्च 2004 को समाप्त तिमाही से अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों के लिए लागू किया गया था, 100 करोड़ रुपए से अधिक की जमाराशि वाले अनुसूचित न किए गए बैंकों पर जून 2004 से तथा 50 करोड़ रुपए से 100 करोड़ रुपए की जमाराशि वाले शहरी सहकारी बैंकों पर मार्च 2006 से लागू किए गए। 100 करोड़ रुपए से कम जमाराशि और एक ही जिले तक सीमित शाखा नेटवर्क वाले बैंकों के लिए पांच (चार तिमाही और एक वार्षिक) विवरणियों का सरल किया गया सेट लागू किया गया। इससे, अप्रत्यक्ष पर्यवेक्षण प्रणाली में लगभग 450 बैंक कवर हुए हैं जो कुल मिलाकर शहरी सहकारी बैंकों की जमाराशियों का 80 प्रतिशत हिस्सा है।

सफल अप्रत्यक्ष पर्यवेक्षण प्रणाली स्थापित करने के लिए कंप्यूटरीकृत वातावरण पूर्व अपेक्षा है। इस प्रकार, रिज़र्व बैंक की अप्रत्यक्ष पर्यवेक्षण की योजना में शहरी सहकारी बैंकों के लिए सॉफ्टवेयर विकसित करने पर ध्यान दिया गया है जिससे बैंक सभी विनियामक/पर्यवेक्षी विवरणियां स्वयं तैयार कर पाते हैं और रिज़र्व बैंक को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत करते हैं। विचार किए अनुसार, सॉफ्टवेयर विकसित करके जांचा गया और रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों में लगभग 450 शहरी सहकारी बैंकों में कार्यान्वित किया गया जिनकी जमाराशि मार्च 2006 को अर्थात् कार्य के निर्धारित सेट के अनुसार 50 करोड़ रुपए से अधिक थी। यह प्रणाली सूचना की व्याप्ति तथा बैंकों के लिए प्रबंधन सूचना प्रणाली के एक घटक के रूप में उपयोगिता बढ़ाकर और भी मजबूत की जा रही है।

रिज़र्व बैंक में रखे जा रहे डाटाबेस में निरीक्षण अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रत्यक्ष निरीक्षण डाटा और विवरणियों सहित शहरी सहकारी बैंकों द्वारा प्रस्तुत सभी विनियामक और पर्यवेक्षी विवरणियां शामिल होती हैं। शहरी सहकारी बैंकों द्वारा संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों को प्रस्तुत डाटा की सत्यता सुनिश्चित करने के लिए उसकी वैधता जांच करके उसे क्षेत्रीय सर्वर पर अपलोड किया जाता है। क्षेत्रीय कार्यालयों के डाटा को तब रिज़र्व बैंक के केंद्रीय कार्यालय सर्वर को संप्रेषित किया जाता है। इस प्रणाली से क्षेत्रीय कार्यालयों और केंद्रीय कार्यालय दोनों में विश्लेषण आसान हो जाता है (चार्ट 1 और 2)।

अप्रत्यक्ष पर्यवेक्षण प्रणाली की स्थापना से शहरी सहकारी बैंकों और रिज़र्व बैंक को अनेक लाभ हुए हैं।

शहरी सहकारी बैंकों को लाभ

- उक्त अप्लीकेशन एक ही डाटा की बार-बार प्रविष्टि की आवश्यकता स्पष्ट कर देता है क्योंकि पहले की अवधि में प्रविष्ट किया गया ऐसा डाटा बाद की तिमाहियों की विवरणियों में स्वतः आ जाता है।
- इस सुविधा से बैंक स्तर पर भी डाटा स्टोर होता है जिससे शहरी सहकारी बैंक अपनी वित्तीय स्थिति का विश्लेषण एम आइ एस की प्रगति का विश्लेषण कर सकते हैं।
- अप्रत्यक्ष पर्यवेक्षण के विवरण इस प्रकार बनाए गए हैं जिससे बैंक प्रबंध पर्यवेक्षण प्राधिकारी की चिंता के प्रति संवेदनशील बने।

रिज़र्व बैंक को लाभ

- सात अप्रत्यक्ष पर्यवेक्षण विवरणियों की प्रत्येक शृंखला की डाटा एंट्री का समय बहुत कम कर दिया गया है। समय संबंधी ऐसी कमी शहरी सहकारी बैंकों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली सभी 35 विवरणियों के लिए भी संभव हुई है। इस सॉफ्टवेयर से यह तुरंत पता चल जाता है कि किस बैंक ने विवरणियां प्रस्तुत नहीं की हैं या विलंब से की हैं।
- डाटा की अखंडता सुनिश्चित करने के लिए उक्त अप्लीकेशन में प्रत्येक विवरणी के अंतर्गत, अनेक विवरणियों के बीच और विभिन्न अवधियों के बीच प्रति जांच की सुविधा उपलब्ध है।
- रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा दिन में अपलोड किया गया डाटा (निरीक्षण डाटा सहित) रात में इन्फिनेट के माध्यम से केंद्रीय कार्यालय के सर्वर पर आ जाता है (चार्ट 2 देखें)।
- इस सॉफ्टवेयर में 140 से अधिक मानक रिपोर्टों के जनरेशन की सुविधा है जो रिज़र्व बैंक के सभी लोकेशनों में तुरंत उपलब्ध है।
- अप्रत्यक्ष पर्यवेक्षण के डाटाबेस में न केवल बैंकों द्वारा प्रस्तुत विनियामक और पर्यवेक्षी विवरणियाँ शामिल हैं, बल्कि दंड और दंडात्मक ब्याज रजिस्टर जैसे महत्वपूर्ण ब्याज रजिस्टरों के अलावा निरीक्षण अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत प्रत्यक्ष निरीक्षण डाटा भी शामिल है।
- इस साफ्टवेयर से पूर्व चेतावनी रिपोर्ट की मासिक और तिमाही अंतरालों पर उत्पत्ति हो सकती है जो शहरी सहकारी बैंकों की चलनिधि की स्थिति में प्रारंभिक दबाव , आस्ति-गुणवत्ता में गिरावट, लाभ/लाभप्रदता में गिरावट और साथ ही पूंजी पर्याप्तता में कोई भी प्रतिकूल परिवर्तन प्रकट करती है। इससे शहरी सहकारी बैंकों का अधिक दायित्वपूर्ण पर्यवेक्षण आसान हो जाता है जिससे प्रारंभिक दुर्बलता दिखाने वाले बैंकों के लिए पर्यवेक्षण संसाधनों का इष्टतम आबंटन करने में सहायता मिलती है।

भावी मार्ग

- बैंकों की जोखिम के आधार पर उनकी संवीक्षा / निरीक्षण की योजना बनाने और उसे प्राथमिकता देने के लिए पूर्व चेतावनी रिपोर्टों का उपयोग बढ़ाना जिससे आगे उनका पर्यवेक्षी दायित्व सुधारेगा।
- इस समय, 1,864 में से 452 शहरी सहकारी बैंकों को उक्त सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराया गया है। मध्य 2007 तक लगभग 1,000 शहरी सहकारी बैंकों को कवर करने की संभावना है।

चार्ट 1 : शहरी सहकारी बैंकों पर डाटा बेस - समन्वित

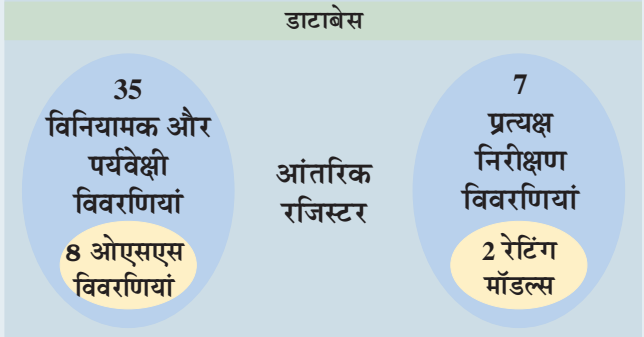

प्रत्यक्ष डाटा से तुलना संभव करता है और पर्यवेक्षण के केंद्र बिंदु की धारणा का समर्थन करता है।

चार्ट 2 : डाटा का ओएसएस प्रवाह

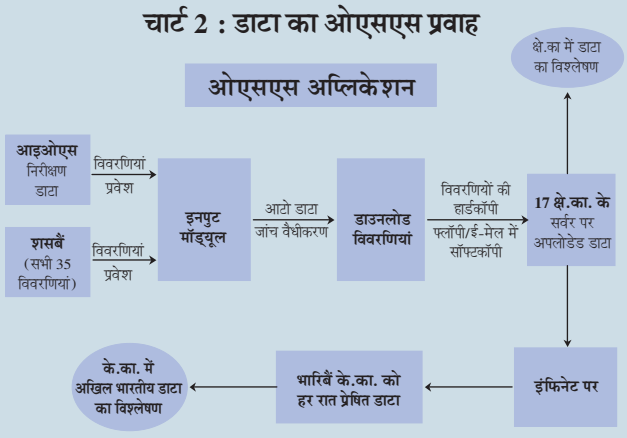

शहरी सहकारी बैंकों के परिचालन और वित्तीय निष्पादन

शहरी सहकारी बैंकों का स्वरूप

4.45 शहरी सहकारी बैंकिंग क्षेत्र में ऐसी अनेक संस्थाएं शामिल हैं जिनमें उनके आकार, कारोबार का स्वरूप और उनके भौगोलिक विस्तार की दृष्टि से भिन्नता है। अधिकांश शहरी सहकारी बैंकों की जमाराशि की मात्रा बहुत कम होती है और उनमें से अधिकांश की एक ही शाखा होती है। मार्च 2006 के अंत में, 1,853 में से 1,423 शहरी सहकारी बैंकों (76.8 प्रतिशत) का जमाराशि आधार 50 करोड़ रुपए से कम तथा 1,633 (88.1 प्रतिशत) का 100 करोड़ रुपए से कम था। कुल धारित जमाराशि में इन दो श्रेणियों का हिस्सा क्रमशः 19.0 प्रतिशत और 32.5 प्रतिशत था। दूसरी ओर, 1,000 करोड़ रुपए से अधिक का जमाराशि आधार वाले चौदह शहरी सहकारी बैंक का सभी शहरी सहकारी बैंकों की जमाराशि में लगभग 1/4 हिस्सा था (सारणी IV.2)।

4.46 अनुसूचित बैंक का दर्जा प्राप्त 55 शहरी सहकारी बैंकों का कुल आस्तियों में हिस्सा महत्वपूर्ण अर्थात् 44.0 प्रतिशत था। 100 करोड़ रुपए और अधिक जमाराशि वाले अनुसूचित न किए गए शहरी सहकारी बैंक जोकि रिज़र्व बैंक की अप्रत्यक्ष पर्यवेक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत लाए गए थे उनका भी उक्त क्षेत्र में हिस्सा महत्वपूर्ण (28.2 प्रतिशत) है (सारणी IV.3)।

सारणी IV.2: शहरी सहकारी बैंको का जमाराशिवार वितरण

(मार्च 2006 के अंत में)

क्रम सं.	जमाराशि आधार (करोड़ रुपए)	श.स.बैंकों की सं.		जमाराशियां	
		सं.	कुल में अंश (प्रतिशत)	राशि (करोड़ रुपए)	कुल में अंश (प्रतिशत)
	1	2	3	4	5
1.	> 1,000	14	0.8	25,768	23.0
2.	500 से < 1,000	16	0.9	11,153	9.9
3.	250 से < 500	48	2.6	16,947	15.1
4.	100 से < 250	142	7.7	21,910	19.5
5.	50 से < 100	210	11.3	15,164	13.5
6.	25 से < 50	302	16.3	10,525	9.4
7.	10 से < 25	450	24.3	7,374	6.6
8.	5 से < 10	333	18.0	2,486	2.2
9.	< 5	338	18.2	910	0.8
	कुल (1 से 9)	1,853	100.0	1,12,237	100.0

शहरी सहकारी बैंकों के परिचालन, वित्तीय निष्पादन और आस्ति गुणवत्ता

शहरी सहकारी बैंकों के परिचालन

4.47 मार्च 2006 के अंत में, शहरी सहकारी बैंकों की कुल आस्तियां / देयताएं अनुसूचित वाणिज्यि बैंकों की आस्तियों के लगभग 5.0 प्रतिशत थीं। 2005-06 के दौरान शहरी सहकारी बैंकों के कारोबारीय परिचालन 6.3 प्रतिशत बढ़े। शहरी सहकारी बैंकों की आस्तियों और देयताओं का सामान्य संयोजन लगभग पिछले वर्ष जैसा ही रहा। शहरी सहकारी बैंकों के लिए जमाराशियां मुख्य संसाधन बनी रहीं जो कुल संसाधनों का 80 प्रतिशत थीं। 2005-06 के दौरान, जमाराशियों और पूंजी में वृद्धि हुई जबकि सांविधिक आरक्षित निधि कुछ घट गई। आस्ति पक्ष में, शहरी सहकारी बैंकों की लगभग आधी आस्तियां ऋणों और अग्रिमों के रूप में अभिनियोजित की गईं जबकि निधि के अभिनियोजन का दूसरा मुख्य मार्ग निवेश था। 2005-06 के दौरान ऋण और अग्रिम तथा निवेश मध्यम गति से बढ़े, वहीं मांग / सूचना मुद्रा बाजार में नकदी और शेष तेजी से बढ़े (सारणी IV.4)।

सारणी IV.3: शहरी सहकारी बैंकों की प्रोफाइल

(मार्च 2006 के अंत में)

(राशि करोड़ रुपए)

मद	श.स.बैंकों की सं.	आस्तियां	जमाराशि	निवेश	ऋण तथा अग्रिम
1	2	3	4	5	6
सभी शहरी सहकारी बैंक (1+2)	**1,853**	**1,40,432**	**1,12,237**	**48,472**	**70,379**
		(100.0)	**(100.0)**	**(100.0)**	**(100.0)**
1. अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक	55	61,832	45,285	18,216	28,022
		(44.0)	(40.3)	(37.6)	(39.8)
2. गैर अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक	1,798	78,600	66,952	30,256	42,357
		(56.0)	(59.7)	(62.4)	(60.2)
जिसमें से:					
गैर अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक जिनकी जमाराशि रु 100 करोड़ रुपए तथा उससे अधिक हो	191	39,657	31,479	9,112	19,489
		(28.2)	(28.0)	(18.8)	(27.7)

टिप्पणी : कोष्ठकों के आंकड़े कुल शहरी सहकारी बैंकों का प्रतिशत दर्शाते हैं ।

सारणी IV.4: शहरी सहकारी बैंकों की देयताएं और आस्तियां

(राशि करोड़ रु.)

मद	मार्च के अंत में		प्रतिशत अंतर
	2005	2006	2005-06
1	2	3	4
देयताएं			
1. पूंजी	3,221 (2.4)	3,479 (2.5)	8.0
2. सांविधिक आरक्षित निधियां	10,383 (7.9)	10,161 (7.2)	-2.1
3. जमाराशियां	1,05,021 (79.5)	1,12,237 (79.9)	6.9
4. उधार	1,782 (1.3)	1,799 (1.3)	1.0
5. अन्य देयताएं	11,738 (8.9)	12,756 (9.1)	8.7
कुल देयताएं/आस्तियां	**1,32,145 (100.0)**	**1,40,432 (100.0)**	**6.3**
आस्तियां			
1. उपलब्ध नकदी	938 (0.7)	1,539 (1.1)	64.0
2. बैंकों के पास शेष	7,136 (5.4)	8,227 (5.9)	15.3
3. मांग और अल्प सूचना पर मुद्रा	1,139 (0.9)	1,996 (1.4)	75.2
4. निवेश	46,872 (35.5)	48,472 (34.5)	3.4
5. ऋण और अग्रिम	66,874 (50.6)	70,379 (50.1)	5.2
6. अन्य आस्तियां	9,185 (7.0)	9,819 (7.0)	6.9

टिप्पणी : कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल देयताओं/आस्तियों का प्रतिशत हैं।
स्रोत : संबंधित शहरी सहकारी बैंको के तुलनपत्र ।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के उधार

4.48 शहरी सहकारी बैंकों से अपेक्षित है कि वे अपने कुल ऋणों और अग्रिमों का 60 प्रतिशत भाग प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार दें तथा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के उधार का 25 प्रतिशत भाग कमजोर वर्गों को मिलना चाहिए। शहरी सहकारी बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त और कमजोर वर्गों को दिए गए ऋण में हाल के वर्षो के दौरान तेज वृद्धि हुई। उल्लेखनीय ऋण राशि कुटीर और लघु उद्योगों को और आवास ऋण के लिए दी गई थी (सारणी IV.5)।

सारणी IV.5: शहरी सहकारी बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र और कमजोर वर्ग को दिए गए अग्रिम

घटक	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र		कमजोर वर्ग	
	राशि (करोड़ रुपए)	कुल अग्रिम में अंश (प्रतिशत)	राशि (करोड़ रुपए)	कुल अग्रिम में अंश (प्रतिशत)
1	2	3	4	5
1. कृषि और संबंधित कार्य	3,007	4.3	1,499	2.1
2. कुटीर और लघु उद्योग	9,817	13.9	1,042	1.5
3. सड़क और जल परिवहन परिचालक	1,819	2.6	655	0.9
4. निजी खुदरा व्यापारी (आवश्यक वस्तुएं)	1,850	2.6	876	1.2
5. निजी खुदरा व्यापार (अन्य)	3,323	4.7	858	1.2
6. छोटे कारोबारी उद्यम	5,456	7.8	1,725	2.5
7. प्रोफेशनल और स्व-नियोजित व्यक्ति	2,165	3.1	864	1.2
8. शैक्षिक ऋण	710	1.0	290	0.4
9. आवास ऋण	9,056	12.9	2,773	3.9
10. उपभोग ऋण	456	0.6	173	0.2
11. सॉफ्टवेयर उद्योग	55	0.1	6	0.0
कुल (1 to 11)	**37,714**	**53.6**	**10,762**	**15.3**

4.49 मार्च 2006 के अंत में शहरी सहकारी बैंकों के निवेश में सांविधिक चलनिधि अनुपात का प्रमुख हिस्सा था (94.4 प्रतिशत)। 2005-06 के दौरान सांविधिक चलनिधि अनुपात निवेश कुल मिलाकर कम दर (2.1 प्रतिशत) पर बढ़े, वहीं राज्य सहकारी बैंकों में सरकारी प्रतिभूति और सावधि जमाराशि से अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश तेजी से बढ़े। तथापि, मध्यवर्ती सहकारी बैंकों में रखी सावधि जमाराशियां कम हो गईं। सांविधिक चलनिधि अनुपात से भिन्न निवेश, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं / अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं के बांड, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं के शेयर और यूटीआइ के यूनिट शामिल होते हैं, में 2005-06 के दौरान तेज वृद्धि हुई (सारणी IV.6)।

आस्ति गुणवत्ता

4.50 शहरी सहकारी बैंकों की आस्ति गुणवत्ता में वर्ष के दौरान बहुत सुधार हुआ। यह एन पी ए (सकल और निवल) में पूर्ण तथा प्रतिशत आधार पर तेज गिरावट से स्पष्ट है। तथापि, शहरी सहकारी बैंकों के मार्च 2001 के अंत के एन पी ए (16.1 प्रतिशत सकल एनपीए) और अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (3.3 प्रतिशत सकल और 1.2 प्रतिशत निवल एन पी ए) की तुलना में मार्च 2006 के अंत में 19.7 प्रतिशत (सकल)

सारणी IV.6: शहरी सहकारी बैंकों का निवेश

(राशि करोड़ रुपए)

मद	मार्च के अंत में		प्रतिशत अंतर
	2005	2006	2005-06
1	2	3	4
कुल निवेश (क + ख)	**46,872**	**48,472**	**3.4**
	(100.0)	**(100.0)**	
क. एसएलआर निवेश (i से v)	**44,817**	**45,740**	**2.1**
	(95.6)	**(94.4)**	
i) केंद्र सरकार की प्रतिभूतियां	27,147	28,119	3.6
	(57.9)	(58.0)	
ii) राज्य सरकार की प्रतिभूतियां	3,883	3,922	1.0
	(8.3)	(8.1)	
iii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	848	1,107	30.6
	(1.8)	(2.3)	
iv) राज्य सहकारी बैंकों की मीयादी जमाराशियां	4,257	4,745	11.5
	(9.1)	(9.8)	
v) जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की मीयादी जमाराशियां	8,683	7,847	-9.6
	(18.5)	(16.2)	
ख) गैर एसएलआर निवेश (सरकारी क्षेत्र/अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों के बांडों में, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों के शेयरों मे अथवा यूटीआई के यूनिटों में)	**2,055**	**2,732**	**32.9**
	(4.4)	**(5.6)**	

टिप्पणी : कोष्ठकों के आंकड़े कुल निवेश का प्रतिशत दर्शाते हैं ।

और 9.6 प्रतिशत (निवल) के साथ उच्च थे (सारणी IV.7)। शहरी सहकारी बैंकों के सकल एनपीए का उच्च स्तर किसी सीमा तक ऋण को बट्टे खाते में डालने की बोझिल क्रियाविधि के कारण था ।

सारणी IV.7: शहरी सहकारी बैंकों की सकल अनर्जक आस्तियां

(राशि करोड़ रुपए)

मार्च के अंत में	रिपोर्ट प्रस्तुत करनेवाले शसबैंकों की संख्या	सकल अनर्जक आस्तियां	कुल अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में सकल अनर्जक आस्तियां	निवल अनर्जक आस्तियां	कुल अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में निवल अनर्जक आस्तियां
1	2	3	4	5	6
2001	1,942	9,245	16.1	–	–
2002	1,937	13,706	21.9	–	–
2003	1,941	12,509	19.0	6,428	13.0
2004	1,926	15,406	22.7	8,242	12.1
2005	1,872	15,486	23.4	8,257	12.5
2006 अ	1,853	13,871	19.7	6,718	9.6

अ : अनंतिम

अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों के परिचालन और निष्पादन

परिचालन

4.51 शहरी सहकारी बैंकों की देयताओं / आस्तियों ने वृद्धि का संवेग जारी रखते हुए 2005-06 के दौरान स्वस्थ दर पर बढ़त जारी रखी। शहरी सहकारी बैंकों की जमाराशियां पिछले वर्ष की तुलना में तेज गति से बढ़ी। आस्ति पक्ष में, ऋण और अग्रिम घटक में वृद्धि देखी गई, वहीं निवेश वृद्धि में वाणिज्य बैंकिंग क्षेत्र की प्रवृत्ति के अनुरूप कमी हुई (सारणी IV.8)।

सारणी IV.8: अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों की देयताएं और आस्तियां

(राशि करोड़ रुपए)

मद	मार्च के अंत में		प्रतिशत अंतर	
	2005	2006	2004-05	2005-06
1	2	3	4	5
देयताएं				
1. पूंजी	782	899	16.6	15.0
	(1.4)	(1.5)		
2. आरक्षित निधि	6,927	6,594	182.0	-4.8
	(12.3)	(10.7)		
3. जमाराशियां	40,950	45,285	7.8	10.6
	(72.8)	(73.2)		
4. उधार	890	970	50.8	9.0
	(1.6)	(1.6)		
5. अन्य देयताएं	6,668	8,083	-31.6	21.2
	(11.9)	(13.1)		
कुल देयताएं/आस्तियां	**56,217**	**61,832**	**9.2**	**10.0**
	(100.0)	**(100.0)**		
आस्तियां				
1.नकदी	303	348	-4.9	14.8
	(0.5)	(0.6)		
2. बैंक शेष	4,795	4,973	-11.7	3.7
	(8.5)	(8.0)		
3. मांग और अल्पसूचना पर मुद्रा	517	581	20.9	12.3
	(0.9)	(0.9)		
4. निवेश	17,094	18,216	14.1	6.6
	(30.4)	(29.5)		
5. ऋण और अग्रिम	25,061	28,022	8.2	11.8
	(44.6)	(45.3)		
6. अन्य आस्तियां	8,447	9,692	18.0	14.7
	(15.0)	(15.7)		

टिप्पणी : कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल देयताओं/आस्तियों की तुलना में प्रतिशत दर्शाते हैं।

स्रोत : संबंधित शहरी सहकारी बैंकों के तुलनपत्र।

वित्तीय निष्पादन

4.52 अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों की निवल ब्याज आय में पिछले वर्ष की 999 करोड़ रुपए वृद्धि की तुलना में 2005-06 के दौरान 1,171 करोड़ रुपए वृद्धि हुई। इसके साथ-साथ बैंक का भार कम होने (ब्याजेतर आय की तुलना में परिचालन व्यय का आधिक्य) से पिछले वर्ष के परिचालन लाभ में कमी के विपरीत परिचालन लाभ में वृद्धि हुई। पिछले वर्ष की तुलना में प्रावधान और प्रासंगिकता के लगभग उसी स्तर के कारण वर्ष के दौरान निवल लाभ (परिचालन लाभ की तुलना में) हुआ (सारणी IV.9)। अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों को वर्ष के दौरान कुल मिलाकर अधिक लाभ हुआ। हानि होने वाले बैंकों की संख्या पिछले वर्ष के छह से बढ़कर आठ हो जाने के बावजूद हानि उठा रहे अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों को हुई कुल हानि कम हो गई (परिशिष्ट सारणी IV.4 और परिशिष्ट सारणी IV.5)।

सारणी IV.9: अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों का वित्तीय कार्य-निष्पादन

(राशि करोड़ रुपए)

मद			प्रतिशत अंतर	
	2004-05	2005-06	2004-05	2005-06
1	2	3	4	5
क. आय (i+ii)	**3,735**	**3,951**	**-6.0**	**5.8**
	(100.0)	**(100.0)**		
i) ब्याज आय	3,322	3,458	4.5	4.1
	(88.9)	(87.5)		
ii) अन्य आय	413	494	-48.1	19.6
	(11.1)	(12.5)		
ख. व्यय	**3,598**	**3,617**	**-4.4**	**0.5**
(i+ii+iii)	**(100.0)**	**(100.0)**		
i) व्यय किया गया ब्याज	2,323	2,287	-1.2	-1.5
	(64.6)	(63.2)		
ii) प्रावधान और आकस्मिक व्यय	335	348	-36.9	3.9
	(9.3)	(9.6)		
iii) परिचालन व्यय	940	982	6.6	4.5
	(26.1)	(27.2)		
इसमें से: :	508	521	2.2	2.6
वेतन बिल	(14.1)	(14.4)		
ग. लाभ				
i) परिचालन लाभ	472	682	-36.3	44.5
ii) निवल लाभ	137	335	-34.9	144.5
घ. कुल आस्तियां	**56,217**	**61,832**	**9.2**	**10.0**

टिप्पणी : कोष्ठक में दिए गए आंकड़े संबंधित योग में प्रतिशत अंश हैं।
स्रोत : संबंधित शहरी सहकारी बैंको के तुलनपत्र ।

100 करोड़ रुपए और अधिक जमाराशि वाले अननुसूचित शहरी सहकारी बैंकों के परिचालन और निष्पादन

परिचालन

4.53 100 करोड़ रुपए और उससे अधिक की जमाराशि वाले अनुसूचित न किए गए शहरी सहकारी बैंकों (191) की जमाराशि की भारी धारिता और प्रणालीगत महत्व को देखते हुए उन्हें अप्रत्यक्ष पर्यवेक्षण की सूक्ष्म संवीक्षा के अंतर्गत लाया गया। मार्च 2006 के अंत में इन अनुसूचित न किए गए शहरी सहकारी बैंकों की कुल आस्तियां / देयताएं 39,657 करोड़ रुपए थीं जो अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों द्वारा धारित आस्तियों के 64.1 प्रतिशत थीं और सभी शहरी सहकारी बैंकों (अनुसूचित और अनुसूचित न किए गए) की कुल आस्तियों के 28.2 प्रतिशत थीं। अनुसूचित न किए गए शहरी सहकारी बैंकों की निधि का मुख्य स्रोत जमाराशियां रहा है जो मार्च 2006 के अंत में कुल आस्तियों का 79.4 प्रतिशत था। अधिकांश आस्तियां ऋणों तथा अग्रिमों (49.1 प्रतिशत) और निवेश (23.0 प्रतिशत) के रूप में थीं। मार्च 2006 के अंत में इन बैंकों की आस्तियों का एक बड़ा भाग बैंकों में नकदी और शेषों (16.0 प्रतिशत) के रूप में भी रखा था (सारणी IV.10)।

वित्तीय निष्पादन

4.54 100 करोड़ रुपए और अधिक वाले अनुसूचित न किए गए शहरी सहकारी बैंकों की निवल ब्याज आय 2005-06 के दौरान 1,046 करोड़ रुपए थी। वेतन बिल कुल व्यय का 14.6 प्रतिशत था। परिणामतः, उनका परिचालन लाभ उनकी निवल ब्याज आय के से बहुत कम था। अनुसूचित न किए गए शहरी सहकारी बैंकों की आस्तियों पर प्रतिलाभ

सारणी IV.10: 100 करोड़ रुपए तथा उससे अधिक जमाराशिवाले अननुसूचित शहरी सहकारी बैंकों की देयताएं और आस्तियां

(मार्च 2006 के अंत के में)

मद	राशि (करोड रुपए)	कुल अस्तियों में अंश (प्रतिशत)
1	2	3
देयताएं		
1. प्रदत्त पूंजी	1,020	2.6
2. आरक्षित निधि एवं अन्य निधियां	2,507	6.3
3. जमाराशियां	31,479	79.4
4. उधार	275	0.7
5. अन्य देयताएं	4,377	11.0
कुल देयतांए/आस्तियां	**39,657**	**100.0**
आस्तियां		
1. उपलब्ध नकदी	484	1.2
2. बैंक शेष	6,348	16.0
3. मांग और अल्प सूचना पर मुद्रा	295	0.7
4. निवेश	9,112	23.0
5. ऋण और अग्रिम	19,489	49.1
6. अन्य आस्तियां	3,929	9.9

सारणी IV.11: 100 करोड़ रुपए तथा उससे अधिक जमाराशिवाले अननुसूचित शहरी सहकारी बैंकों का वित्तीय कार्य-निष्पादन - 2005-06

मद	राशि (करोड़ रुपए)	संबंधित योग में अंश (प्रतिशत)
1	2	3
क. आय (i+ii)	**3,072**	**100.0**
i) ब्याज आय	2,936	95.6
ii) अन्य आय	136	4.4
ख. व्यय (i+ii+iii)	**2,772**	**100.0**
i) व्यय किया गया ब्याज	1,890	68.2
ii) जोखिम और आकस्मिक व्यय के प्रति प्रावधान	195	7.0
iii) अन्य परिचालन व्यय	687	24.8
इसमें से: वेतन बिल	404	14.6
ग. लाभ		
i) परिचालन लाभ	495	
ii) निवल लाभ	300	
घ. कुल आस्तियां (मार्च के अंत में)	**39,657**	

2005-06 के दौरान 0.76 प्रतिशत पर अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों के 0.54 प्रतिशत की तुलना में अधिक था (सारणी IV.11)।

शहरी सहकारी बैंक - क्षेत्रीय परिचालन

4.55 शहरी सहकारी बैंकों की भौगोलिक स्थिति बहुत ही भिन्न है क्योंकि वे मुख्यत: सात राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों, यथा आध्र प्रदेश,गुजरात,कर्नटक, महाराष्ट्र और गोआ तथा तमिलनाडु और पांडीचेरी में संकेंद्रित हैं। शहरी सहकारी बैंकों की शाखाओं की दृष्टि से केरल भी अच्छी तरह कवर हुआ है। मार्च 2006 के अंत में, महाराष्ट्र , कर्नाटक तथा गुजरात में कुल शहरी सहकारी बैंकों के दो-तिहाई बैंक कार्यरत थे। शहरी सहकारी बैंकों की 7,217 शाखाओं में से 914 यूनिट बैंक थे, अर्थात वे जो मुख्य खार्यालय और शाखा के रूप में कार्य करते हैं। महाराष्ट्र और गोवा, कर्नाटक और गुजरात में ही शहरी सहकारी बैंकों की कुल शाखाओं का 59.5 प्रतिशत हिस्सा था (सारणी IV.12)।

4.56 मार्च 2006 के अंत में, 55 अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों में से 39 महाराष्ट्र में, 9 गुजरात में, 3 आंध्र प्रदेश में, 2 गोवा में और कर्नाटक तथा उत्तर प्रदेश में एक-एक था। सभी अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों के कुल ऋणों और अग्रिमों का 84.9 प्रतिशत और कुल जमाराशि का 85.8 प्रतिशत महाराष्ट्र तथा गोआ का हिस्सा था (सारणी IV.13)।

सारणी IV.12: शहरी सहकारी बैंकों का राज्यवार वितरण

(मार्च 2006 के अंत में)

क्र. सं.	राज्य	बैंकों की संख्या	कुल में अंश (प्रतिशत)	यूनिट बैंकों की संख्या	शाखाओं की संख्या*	विस्तार काउंटरों की संख्या
	1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	124	6.7	95	310	5
2.	असम/मणिपुर/मेघालय/मिजोरम/सिक्किम/नागालैंड/ त्रिपुरा/अरुणाचल प्रदेश	18	1.0	15	11	–
3.	बिहार/झारखंड	5	0.3	4	1	1
4.	गुजरात	296	16.0	151	637	3
5.	जम्मू और कश्मीर	4	0.2	1	16	4
6.	कर्नाटक	297	16.0	153	885	18
7.	केरल	60	3.2	17	325	–
8.	मध्य प्रदेश/छत्तीसगढ़	75	4.0	58	45	4
9.	महाराष्ट्र और गोवा	630	34.0	240	4,243	23
10.	नई दिल्ली	15	0.8	–	60	1
11.	उड़ीसा	14	0.8	5	50	4
12.	पंजाब/हरियाणा/हिमाचल प्रदेश	16	0.9	10	39	3
13.	राजस्थान	39	2.1	19	142	7
14.	तमिलनाडु और पांडिचेरी	132	7.1	62	180	0
15.	उत्तर प्रदेश/उत्तरांचल	77	4.2	53	219	28
16.	पश्चिम बंगाल	51	2.8	31	54	0
	जोड़ (1 से 16)	**1,853**	**100.0**	**914**	**7,217**	**101**

* : प्रधान कार्यालय व शाखा सहित।

सारणी IV.13: अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों के केंद्रवार चुनिंदा संकेतक

(मार्च 2006 के अंत में)

(राशि करोड़ रुपए)

केन्द्र	प्रदत्त पूंजी	निर्बंध आरक्षित निधि	जमाराशि	ऋण और अग्रिम	मांग तथा आवधिक देयताएं	ऋण-जमा अनुपात (प्रतिशत)
1	2	3	4	5	6	7
1. अहमदाबाद	93	3,680	5,192	3,441	5,491	66.3
2. बंगलूर	6	44	349	213	477	61.0
3. हैदराबाद	32	437	709	458	741	64.6
4. लखनऊ	5	18	185	125	193	67.6
5. मुम्बई	686	2,324	35,752	21,717	35,294	60.7
6. नागपुर	78	91	3,097	2,067	2,098	66.7
कुल (1 से 6)	**899**	**6,594**	**45,285**	**28,022**	**44,295**	**61.9**

4.57 मार्च 2006 के अंत में पांच केंद्रों, नामतः अहमदाबाद, बंगलूर, चेन्नई, मुंबई और नागपुर स्थित अनुसूचित न किए गए शहरी सहकारी बैंकों का हिस्सा सभी शहरी सहकारी बैंकों की पूंजी और आरक्षित निधि में तीन-चौथई से अधिक और जमाराशि, अग्रिम और मांग तथा मीयादी देयताओं में लगभग 4/5 था। ऋण जमा अनुपात में भी भारी भिन्नता देखी गई जिसमें 69.8 प्रतिशत के साथ चेन्नई सबसे आगे था और उसके नई दिल्ली (38.0 प्रतिशत) न्यूनतम पर था जो प्रसंगवश 50 प्रतिशत से कम ऋण जमा अनुपात वाला एकमात्र केंद्र था। अन्य केंद्रों का ऋण जमा अनुपात 51.8 प्रतिशत और 67.4 प्रतिशत के छोटे दायरे में बना रहा (सारणी IV.14)।

3. ग्रामीण सहकारी ऋण समितियां

4.58 ग्रामीण ऋण सहकारी प्रणाली ने ग्रामीण और कृषि क्षेत्र में ऋण सुपुर्दगी के संबंध में महत्वपूर्ण साधन की भूमिका निभाई है। ग्रामीण सहकारिता में दीर्घावधि और अल्पावधि ऋण के अलग ढांचे से इन संस्थाओं को ग्रामीण ऋण सुपुर्दगी सुधारने में सहायता मिली है। इसी

सारणी IV.14: अननुसूचित शहरी सहकारी बैंकों के केंद्रवार चुनिंदा संकेतक

(मार्च 2006 के अंत में)

(राशि करोड़ रुपए)

केंद्र	शेयर पूंजी	निर्बंध आरक्षित निधि	जमाराशि	अग्रिम	मांग तथा आवधिक देयताएं	ऋण-जमा अनुपात (प्रतिशत)
1	2	3	4	5	6	7
1. अहमदाबाद	239	778	6,632	3,717	6,802	56.1
2. बंगलूर	375	527	7,952	5,129	7,300	64.5
3. भोपाल	48	71	1,071	570	1,094	53.3
4. भुबनेश्वर	25	28	591	389	594	65.8
5. चंडीगढ़	30	46	648	336	628	51.8
6. चेन्नई	153	124	2,941	2,054	3,163	69.8
7. गुवाहाटी	12	19	334	182	378	54.5
8. हैदराबाद	81	108	1,318	832	1,210	63.1
9. जयपुर	72	99	1,348	782	1,313	58.0
10. जम्मू	4	6	194	109	197	56.1
11. कोलकाता	123	132	1,856	1,108	1,977	59.7
12. लखनऊ	122	125	2,015	1,262	2,472	62.6
13. मुम्बई	941	900	27,779	18,714	28,490	67.4
14. नागपुर	228	399	8,611	5,070	4,018	58.9
15. नई दिल्ली	40	82	898	341	928	38.0
16. पटना	3	7	30	19	31	62.9
17. तिरुवनंतपुरम	83	117	2,734	1,743	2,873	63.8
कुल (1 से 17)	**2,580**	**3,567**	**66,952**	**42,357**	**63,469**	**63.3**
ज्ञापन मद:						
कुल में अहमदाबाद, बंगलूर, चेन्नई, मुंबई और नागपुर का हिस्सा	75.0	76.5	80.5	81.9	78.4	

समय, उनके मध्यवर्ती स्वरूप ने निम्नतर स्वरूप के लिए मार्गदर्शन और महत्वपूर्ण वित्तपोषण हेतु सहायक-स्वरूप उपलब्ध कराने में सहायता की है। मार्च 2005 को ग्रामीण संस्थाओं की 1,08,779 प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों जोकि ग्रामीण सहकारी बैंकिंग ढांचे की जमीनी संस्थाएं हैं, के साथ देश में परिचालन के संदर्भ में भारी पहुंच थी।

4.59 ग्रामीण सहकारी ऋण संस्थाओं को कम संसाधन आधार, विविधता की कमी, भारी संचित हानियां, एन पी ए की निरंतरता और वसूली के निम्न स्तर की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। 2004-05 के दौरान अनेक संस्थाओं को हानि होना जारी रहा। कुल संचित हानि 31 मार्च 2004 को 8,746 करोड़ रुपए थी। अतः नाबार्ड और रिज़र्व बैंक कमज़ोर संस्थाओं के पुनर्जीवन और वित्तीय क्षेत्र के इस महत्वपूर्ण घटक के सुचारु विकास के लिए केंद्र सरकार के साथ सलाह करके अनेक पर्यवेक्षी और विकासात्मक उपाय कर रहे हैं।

ग्रामीण सहकारी बैंकों का विनियमन

4.60 जून 2006 के अंत में लाइसेंसी राज्य सहकारी बैंकों और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की संख्या क्रमशः 14 और 73 थी। 2005-06 के दौरान, अंदमान और निकोबार राज्य सहकारी बैंक को ही नया बैंकिंग लाइसेंस प्रदान किया गया। 2005-06 (जुलाई-जून) में तीन जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को कारण बताओ नोटिस जारी की गई कि उनके लाइसेंस आवेदन क्यों न रद्द किए जाए। दो राज्य सहकारी बैंक और 11 जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक रिज़र्व बैंक के निदेशों के अंतर्गत रखे गए जिससे उन पर कुछ विशेष क्षेत्रों को ऋण और अग्रिम देने पर और / या नई जमाराशियां स्वीकार करने पर रोक लग गई। वर्ष के दौरान कोई भी लाइसेंस / लाइसेंस का आवेदन रद्द / अस्वीकृत नहीं किया गया। किसी भी राज्य सहकारी बैंक को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम की धारा 42 के अंतर्गत दूसरी अनुसूची में शामिल करने हेतु अनुसूचित बैंक का दर्जा प्रदान नहीं किया गया। जून 2006 के अंत में अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों की कुल संख्या 16 ही रही। 30 जून 2006 को 31 राज्य सहकारी बैंकों में से 7 और 367 जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों में से 134 बैंकों ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (स स पर यथा लागू) की धारा 11 (1) के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया। उसी प्रकार, 367 जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों में से 134 और 329 बैंकों ने उक्त अधिनियम की धारा क्रमशः 22(3)(ए) और धारा 23(3) (बी) का अनुपालन नहीं किया।

4.61 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (स स पर यथा लागू) की धारा 29 के संदर्भ में प्रत्येक सहकारी बैंक से यह अपेक्षित है कि वह प्रति वर्ष 31 मार्च की स्थिति के आधार पर उसके सभी कारोबारी लेनदेनों का तुलनपत्र और लाभ-हानि लेखा बनाए। राज्य सहकारी बैंकों / जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के वार्षिक वित्तीय विवरणों में (अर्थात् तुलनपत्र और लाभ-हानि लेखा) पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दृष्टि से यह निर्णय लिया गया कि 31 मार्च 2006 को समाप्त वर्ष से उनके तुलनपत्रों में 'नोट्स ऑन अकाउंट' के रूप में कुछ प्रकटीकरण मानक जोड़ दिए जाएं। तदनुसार, राज्य सहकारी बैंकों / जिला मध्यवर्ती बैंकों द्वारा प्रकट की जाने वाली जानकारी से उक्त बैंकों को अवगत कराया गया।

4.62 वर्ष 2005-06 के वार्षिक नीति वक्तव्य की मध्यावधि समीक्षा में की गई घोषणा के परिणाम स्वरूप सभी राज्य और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को सूचित किया गया था कि वे 1 अप्रैल 2007 से शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष से 0.25 प्रतिशत के वर्तमान स्तर से 0.40 प्रतिशत का 'मानक अग्रिम' का सामान्य प्रावधानीकरण करें। तथापि, कृषि और लघु तथा मध्यम उद्यमों को दिए गए प्रत्यक्ष अग्रिमों, जो मानक आस्तियां होते हैं, को अब तक की भांति संविभाग आधार पर शेष निधि के 0.25 प्रतिशत के प्रावधानीकरण की अनुमति दी गई।

4.63 सभी राज्य सहकारी बैंकों और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को अगस्त 2005 में सूचित किया गया कि वे मामला-दर-मामला आधार पर रिज़र्व बैंक से पूर्वानुमोदन लिए बिना अपनी वास्तविक अतिरिक्त निधि सांविधिक चलनिधि अनुपात से भिन्न प्रतिभूतियों में कुछ शर्तों पर निवेश कर सकते हैं। सांविधिक चलनिधि अनुपात से भिन्न निवेश की समग्र सीमा जो कि पिछले वर्ष के 31 मार्च की बैंकों की कुल जमाराशि के 10 प्रतिशत निर्धारित की गई थी, उसमें (क) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बांड; और (ख) उक्त (क) में कवर हुए निवेश के लिए 5 प्रतिशत की उप-सीमा के साथ अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं के बांड / इक्विटी शामिल है। निर्धारित शर्तें पूरी न करने वाले बैंकों से अपेक्षित है कि वे अब तक की भांति मामला-दर-मामला आधार पर सांविधिक चलनिधि अनुपात से भिन्न निवेश के लिए रिज़र्व बैंक का पूर्वानुमोदन प्राप्त करें।

4.64 फरवरी 2005 में, राज्य सहकारी बैंकों और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को सूचित किया गया कि वे कोई खाता खोलते समय प्रयोग में लाने के लिए ग्राहक स्वीकृति नीति और ग्राहक पहचान क्रियाविधि बनाए। उन्हें यह भी सूचित किया गया कि वे जोखिम और 'अपने ग्राहक को जानिए' दिशानिदेशों, जिनके अनुसार बैंकों को कुछ दस्तावेजों के माध्यम से ग्राहक का पता और पहचान सत्यापित करनी होती है, के आधार पर ग्राहकों को कम, मध्यम और उच्च जोखिम की श्रेणियों में रखना चाहिए। अगस्त 2005 में यह निर्णय लिया गया कि उन व्यक्तियों के खाते समय 'अपने ग्राहक को जानिए' क्रियाविधि को और भी सरल बनाया जाए जो उनके सभी खातों में कुल शेष राशि 50,000 रुपए तक रखना और एक वर्ष में कुल राशि एक लाख रुपए तक जमा करना चाहते हैं। इस संबंध में विस्तृत दिशा निदेशाा सभी राज्य सहकारी बैंकों और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को संप्रेषित कर दिए गए।

4.65 यह निर्णय लिया गया कि लाइसेंसी और / या अनुसूचित राज्य सहकारी बैंकों को क्रेडिट कार्ड जारी करने की व्यवस्था वाले अनुसूचित वाणिज्य बैंकों में से किसी एक के साथ समझौता व्यवस्था करके जोखिम रहित सहभागिता, को-ब्रान्डेड डोमेस्टिक क्रेडिट कार्ड कारोबार करने की अनुमति दी जाए बशर्ते वे कुछ विशेष शर्तें पूरी करें। यह सूचित किया गया था कि किसी भी राज्य सहकारी बैंक ने रिज़र्व बैंक से पूर्वानुमति प्राप्त किए बिना को-ब्रान्डेड डोमेस्टिक क्रेडिट कार्ड का कारोबार नहीं करना चाहिए। किसी राज्य सहकारी बैंक को को-ब्रान्डेड क्रेडिट कार्ड का कारोबार करने के लिए दी गई अनुमति सामान्यतः दो वर्ष की अवधि तक वैध होगी जिसके लिए उक्त अवधि की समाप्ति से पहले उसकी समीक्षा की शर्त होगी।

4.66 सभी राज्य सहकारी बैंकों और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को सूचित किया गया था कि वे 'खाते में भुगतान' वाले चेक की राशि उसमें दिए गए नाम से इतर किसी भी अन्य व्यक्ति के खाते में जमा न करें। यह उपाय लागू करने का लक्ष्य यह था कि इससे ये बैंक अनधिकृत संग्रहण से उत्पन्न होने वाली देयता से बचे रहेंगे और इससे भुगतान और बैंकिंग प्रणाली की अखंडता और मज़बूती की भी रक्षा हो जाएगी। बैंकों को अप्रैल 2006 में निदेश दिया गया कि वे 'खाते में भुगतान' वाले चेकों को आदाता ग्राहक के अलावा किसी अन्य से न स्वीकारें।

4.67 जून 2006 में सभी राज्य सहकारी बैंकों और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को अनुमति दी गई कि वे राज्य सरकारों द्वारा प्रायोजित विभिन्न कार्यक्रमों / योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए जारी किए गए अनुदान / सब्सिडी के संबंध में राज्य सरकार के विभागों / निकायों / एजेंसियों के नाम पर बचत बैंक खाते खोल सकते हैं। बैंकों को सूचित किया गया कि वे संबंधित राज्य सरकारी विभाग द्वारा जारी प्राधिकार पत्र की प्रतिलिपि उनके रेकार्ड में रखें।

4.68 भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 में संशोधन के फलस्वरूप, अनुसूचित राज्य सहकारी बैंकों के संबंध में कुल मांग और मीयादी देयताओं के 3.0 प्रतिशत की सांविधिक न्यूनतम नकदी आरक्षित निधि अनुपात की अपेक्षा 22 जून 2006 से समाप्त हो गई। इसके अलावा, देश में मौद्रिक स्थिरता सुनिश्चित करने की दृष्टि से रिज़र्व बैंक अनुसूचित बैंकों के लिए बिना किसी निम्नतम या उच्चतम दर से नकदी आरक्षित निधि अनुपात निर्धारित कर सकता है। रिज़र्व बैंक ने निर्णय लिया कि अनुसूचित राज्य सहकारी बैंकों द्वारा उनकी मांग और मीयादी देयताओं के 5.0 प्रतिशत का सीआरआर बनाए रखने की अपेक्षा के संबंध में यथा स्थिति बनाए रखी जाए। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 की उप धारा (7) द्वारा प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए रिज़र्व बैंक ने प्रत्येक राज्य सहकारी बैंक को निम्नलिखित देयताओं पर 5 प्रतिशत नकदी आरक्षित निधि अनुपात बनाए रखने की अपेक्षा से 22 जून 2006 से छूट प्रदान की : (i) भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 के अंतर्गत गणना किए अनुसार भारत में बैंकिंग प्रणाली की देयताएं और (ii) सी सी आइ एल के साथ सी बी एल ओ के लेनदेन। इसके अलावा, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 में किए गए संशोधन के एक भाग के रूप में उक्त अधिनियम की धारा 42 की उप धारा (1 बी) हटा दी गई। तदनुसार, उक्त अधिनियम लागू हो जाने पर राज्य सरकारी बैंकों द्वारा रखे गए नकदी आरक्षित निधि अनुपात शेषों पर रिज़र्व बैंक को किसी भी प्रकार का ब्याज नहीं देना होगा।

4.69 माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री महोदय ने 2005-06 के उनके बजट भाषण में टिप्पणी की थी कि चीनी उद्योग 2001 से वित्तीय दबावों में था और देश के कुछ भागों में दो वर्ष लगातार पड़े अकाल के कारण उनकी वित्तीय स्थिति बदतर हो गई थी। बजट भाषण में की गई घोषणा के फलस्वरूप, चीनी उद्योग को सहायता प्रदान करने के लिए योजना / पैकेज बनाने के लिए नाबार्ड द्वारा समिति का गठन किया गया था। उक्त समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट 23 जुलाई 2005 को प्रस्तुत की। तदनुसार, चीनी उद्योग की सहायता का पैकेज तैयार किया (बॉक्स IV.6)।

बॉक्स IV.6 : चीनी उद्योग हेतु सहायता पैकेज

चीनी उद्योग को सहायता पैकेज कार्यान्वित करने के लिए चीनी मिलों को निम्नलिखित दो श्रेणियों में बांटा गया :

श्रेणी 'क' : वे मिलें जो सावधि ऋण की चुकौती ब्याज और मूल धन के भुगतान की दो वर्ष की स्थगन अवधि सहित 5 वर्ष की अवधि के भीतर कर सकें ; और

श्रेणी 'ख': वे मिलें जो सावधि ऋण की चुकौती ब्याज और मूल धन के भुगतान की दो वर्ष की स्थगन अवधि सहित 5 वर्ष की अवधि के भीतर कर सकें।

देश में चीनी मिलों के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित पैकेज को अनुमोदन दिया गया :

- देश की सभी सहकारी चीनी मिलें जिनके पास 31 मार्च 2005 को सावधि ऋण शेष था और जो वाणिज्यिक रूप से सक्षम हैं और उक्त सावधि ऋण की चुकौती के लिए जिनके पास पर्याप्त परिचालनगत अधिशेष है, वे श्रेणी 'क' या श्रेणी 'ख' की श्रेणी में आएंगे।
- तदनुसार, सावधि ऋण का स्वरूप संशोधित किया जाएगा ताकि चुकौती पांच वर्ष (श्रेणी 'क' के लिए) या पंद्रह वर्ष (श्रेणी 'ख' के लिए) के भीतर की जा सके।
- उक्त संशोधित सावधि ऋण पर ब्याज दर 1 अप्रैल 2005 से कम करके 10 प्रतिशत वार्षिक की जाएगी। भलेही मूल संविदाबद्ध दर कुछ भी रही हो।
- भारत सरकार उक्त नए स्वरूप के ऋण पर ब्याज सहायता उपलब्ध कराएगी। ब्याज सहायता की अनुमानित राशि 525 करोड़ रुपए है।

ग्रामीण सहकारी ऋण ढांचे का पर्यवेक्षण

4.70 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 35 (6) के अंतर्गत निहित अधिकारों के अनुसरण में नाबार्ड क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों का निरीक्षण करता है। नाबार्ड द्वारा किए जाने वाले सांविधिक/ स्वैच्छिक निरीक्षणों की संख्या 2005-06 से बढ़ा दी गई। तदनुसार, न्यूनतम पूंजी आवश्यकताओं का अनुपालन न करने वाले जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का निरीक्षण वार्षिक आधार पर नाबार्ड करेगा। सकारात्मक निवल पूंजी वाले जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का सांविधिक निरीक्षण और साथ ही शीर्षस्थ सहकारी समितियों / महासंघों का स्वैच्छिक निरीक्षण दो वर्ष में एक बार किया जाना जारी रहेगा। वर्ष के दौरान, नाबार्ड ने 416 बैंकों (31 राज्य सहकारी बैंक, 265 जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक और 120 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक) का सांविधिक निरीक्षण और 18 राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों तथा एक शीर्षस्थ संस्था का स्वैच्छिक निरीक्षण किया।

4.71 राज्य सहकारी बैंकों और जिला मध्यवर्ती सहकारी बेंकों के पर्यवेक्षण संबंधी मामलों पर मार्गदर्शन और निदेश उपलब्ध कराने के लिए नाबार्ड द्वारा 1999 में गठित पर्यवेक्षण बोर्ड की 2004-05 में चार बार बैठकें हुईं। पर्यवेक्षण बोर्ड की द्वारा की जाने वाली समीक्षा में निम्नलिखित मदें शामिल हैं : (i) दिवालिया राज्य सहकारी बैंकों और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के कार्य; (ii) सहकारी ऋण संस्थाओं के राज्य वार कार्य; (iii) जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों द्वारा विवेक सम्मत मानदंडों का कार्यान्वयन; (iv) धोखाधड़ी, दुर्विनियोजन, गबन, खयानत; (v) राज्य सहकारी बैंकों और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के निदेशक मंडल के समक्ष रखी जाने वाली कार्यसूची; (vi) निरीक्षण के निष्कर्षों के आधार पर राज्य सहकारी बैंकों और राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों के कार्य; (vii) राज्य सहकारी बैंकों और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के विरुद्ध विनियामक कार्रवाई शुरू करने की सिफारिशों पर अनुवर्ती कार्रवाई; (viii) 25 प्रतिशत से अधिक किंतु 100 प्रतिशत से कम जमाराशि ह्रास वाले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों की वित्तीय स्थिति; (ix) निरीक्षण रणनीति - निरीक्षण का संदर्भ दिनांक और तदनंतर की गतिविधियों की व्याप्ति; और (x) सहकारी बैंकों के लिए जमाराशि बीमा कवर।

सहकारी संस्थाओं का प्रबंध

4.72 सहकारी बैंकों का प्रबंध विधिवत् चुने गए प्रबंध-बोर्ड द्वारा होना सुनिश्चित करने के नाबार्ड के प्रयासों के बावजूद चुने हुए प्रबंध-बोर्ड का अधिक्रमण होना जारी रहा। तथापि, मार्च 2005 के अंत की स्थिति के अनुसार अधिक्रमणाधीन बोर्डों की संख्या और अनुपात ग्रामीण सहकारी क्षेत्र के सभी घटकों में कम हो गया जिसका अपवाद राज्य सहकारी बैंक थे जहाँ 31 में से 14 बैंकों का अधिक्रमण हुआ (सारणी IV.15)।

ग्रामीण सहकारी बैंकों की रूपरेखा

4.73 ग्रामीण सहकारी बैंक अपनी बड़ी संख्या, क्षेत्रीय पहुंच और आस्तियों की उल्लेखनीय राशि के कारण वित्तीय क्षेत्र के महत्वपूर्ण घटक हैं। 31 मार्च 2005 को इन संस्थाओं के पास 3,25,170 करोड़ रुपए की आस्तियां, 1,46,321 करोड़ रुपए की जमाराशि और 1,89,407 करोड़ रुपए का ऋण संविभाग था। तथापि, उनके वित्तीय निष्पादन ने वित्तीय पहुंच में उनकी भूमिका की प्रभावशीलता के प्रति चिंता उभारी है। इन संस्थाओं में से लगभग एक-तिमाही को लाभ प्राप्त होने के बावजूद शेष संस्थाओं को हुई हानि के कारण 2004-05 के दौरान संचित हानि बढ़ गई। संस्था वार, अल्पावधि ढांचे के शीर्ष स्तर में लाभ हुआ, वहीं निम्न स्तर (अर्थात् प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां) पर समग्र हानि हुई। दीर्घावधि ढ़ाचे में इससे उलटी प्रवृत्ती थी। ग्रामीण सहकारी बैंकों की एनपीए और वसूली निष्पादन की समस्या, विशेषतः दीर्घावधि ढांचे और अल्पावधि ढांचे के निम्न-स्तर में, निरंतर बनी रही (सारणी IV.16)।

सारणी IV.15: पर्यवेक्षणाधीन चयनित बोर्ड

(मार्च 2005 के अंत में)

विवरण	रासबैं	जिमसबैं*	रासकृग्राविबैं	प्रासकृग्राविबैं	**कुल**
1	2	3	4	5	**6**
(i) संस्थाओं की कुल संख्या	31	367	20	727	**1,145**
(ii) संस्थाओं की संख्या जहाँ बोर्ड पर्यवेक्षणाधीन हैं	14	159	8	372	**553**
पर्यवेक्षणाधीन बोर्डों का प्रतिशत [(i) के प्रतिशत के रूप में (ii)]	**45.2**	**43.3**	**40.0**	**51.2**	**48.3**

*** :** रिपोर्टिंग बैंकों के ही मामले में।

स्रोत : नाबार्ड।

सारणी IV.16: ग्रामीण सहकारी ऋण संस्थाओं की प्रोफाइल *

(मार्च 2005 के अंत में)

(राशि करोड़ रुपए)

मद	अल्पावधि			दीर्घावधि		कुल
	रासबैं	जिमसबैं	प्राकृसस	रासकृग्राविबैं	प्रासकृग्राविबैं	
1	2	3	4	5	6	7
क. सहकारी बैंकों की संख्या	31	367	1,08,779	20	727	**1,09,924**
ख. तुलनपत्र संकेतक						
i) स्वाधिकृत निधि (पूंजी+आरक्षित)	9,495	20,495	9,197	5,022	3,494	**47,703**
ii) जमाराशि	44,316	82,098	18,976	566	365	**1,46,321**
iii) उधार	14,608	22,568	40,250	17,180	12,873	**1,07,479**
iv) जारी किए गए ऋण और अग्रिम	44,452	66,266	39,212	3,292	2,569	**1,55,791**
v) बकाया ऋण और अग्रिम	37,346	73,091	48,785	17,422	12,763	**1,89,407**
vi) कुल देयताएं/आस्तियां	71,806	1,33,331	75,407 **	24,271	20,355	**3,25,170**
ग. वित्तीय कार्य निष्पादन						
i) लाभ पानेवाली संस्थाएं						
क) संख्या	26	296	47,015	11	262	**47,610**
ख) हानि की राशि	328	1,379	728	81	665	**3,181**
ii) हानिग्रस्त संस्थाएं						
क) संख्या	4	71	61,323	9	465	**61,872**
ख) हानि की राशि	37	405	1,989	244	274	**2,949**
iii) समग्र लाभ /हानि (-)	291	974	-1,261	-163	391	**232**
iv) संचित हानि	274	4,723	उ.न.	1,098	2,313	**उ.न.**
घ. अनर्जक आस्तियां						
i) राशि	6,072	14,520	16,052 @	5,437	4,056	**46,138**
ii) बकाया ऋण के प्रतिशत के रूप में	16.3	19.9	33.6 #	31.3	31.9	**24.4**
iii) मांग की तुलना में ऋण की वसूली (%)	83.5	71.2	66.4	43.7	50.6	

उ.न. : उपलब्ध नहीं।

* : रिपोर्टिंग संस्थाओं पर आधारीत । @ : कुल अतिदेयता ।

** : कार्यशील पूंजी । # : मांग के प्रति अतिदेयता का प्रतिशत ।

स्रोत : नाबार्ड और नेफस्कोब

ग्रामीण सहकारी बैंक - अल्पावधि ढांचा

राज्य सहकारी बैंक

परिचालन

4.74 वर्ष 2004-05 के दौरान राज्य सहकारी बैंकों का मध्यम गति से बढ़ना जारी रहा। देयता पक्ष में, जमाराशि 1.9 प्रतिशत की निम्न दर बढ़ी, जबकि उधार तेजी से बढ़े। तथापि, आरक्षित भंडार और अधिशेष में तेज वृद्धि अच्छा संकेत था। आस्ति पक्ष में, ऋण और अग्रिम में वृद्धि बढ़ गई, वहीं निवेश संविभाग में 2004-05 के प्रवृत्ति के विपरीत कमी देखी गई (सारणी IV.17)।

वित्तीय निष्पादन

4.75 राज्य सहकारी बेंकों की निवल ब्याज आय पिछले वर्ष के 1,316 करोड़ रुपए से तेजी से बढ़कर 2004-05 में 1,558 करोड़ रुपए हो गई। तथापि, एक ओर अन्य आय में गिरावट और दूसरी ओर परिचालन व्यय में वृद्धि के कारण परिचालन लाभ कम हो गया। प्रावधान और प्रासंगिक व्यय घटने के बावजूद निवल लाभ भी घट गया (सारणी IV.18)। तथापि, 2003-04 में राज्य सहकारी बैंकों की संचित हानि 260 करोड़ रुपए से कुछ बढ़कर 274 करोड़ रुपए हो गई। सूचना देने वाले 31 राज्य सहकारी बैंकों में से 26 ने कुल 328 करोड़ रुपए का लाभ कमाया जबकि चार को 37 करोड़ की कुल हानि हुई। एक राज्य सहकारी बैंक ने न लाभ न हानि की सूचना दी (परिशिष्ट सारणी IV.6)।

आस्ति गुणवत्ता और वसूली निष्पादन

4.76 राज्य सहकारी बैंकों की समग्र एनपीए संपूर्ण और प्रतिशत दोनों ही संदर्भ में 2004-05 के दौरान घट गई, हालांकि 16.3 प्रतिशत पर कुल ऋण से एन पी ए का अनुपात निरंतर उच्च बना रहा। तथापि, संदिग्ध से हानि आस्तियों में भारी अंतरण हुआ। उच्च एनपीए और

सारणी IV.17: राज्य सहकारी बैंकों की देयताएं और आस्तियां

(राशि करोड़ रुपए)

मद	मार्च के अंत में		प्रतिशत में अंतर	
	2003-04	2004-05	2003-04	2004-05
1	2	3	4	5
देयताएं				
1. पूंजी	951 (1.4)	1,012 (1.4)	6.1	6.4
2. रिज़र्व	7,522 (11.1)	8,483 (11.8)	6.2	12.8
3. जमाराशियां	43,486 (64.1)	44,316 (61.7)	10.4	1.9
4. उधार	12,457 (18.4)	14,608 (20.3)	2.0	17.3
5. अन्य देयताएं	3,421 (5.0)	3,387 (4.7)	19.9	-1.0
कुल देयताएं / आस्तियां	**67,838 (100.0)**	**71,806 (100.0)**	8.7	5.8
आस्तियां				
1. नकदी और बैंक शेष	5,986 (8.8)	6,602 (9.2)	71.8	10.3
2. निवेश	22,187 (32.7)	23,289 (32.4)	13.0	5.0
3. ऋण और अग्रिम	35,105 (51.7)	37,346 (52.0)	1.0	6.4
6. अन्य आस्तियां	4,560 (6.7)	4,569 (6.4)	0.2	0.2

टिप्पणी : 1. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल में प्रतिशत दर्शाते हैं।
2. रिजर्व में लाभ-हानि लेखा में जमा शेष शामिल है जिसे कुछ बैंकों ने अलग से दर्शाया है।
3. जम्मू और कश्मीर तथा मणिपुर राज्य के सहकारी बैंको के 2004-05 वर्ष के आंकड़े पिछले वर्ष से दोहराए गए हैं।
4. आंकड़े अनंतिम हैं।

स्रोत : नाबार्ड।

सारणी IV.18: राज्य सहकारी बैंकों का वित्तीय कार्यनिष्पादन

(राशि करोड़ रुपए)

मद	2003-04	2004-05	प्रतिशत में अंतर	
			2003-04	2004-05
1	2	3	4	5
क. आय (i+ii)	**6,046 (100.0)**	**5,420 (100.0)**	**-2.4**	**-10.4**
i) ब्याज आय	5,314 (87.9)	5,039 (93.0)	-4.8	-5.2
ii) अन्य आय	732 (12.1)	380 (7.0)	18.9	-48.1
ख. व्यय (i+ii+iii)	**5,673 (100.0)**	**5,129 (100.0)**	**-0.9**	**-9.6**
i) व्यय किया गया ब्याज	3,998 (70.5)	3,481 (67.9)	-5.5	-12.9
ii) प्रावधान और आकस्मिक व्यय	1,204 (21.2)	1,164 (22.7)	20.0	-3.3
iii) परिचालन व्यय	471 (8.3)	484 (9.4)	-4.0	2.8
उनमें से : वेतन बिल	317 (5.6)	344 (6.7)	1.8	8.5
ग. लाभ				
i) परिचालन लाभ	1,577	1,455	7.1	-7.7
ii) निवल लाभ	373	291	-20.5	-22.1
घ. कुल आस्तियां	**67,838**	**71,806**	**8.7**	**5.8**

टिप्पणी : 1. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े संबंधित कुल में प्रतिशत दर्शाते हैं।
2. जम्मू और कश्मीर तथा मणिपुर के राज्य सहकारी बैंको के 2004-05 के आंकड़े पिछले वर्ष से दोहराए गए हैं।
3. आंकड़े अनंतिम हैं।

स्रोत : नाबार्ड।

प्रावधानीकरण अपेक्षा को कम करने के लिए वसूली निष्पादन में सुधार आवश्यक है। पूर्ववर्ती वर्षों के अनुरूप, राज्य सहकारी बैंकों ने 2004-05 के दौरान प्रावधानीकरण अपेक्षाएं पूरी कीं (सारणी IV.19)।

क्षेत्रीय दिशाएं

4.77 छब्बीस राज्य सहकारी बैंक लाभ की स्थिति में थे, जबकि चार को हानि हुई। 2003-04 के दौरान पंद्रह राज्य सहकारी बैंकों को उच्च लाभ हुआ, जबकि नौ (चंडीगढ़, पंजाब, अंदमान और निकोबार, बिहार, प. बंगाल, गोवा, महाराष्ट्र और केरल राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों में) को कम लाभ हुआ। जम्मू और कश्मीर तथा मणिपुर राज्य सहकारी बैंक को 2004-05 के दौरान भी 2003-04 जैसा ही लाभ हुआ। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक को गत वर्ष हुए कुछ लाभ की तुलना में 2004-05 के दौरान हानि हुई। उत्तर-पूर्वी क्षेत्र (असम, नगालैंड और त्रिपुरा) में तीन राज्य सहकारी बैंकों को हानि हुई (परिशिष्ट सारणी IV.6)।

4.78 मार्च 2005 के अंत की स्थिति के अनुसार राज्य सहकारी बैंकों के एन पी ए में राज्य वार बहुत भिन्नता थी। हरियाणा, राजस्थान और पंजाब जैसे कुछ राज्यों में एन पी ए 3.0 प्रतिशत से कम थे, जबकि कुछ अन्य राज्यों (अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर और नगालैंड) में 50 प्रतिशत से अधिक थे। 31 राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों में से मात्र 9 में एन पी ए अनुपात 10 प्रतिशत से कम था। राज्य सहकारी बैंकों की वसूली दर में भी राज्य वार बहुत भिन्नता

सारणी IV.19: राज्य सहकारी बैंकों की आस्ति गुणवत्ता

(राशि करोड़ रुपए)

मद	मार्च के अंत में		प्रतिशत में अंतर	
	2004	2005	2003-04	2004-05
1	2	3	4	5
क. आस्ति वर्गीकरण कुल अनर्जक आस्तियां (i+ii+iii)	**6,548** **(100.0)**	**6,072** **(100.0)**	**3.6**	**-7.3**
i) अवमानक	3,288 (50.2)	2,961 (48.8)	-7.5	-9.9
ii) संदिग्ध	3,010 (46.0)	1,975 (32.5)	18.8	-34.4
iii) हानि आस्तियां	250 (3.8)	1,136 (18.7)	6.4	354.4
ख. ऋण की तुलना में अनर्जक आस्तियों का अनुपात	**18.7**	**16.3**		
ज्ञापन मद:				
i) मांग की तुलना में वसूली	83.3	83.5		
ii) अपेक्षित प्रावधान	3,435	2,806	11.3	-19.5
iii) किया गया प्रावधान	3,696	2,982	15.5	-20.2

टिप्पणी : 1. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल का प्रतिशत दर्शाते हैं।
2. आंकड़े अनंतिम हैं।

स्रोत : नाबार्ड ।

थी। हरियाणा, केरल, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान और तमिलनाडु में कार्यरत राज्य सहकारी बैंकों ने 2004-05 के दौरान 90 प्रतिशत से अधिक वसूली की। तथापि, अरूणाचल प्रदेश, असम, जम्मू और कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, नगालैंड, त्रिपुरा और बिहार जैसे अनेक राज्यों में वसूली दर 50 प्रतिशत से कम थी (परिशिष्ट सारणी IV.6)।

जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक

परिचालन

4.79 जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के कारोबार के परिचालनों में 2004-05 के दौरान कम वृद्धि हुई। देयता पक्ष में, जमाराशि की वृद्धि कम हो गई, वहीं उधार में तेज वृद्धि हुई। तथापि, निवल स्वाधिकृत निधि में कुछ वृद्धि हुई। आस्ति पक्ष में, ऋणों और अग्रिमों में अच्छी वृद्धि हुई, जबकि निवेश संविभाग में बहुत कम दर पर वृद्धि हुई (सारणी IV.20)।

वित्तीय निष्पादन

4.80 ऊपरी ढांचे के विपरीत, एक ओर आय वृद्धि, विशेषतः ब्याजेतर आय, में वृद्धि और दूसरी ओर व्यय में कमी के कारण जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के वित्तीय निष्पादन में बहुत सुधार

सारणी IV.20: जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंको की देयताएं और आस्तियां

(राशि करोड़ रुपए)

मद	मार्च के अंत मे		प्रतिशत में अंतर	
	2004	2005	2003-04	2004-05
1	2	3	4	5
देयताएं				
1. पूंजी	3,897 (3.1)	4,342 (3.3)	6.6	11.4
2. रिजर्व	15,234 (12.1)	16,155 (12.1)	15.6	6.0
3. जमाराशियां	79,153 (63.0)	82,098 (61.6)	7.1	3.7
4. उधार	20,256 (16.1)	22,568 (16.9)	3.1	11.4
5. अन्य देयताएं	7,145 (5.7)	8,168 (6.1)	0.5	14.3
कुल देयताएं / आस्तिया	**1,25,685** **(100.0)**	**1,33,331** **(100.0)**	**7.0**	**6.1**
आस्तियां				
1. नकदी और बैंक शेष	7,689 (6.1)	8,676 (6.5)	5.2	12.8
2. निवेश	35,180 (28.0)	35,830 (26.9)	13.1	1.8
3. ऋण और अग्रिम	67,152 (53.4)	73,091 (54.8)	4.6	8.8
6. अन्य आस्तियां	15,664 (12.5)	15,735 (11.8)	5.4	0.5

टिप्पणी : 1. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल में प्रतिशत दर्शाते हैं।
2. रिजर्व में लाभ-हानि खाते के जमा शेष शामिल है जिसे कुछ बैंकों ने अलग से दर्शाया है।
3. जम्मू और कश्मीर राज्य के 2004-05 वर्ष के आं कड़े पिछले वर्ष से दोहराए गए हैं।
4. आंकड़े अनंतिम हैं।

स्रोत : नाबार्ड।

आया। तथापि, व्यय में कमी पूर्णतः प्रावधान और प्रासंगिक व्यय में कमी के कारण थी (सारणी IV.21)। लाभ में वृद्धि के परिणामतः संचित हानि 2003-04 के 5,126 करोड़ रुपए से कम होकर 2004-05 में 4,723 करोड़ रुपए रह गई।

आस्ति गुणवत्ता और वसूली निष्पादन

4.81 वर्ष 2004-05 के दौरान जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के एन पी ए संपूर्ण और सापेक्ष दोनों संदर्भों में तेजी से घट गए। उसी समय, वसूली निष्पादन भी सुधरा। तथापि, भारी आस्ति गिरावट, मुख्यतः डूबंत आस्तियों में, भी देखी गई। किए गए प्रावधान 2003-04 के 6,900 करोड़ रुपए से बढ़कर 2004-05 में 11,387 करोड़ रुपए हो गए (सारणी IV.22)।

सारणी IV.21: जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों का वित्तीय कार्यनिष्पादन

(राशि करोड़ रुपए)

मद	2003-04	2004-05	प्रतिशत में अंतर	
			2003-04	2004-05
1	2	3	4	5
क. आय (i+ii)	**11,912 (100.0)**	**12,737 (100.0)**	**-1.4**	**6.9**
i) ब्याज आय	11,023 (92.5)	11,427 (89.7)	-2.4	3.7
ii) अन्य आय	888 (7.5)	1,310 (10.3)	11.8	47.5
ख. व्यय (i+ii+iii)	**11,804 (100.0)**	**11,763 (100.0)**	**-4.5**	**-0.3**
i) व्यय किया गया ब्याज	7,318 (62.0)	7,409 (63.0)	-6.3	1.2
ii) प्रावधान और आकस्मिक खर्च	2,414 (20.5)	2,124 (18.1)	-6.1	-12.0
iii) परिचालन खर्च	2,071 (17.5)	2,230 (19.0)	5.1	7.7
उनमें से : वेतन बिल	1,526 (12.9)	1,607 (13.7)	4.0	5.3
ग. लाभ				
i) परिचालन लाभ	2,522	3,098	9.5	22.8
ii) निवल लाभ	108	974	-140.3	801.9
घ. कुल आस्तियां	**1,25,685**	**1,33,331**	**7.0**	**6.1**

टिप्पणी : 1. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े संबंधित कुल का प्रतिशत दर्शाते हैं।
2. जम्मू और कश्मीर राज्य के 2004-05 वर्ष के आंकड़े पिछले वर्ष से दोहराए गए है।
3. आंकड़े अनंतिम हैं।

स्रोत : नाबार्ड।

सारणी IV.22: जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की आस्ति गुणवत्ता

(राशि करोड़ रुपए)

मद	मार्च के अंत में		प्रतिशत में अंतर	
	2004	2005	2003-04	2004-05
1	2	3	4	5
क. आस्ति वर्गीकरण कुल अनर्जक आस्तियां (i+ii+iii)	**16,144 (100.0)**	**14,520 (100.0)**	**17.0**	**-10.1**
i) अवमानक	8,428 (52.2)	6,468 (44.5)	11.3	-23.3
ii) संदिग्ध	6,068 (37.6)	6,053 (41.7)	23.2	-0.2
iii) हानि आस्तियां	1,648 (10.2)	1,999 (13.8)	26.7	21.3
ख. ऋण की तुलना में अनर्जक आस्तियों का अनुपात	**24.0**	**19.9**		
ज्ञापन मद:				
i) **मांग की तुलना में वसूली**	62.9	71.2		
ii) **अपेक्षित प्रावधान**	6,297	8,678	5.8	37.8
iii) **किया गया प्रावधान**	6,900	11,387	8.1	65.0

टिप्पणी : 1. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल का प्रतिशत दर्शाते हैं ।
2. आंकड़े अनंतिम हैं।

स्रोत : नाबार्ड ।

क्षेत्रीय दिशाएं

4.82 वर्ष 2004-05 के दौरान, सुचनादाता 367 जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों में से 296 को 1,376 करोड़ का लाभ हुआ, जबकि 71 को 405 करोड़ रुपए हानि हुई। 19 राज्यों में से 16 में कार्यरत जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को लाभ हुआ, जबकि एक में कार्यरत को हानि हुई। 2004-05 के दौरान लाभ होने वाले जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की संख्या राजस्थान, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़,मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में बढ़ी। छत्तीसगढ़ के मामले में, लाभ होने वाले जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की संख्या बढ़ी, वहीं अर्जित लाभ की राशि कम हो गई। हानि हो रहे जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की संख्या महाराष्ट्र में बढ़ी जबकि उन्हें हुई कुल हानि की राशि राजस्थान, उत्तरांचल, पश्चिम बंगाल, केरल तथा उत्तर प्रदेश के सिवाय अन्य सभी राज्यों में कम हो गई (परिशिष्ट सारणी IV.7)।

4.83 मार्च 2005 के अंत की स्थिति के अनुसार जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के संबंध में एन पी ए अनुपात राज्य वार 5.2 प्रतिशत से 69.2 प्रतिशत के दायरे में भिन्न था। मात्र तीन राज्यों (पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश) में एन पी ए अनुपात 10 प्रतिशत से कम था, जबकि झारखंड (69.2 प्रतिशत) में अधिकतम था, जिसके बाद बिहार (57.0 प्रतिशत) का स्थान था। अखिल भारतीय स्तर पर, जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों का वसूली निष्पादन 62.9 प्रतिशत से बढ़कर 2004-05 में 71.2 प्रतिशत हो गया। जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों ने सभी राज्यों में वसूली सुधारी। तथापि, पारंपरिक रूप से कम एन पी ए वाले कुछ राज्यों, यथा हिमाचल प्रदेश, पंजाब और उत्तरांचल में एन पी ए बढ़ गया। पहले से ही उच्च एन पी ए स्तर वाले झारखंड और कर्नाटक जैसे कुछ अन्य राज्यों में एनपीए में वर्ष के दौरान और भी वृद्धि हुई। हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, केरल और तमिलनाडु जैसे कुछ राज्यों में 2004-05 के दौरान वसूली दर 80 प्रतिशत से अधिक थी (परिशिष्ट सारणी IV.7)।

प्राथमिक कृषि ऋण समितियां

4.84 प्राथमिक कृषि ऋण समितियां ग्रामीण सहकारी बैंकों के अल्पावधि ढ़ांचे का निचला स्तर बनाती हैं। विभिन्न प्रयोजनों हेतु मुख्यतः समितियों के रुप में गठित अनेक प्राथमिक कृषि ऋण

समितियों के पास काफी जमाराशियां हैं और वे वित्तीय मध्यस्थ के रुप में, विशेषतः देश के कुछ विशेष भागों में, कार्यरत हैं। प्राथमिक कृषि ऋण समितियां किसानों से सीधा संपर्क करती हैं, अल्पावधि और मध्यावधि ऋण देती हैं, कृषि निविष्टियों की आपूर्ति करती हैं, उपभोक्ता वस्तुएं वितरीत करती हैं और अपने सदस्यों के उत्पादों की सहकारी मार्केटिंग समितियों के माध्यम से मार्केटिंग की व्यवस्था करती हैं। प्राथमिक कृषि ऋण समितियों की संख्या पिछले वर्ष के 105,735 से बढ़कर 2004-05 में 108,779 हो गई। तथापि, उनकी सदस्यता 5.9 प्रतिशत कम होकर 127 मिलियन रह गई। 45 मिलियन उधारकर्ता सदस्य कुल सदस्यता के 35.4 प्रतिशत थे जो पिछले वर्ष 37.9 प्रतिशत थे। प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के उधारकर्ता सदस्य समग्र तथा कुल सदस्यता के संदर्भ में कम हो गए जिसका कारण था ऋण चुकौती में अधिक चूक जिससे सदस्य भावी उधारों के लिए पात्र नहीं रह जाते और कमज़ोर प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को अपने उच्च स्तर से पुनर्वित्त नहीं मिलता है (सारणी IV.23)।

परिचालन

4.85 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के कुल संसाधन और कार्यशील पूंजी 2004-05 के दौरान तेज गति से बढ़ी। कार्यशील पूंजी में तेज वृद्धि मुख्यतः उधारों और स्वाधिकृत निधि से अंशदान लेकर की गई। पिछले वर्ष की प्रवृत्ति को उलटते हुए जमाराशियों में कम वृद्धि हुई। आस्ति पक्ष में, कुल ऋण 11.7 प्रतिशत बढ़े जिसका मुख्य कारण मध्यावधि ऋण में तेज वृद्धि था। इससे कुल बकाया ऋणों में तेज वृद्धि हुई। उधारकर्ता सदस्यों की संख्या घटनेक के बावजूद, पात्र उधारकर्ताओं की सीमाएं बढ़ने से कुल ऋणों और अग्रिमों में वृद्धि हुई (सारणी IV.24)।

सारणी IV.23: प्राथमिक कृषि ऋण समितियां-सदस्यता

मद	मार्च के अंत में	
	2004	2005
1	2	3
1. समितियों की संख्या	1,05,735	1,08,779
2. कुल सदस्यता (मिलियन में)	135.41	127.41
जिसमें से:		
क) अनु. जाति	30.61	30.93
ख) अनु. जनजाति	11.89	11.80
3. उधारकर्ताओं की कुल संख्या *(मिलियन में)*	51.27	45.07
जसमें से:		
क) अनु. जाति	6.49	7.25
ख) अनु. जनजाति	3.44	3.46
4. कुल कर्मचारियों की संख्या	3,47,176	3,88,118

टिप्पणी : आंकड़े अनंतिम हैं।
स्रोत : नेफस्कोब।

वित्तीय निष्पादन

4.86 वर्ष 2004-05 के दौरान 47,015 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को 728 करोड़ रुपए का लाभ हुआ जबकि 61,323 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को 1,989 करोड़ रुपए की हानि हुई। इस प्रकार, प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को एक समूह के रूप में 1,261 करोड़ रुपए की हानि हुई। 2004-05 के दौरान कुल मांग में कमी आई, वहीं कुल संग्रह में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। कुल अतिदेय, कुल के संदर्भ में और मांग की तुलना में घट गए। तथापि, कुल मांग के प्रतिशत के रूप में अतिदेय में हाल के वर्षों में निरंतर गिरावट आई है जो सुधरा हुआ वसूली निष्पादन दर्शाती हैं (सारणी IV.24)।

सारणी IV.24: प्राथमिक कृषि ऋण समितियां - चुनिंदा संकेतक

(राशि करोड़ रुपए)

मद	मार्च के अंत में		प्रतिशत में अंतर	
	2004	2005	2003-04	2004-05
1	2	3	4	5
क. देयताएं				
1. कुल संसाधन (2+3+4)	60,797	68,423	5.6	12.5
2. स्वाधिकृत निधियां (क+ख)	8,397	9,197	2.4	9.5
क. प्रदत्त पूंजी	5,166	5,571	4.3	7.8
जिसमें से:				
सरकार का अंशदान	630	621	1.8	-1.4
ख. कुल रिज़र्व	3,231	3,626	-0.4	12.2
3. जमाराशियां	18,143	18,976	-5.1	4.6
4. उधार	34,257	40,250	13.1	17.5
5. कार्यशील पूंजी	62,047	75,407	1.5	21.5
ख. आस्तियां				
1. कुल जारी ऋण (क+ख)*	35,119	39,212	3.3	11.7
क) अल्पावधि	29,326	31,887	7.8	8.7
ख) मध्यावधि	5,793	7,325	-14.8	26.4
2. कुल बकाया ऋण (क+ख)	43,873	48,785	3.4	11.2
क) अल्पावधि	30,808	32,481	5.8	5.4
ख) मध्यावधि	13,065	16,304	-1.8	24.8
ग. अतिदेय राशि				
1. कुल मांग	44,237	47,785	9.7	8.0
2. कुल वसूली	27,942	31,733	11.5	13.6
3. कुल शेष (अतिदेय) (क+ख)	16,295	16,052	6.6	-1.5
क) अल्पावधि	12,279	11,656	6.1	-5.1
ख) मध्यावधि	3,918	4,396	5.3	12.2
4. कुल मांग में अतिदेय का प्रतिशत	36.8	33.6		

* : वर्ष के दौरान. + : वर्ष के प्रारंभ में
टिप्पणी : आंकड़े अनंतिम हैं।
स्रोत : नेफस्कोब

क्षेत्रीय दिशाएं

4.87 प्राथमिक कृषि ऋण समितियां मुख्यतः देश के पश्चिमी तथा पूर्वी क्षेत्रों में संकेंद्रित थीं। उत्तर पूर्वी और मध्यवर्ती क्षेत्र तुलनात्मक रूप से कम सेवा प्राप्त हैं। औसतन, मार्च 2005 के अंत में देश में सात गांवों में एक प्राथमिक कृषि ऋण समिति थी। तथापि, दक्षिणी और पूर्वी क्षेत्रों में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों की सदस्यता और उधारकर्ता सदस्यता अधिक थी। दक्षिणी क्षेत्र की प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का औसत आकार अन्य क्षेत्रों की तुलना में बहुत बड़ा था। केरल और तमिलनाडु में कार्यरत प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के प्रबंध के अधीन की कुल निधि क्रमशः 587 लाख रुपए और 332 लाख रुपए पर बहुत अधिक थी (सारणी IV.25 और परिशिष्ट सारणी IV.8)।

सारणी IV.25: प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के राज्यवार चुनिंदा संकेतक – 2004-05

क्रम सं.	राज्य/ क्षेत्र	प्राकृसस की संख्या	ग्रामों की संख्या	औसत जमाराशियां (लाख रुपए)	कार्यशील पूंजी (लाख रुपए)	लाभ प्राप्त समितियां*		हानिग्रस्त समितियां*	
						संख्या	राशि (लाख रुपए)	संख्या	राशि (लाख रुपए)
1		2	3	4	5	6	7	8	9
उत्तरी क्षेत्र		**14,997**	**91,238**	**10.7**	**11,10,885**	**8,334**	**17,915**	**6,230**	**9,605**
1.	चंडीगढ़	32	22	0.2	18	15	–	17	–
2.	दिल्ली	–	–	–	–	–	–	–	–
3.	हरियाणा	2,433	7,093	11.1	4,26,334	1,517	8,219	916	2,053
4.	हिमाचल प्रदेश	2,089	19,388	27.6	83,883	449	980	1,640	79
5.	जम्मू और कश्मीर	807	7,146	0.1	7,178	173	40	201	752
6.	पंजाब	3,985	12,428	15.4	3,51,688	2,256	4,236	1,729	2,335
7.	राजस्थान	5,651	45,161	2.6	2,41,784	3,924	4,440	1,727	4,385
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र		**3,628**	**32,045**	**2.2**	**79,413**	**490**	**8,081**	**3,138**	**11,306**
8.	अरुणाचल प्रदेश	31	3,649	5.0	1,636	20	25	11	8
9.	असम	809	23,422	1.1	7,533	309	7,639	500	9,909
10.	मणिपुर	186	उ.न.	1.0	45,904	–	–	186	201
11.	मेघालय	179	2,458	0.4	780	70	7	109	16
12.	मिजोरम	165	660	0.1	175	20	70	145	9
13.	नागालैंड	1,719	969	3.7	11,246	–	–	1,719	उ.न.
14.	सिक्किम	–	–	–	–	–	–	–	–
15.	त्रिपुरा	539	887	0.2	12,139	71	341	468	1,163
पूर्वी क्षेत्र		**29,182**	**2,70,859**	**11.1**	**9,13,314**	**14,634**	**2,788**	**14,548**	**15,633**
16.	अंदमान और निकोबार द्वीप	46	204	0.4	195	9	3	37	2
17.	बिहार	5,936	45,097	0.8	47,655	1,120	507	4,816	6,416
18.	झारखंड	208	3,611	6.1	1,523	60	91	148	N.A.
19	उड़ीसा	4,036	44,811	56.3	4,94,987	1,380	853	2,656	6,931
20.	पश्चिमी बंगाल	18,956	1,77,136	4.7	3,68,954	12,065	1,335	6,891	2,285
मध्य क्षेत्र		**15,329**	**1,95,555**	**3.8**	**5,50,813**	**7,425**	**9,407**	**7,904**	**13,595**
21.	छत्तीसगढ़	1,368	21,546	6.8	64,924	805	1,081	563	1,330
22.	मध्य प्रदेश	4,586	55,305	8.6	3,48,132	1,873	6,445	2,713	12,076
23.	उत्तरांचल	446	5,900	6.6	11,830	211	107	235	37
24.	उत्तर प्रदेश	8,929	1,12,804	0.8	1,25,927	4,536	1,774	4,393	153
पश्चिमी क्षेत्र		**30,332**	**57,907**	**1.0**	**13,25,382**	**12,138**	**20,817**	**18,194**	**47,700**
25.	गोवा	255	1,123	11.2	14,176	60	32	195	29
26.	गुजरात	9,093	17,478	1.7	3,98,475	4,983	9,191	4,110	8,835
27.	महाराष्ट्र	20,984	39,306	0.6	9,12,731	7,095	11,593	13,889	38,836
दक्षिणी क्षेत्र		**15,303**	**80,306**	**85.6**	**35,60,870**	**3,994**	**13,794**	**11,309**	**1,01,066**
28.	आंध्र प्रदेश	4,512	30,715	16.9	5,56,967	1,103	3,686	3,409	16,743
29.	कर्नाटक	4,051	28,513	19.1	3,17,783	1,227	2,688	2,824	8,577
30.	केरल	1,796	1,714	464.3	10,53,498	728	3,321	1,068	13,115
31.	पांडचेरी	52	264	83.0	6,435	17	1	35	5
32.	तमिलनाडु	4,892	19,100	65.1	16,26,187	919	4,099	3,973	62,626
अखिल-भारत कुल		**1,08,779**	**7,27,911**	**17.4**	**75,40,741**	**47,015**	**72,802**	**61,323**	**1,98,905**

– : शून्य/नगण्य उ.न. : उपलब्ध नहीं

* : प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों की रिपोर्टिंग पर आधारित।

टिप्पणी : आंकड़े अनंतिम हैं।

स्रोत : नेफस्कोब।

4.88 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसीएस) द्वारा धारित कुल जमाराशियों में दक्षिणी क्षेत्र का हिस्सा लगभग 69.0 प्रतिशत था, जबकि पूर्वी क्षेत्र का हिस्सा 17.0 प्रतिशत था। केरल में पीएसीएस द्वारा धारित औसत जमाराशि 464 लाख रुपए पर बहुत अधिक थी क्योंकि दूसरे स्थान पर रही केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी की पीएसीएस द्वारा धारित औसत जमाराशि 83.0 लाख रुपए पर तुलनात्मक रूप से बहुत कम थी। अधिकांश पीएसीएस द्वारा संग्रहित औसत जमाराशि अधिक नहीं थी।

4.89 उत्तरी, पूर्वी और मध्यवर्ती क्षेत्र में लाभ प्राप्त करने वाली पीएसीएस की संख्या हानि उठा रही पीएसीएस से अधिक थी। तथापि, सभी क्षेत्रों में कुल मिलाकर हानि उठा रही पीएसीएस को हुई हानि से लाभ में कार्यरत पीएसीएस द्वारा अर्जित लाभ का मूल्य कम हो गया। लाभ में कार्यरत पीएसीएस की संख्या और उनके द्वारा अर्जित लाभ, हानि में कार्यरत पीएसीएस से (संख्या और राशि दोनों के संदर्भ में) ग्यारह राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों, (यथा चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, झारखंड, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश और गुजरात) में अधिक था। लाभ प्राप्त कर रही पीएसीएस की संख्या पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ में अधिक थी, वहीं इन राज्यों में पीएसीएस को हुई हानि से कुल मिलाकर लाभ कम हो गया जिससे सभी पीएसीएस को समग्रतः हानि हुई। दूसरी ओर, केंद्र शासित प्रदेश अंदमान और निकोबार द्वीप और गोवा राज्य में कुछ ही पीएसीएस का लाभ, हानि उठा रही पीएसीएस की भारी संख्या पर प्रभावी हो गया जिससे इन केंद्र शासित प्रदेशों / राज्यों में समग्र लाभ हुआ (सारणी IV.25 और परिशिष्ट सारणी IV.8)।

4.90 31 मार्च 2005 की स्थिति के अनुसार, 108,779 पीएसीएस में से 66,756 (61.4 प्रतिशत) व्यवहार्य, 32,614 (30.0 प्रतिशत) संभाव्य रूप से व्यवहार्य, 4,741 (4.4 प्रतिशत) निष्क्रिय और 2,033 (1.9 प्रतिशत) मृतप्राय 2,635 (2.4 प्रतिशत) अन्य थीं। व्यवहार्यता की समस्या उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में अति गंभीर थी जहाँ लगभग 33.4 प्रतिशत पीएसीएस निष्क्रिय / मृतप्राय थीं। तथापि, उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के निष्पादन में भारी भिन्नता थी। पश्चिमी क्षेत्र में व्यवहार्य पीएसीएस का उच्चतम हिस्सा था जहाँ महाराष्ट्र में पीएसीएस को उच्च निष्पादन की सहायता प्राप्त थी (परिशिष्ट सारणी IV.8)।

ग्रामीण सहकारी बैंक - दीर्घावधि ढांचा

स्वरूप, विस्तार और विकास

4.91 मार्च 2005 के अंत की स्थिति के अनुसार, दीर्घावधि सहकारी ऋण ढांचे में 20 राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक शामिल थे। इनमें से आठ शाखाओं सहित एकल स्वरूप वाले; 727 प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों से संबद्ध बारह केंद्रीय / मिश्रित स्वरुप के थे। 864 शाखाओं वाले 20 राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों में से 8 शाखाओं सहिय एकल स्वरूप वाले थे जबकि 12 केंग्रीय/मिश्र स्वरूप के थे। दीर्घावधि ढांचे के सेवा से वंचित राज्यों में, राज्य सहकारी बैंकों के अलग सेक्शन दीर्घावधि ऋण आवश्यकताओं पर ध्यान देते हैं। उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में, मात्र तीन राज्य (असम, मणिपुर और त्रिपुरा) में दीर्घावधि ढांचा था। हरियाणा में 47 प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों के नौ जिला प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों में समामेलन और उड़ीसा में तीन प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों के विलय के कारण परिचालनगत प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों की संख्या 2004 के 766 से कम होकर 2005 में 727 रह गई। दो प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों का 2005 के दौरान परिसमापन हो गया जिससे उड़ीसा में कार्यरत प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों की संख्या 2004 के 53 से कम होकर 2005 में 51 रह गई (एक प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक को छोड़कर जिसकी जानकारी प्राप्त नहीं हुई)। इसके अलावा, दो नए प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों ने केरल में कार्य प्रारंभ किया।

राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

परिचालन

4.92 राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों के कारोबारीय परिचालनों में 2004-05 के दौरान कम वृद्धि हुई। राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों की निधि का मुख्य स्रोत उधार है जो 2004-05 में कम बढ़ा। तथापि, राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों की निवल स्वाधिकृत निधि तेजी से बढ़ी। आस्ति पक्ष में, 2004-05 में ऋण तथा अग्रिम में 7.1 प्रतिशत वृद्धि हुई, जबकि निवेश तेजी से घट गए (सारणी IV.26)।

वित्तीय निष्पादन

4.93 राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों का वित्तीय निष्पादन 2004-05 के दौरान और खराब हो गया। निवल ब्याज आय 2003-04 के 604 करोड़ रुपए से 2004-05 में बढ़कर 729 करोड़ रुपए हो गई। अन्य आय और व्यय समान बना रहा। ऐसी ही बढ़त के कारण राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों के परिचालन लाभ में निवल ब्याज आय में वृद्धि दिखी। तथापि, वर्ष के दौरान के उच्च प्रावधानों के कारण पिछले वर्ष की निवल हानि के शीर्ष स्तर से इस वर्ष निवल हानि हुई।तथापि, उनका कुल लाभ कम हो गया, जबकि हानि उठा रहे शेष नौ राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों की हानि और भी बढ़ गई (सारणी IV.27)। 10 राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों को लाभ प्राप्त हुआ जबकि 9 को हानि हुई और 1 ने लाभ/हानि दर्ज नहीं कराई (परिशिष्ट सारणी IV.9)। परिणामतः, संचित हानि मार्च 2004 के अंत के 856 करोड़ रुपए से बढ़कर मार्च 2005 के अंत में 1,098 करोड़ रुपए हो गई।

आस्ति गुणवत्ता और वसूली निष्पादन

4.94 राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों के समग्र एन पी ए कुल के संदर्भ में और संपूर्ण ऋण संविभाग की तुलना में 2004-05 के

सारणी IV.26: राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की देयताएं और आस्तियां

(राशि करोड़ रुपए)

मद	मार्च के अंत में		प्रतिशत में अंतर
	2004	2005	2004-05
1	2	3	4
देयताएं			
1. पूंजी	764	792	3.7
	(3.3)	(3.3)	
2. रिजर्व	3,639	4,230	16.2
	(15.6)	(17.4)	
3. जमाराशियां	524	566	8.0
	(2.2)	(2.3)	
4. उधार	16,933	17,180	1.5
	(72.4)	(70.8)	
5. अन्य देयताएं	1,526	1,504	-1.4
	(6.5)	(6.2)	
कुल देयताएं / आस्तियां	**23,385**	**24,271**	**3.8**
	(100.0)	**(100.0)**	
आस्तियां			
1. नकदी और बैंक शेष	675	360	-46.7
	(2.9)	(1.5)	
2. निवेश	2,309	1,905	-17.5
	(9.9)	(7.8)	
3. ऋण और अग्रिम	16,263	17,422	7.1
	(69.5)	(71.8)	
4. अन्य आस्तियां	4,138	4,584	10.8
	(17.7)	(18.9)	

टिप्पणी : 1. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल में प्रतिशत दर्शाते हैं।
2. रिजर्व में लाभ-हानि खाते के प्रावधान एवं जमा शेष शामिल हैं।
3. जम्मू और कश्मीर राज्य के आंकड़े 2004 से एवं मणिपुर के आंकड़े 2002 से दोहराए गए हैं।
4. आंकड़े अनंतिम हैं।

स्रोत : नाबार्ड।

सारणी IV.27: राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का वित्तीय कार्यनिष्पादन

(राशि करोड़ रुपए)

मद	2003-04	2004-05	प्रतिशत में अंतर
			2004-05
1	2	3	4
क. आय (i+ii)	**2,083**	**2,145**	**3.0**
	(100.0)	**(100.0)**	
i) ब्याज आय	2,048	2,100	2.5
	(98.3)	(97.9)	
ii) अन्य आय	35 45	28.6	
	(1.7)	(2.1)	
ख. व्यय (i+ii+iii)	**2,201**	**2,308**	**4.8**
	(100.0)	**(100.0)**	
i) व्यय किया गया ब्याज	1,444	1,371	-5.1
	(65.6)	(59.4)	
ii) प्रावधान और आकस्मिक व्यय	551	727	31.9
	(25.0)	(31.5)	
iii) परिचालन व्यय	206	209	1.5
	(9.4)	(9.1)	
उनमें से : वेतन बिल	162	165	1.9
	(7.4)	(7.2)	
ग. लाभ			
i) परिचालन लाभ	433	564	30.4
ii) निवल लाभ	-119	-163	37.1
घ. कुल आस्तियां	**23,385**	**24,271**	**3.8**

टिप्पणी : 1. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल का प्रतिशत दर्शाते हैं।
2. जम्मू तथा काश्मीर के आंकड़े 2003-04 से एवं मणिपुर के आंकड़े 2001-02 से दोहराए गए हैं।
3. आंकड़े अनंतिम हैं।

स्रोत : नाबार्ड।

दौरान बढ़ गए। तथापि, उनके अधिकांश एन पी ए अवमानक और संदिग्ध श्रेणी के थे, जबकि समग्र एन पी ए में हानि आस्तियां बहुत कम थीं। राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों का वसूली निष्पादन बहुत साधारण था और आस्ति गुणवत्ता खराब होती जाने से 2004-05 के दौरान उच्च प्रावधानीकरण आवश्यक हो गया (सारणी IV.28)।

क्षेत्रीय दिशाएं

4.95 दस राज्यों में कार्यरत राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों को लाभ हुआ जबकि नौ राज्यों में उन्हें हानि हुई । पांच राज्यों (राजस्थान, असम, केरल, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश) में राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों को हुए लाभ में वर्ष के दौरान सुधार हुआ। पांडिचेरी के राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों की स्थिति में सुधार हुआ और 2004-05 के दौरान उसे लाभ हुआ जबकि हरियाणा राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक को हानि हुई जिसे पिछले वर्ष लाभ हुआ था। राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों का लाभ चार राज्यों (हिमाचल प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल और गुजरात) में कम हो गया। राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों की हानि दो राज्यों (कर्नाटक और उड़ीसा) में कम हो गई, वहीं चार राज्यों (त्रिपुरा, बिहार, महाराष्ट्र और तमिलनाडु) में बढ़ गई (परिशिष्ट सारणी IV.9)।

4.96 मार्च 2005 के अंत की स्थिति के अनुसार राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों के एन पी ए में राज्यों में बहुत भिन्नता (पंजाब में शून्य और मणिपुर में 98.7 प्रतिशत) थी। पंजाब के अलावा दो अन्य

सारणी IV.28: राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की आस्ति गुणवत्ता

(राशि करोड़ रुपए)

मद	मार्च के अंत में		प्रतिशत में अंतर	
	2004	2005	2003-04	2004-05
1	2	3	4	5
क. आस्ति वर्गीकरण कुल अनर्जक आस्तिया (i+ii+iii)	**4,336**	**5,437**	**35.1**	**25.4**
	(100.0)	**(100.0)**		
i) अवमानक	2,630	3,288	25.1	25.0
	(60.6)	(60.5)		
ii) संदिग्ध	1,686	2,129	55.2	26.3
	(38.9)	(39.2)		
iii) हानि आस्तियां	20	20	-9.1	–
	(0.5)	(0.4)		
ख. ऋण की तुलना में अनर्जक आस्तियों का अनुपात	**26.7**	**31.3**		
ज्ञापन मदें:				
i) मांग की तुलना में वसूली	43.8	43.7		
ii) अपेक्षित प्रावधान	833	1,024	36.8	22.9
iii) किया गया प्रावधान	833	1,097	36.6	31.8

टिप्पणी : 1. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल का प्रतिशत दर्शाते हैं।
2. आंकड़े अनंतिम हैं।

स्रोत : नाबार्ड।

राज्यों (मध्य प्रदेश और केरल) में एन पी ए 10 प्रतिशत से कम थे। नौ राज्यों (असम, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, मणिपुर, उड़ीसा, तमिलनाडु, जम्मू और कश्मीर तथा कर्नाटक) में एन पी ए अनुपात 50 प्रतिशत से अधिक था। वसूली अनुपात में भी एक प्रतिशत (मणिपुर) से 100 प्रतिशत (पंजाब) का भारी अंतर था। राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों का वसूली औसत कुल मांग के 43.7 प्रतिशत था। 11 राज्यों में वसूली दर 50 प्रतिशत से कम थी (परिशिष्ट सारणी IV.9)।

प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

परिचालन

4.97 प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों के कारोबारीय परिचालन में वर्ष के दौरान कम वृद्धि हुई। राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों जैसे ही, प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक भी अपनी अधिकांश निधि आवश्यकता उधार से पूरी करते हैं जो वर्ष के दौरान बहुत बढ़ गई। तथापि, उनकी आरक्षित भंडार, जो निधि का अन्य महत्वपूर्ण स्रोत होता है, तेजी से कम हो गया। आस्ति पक्ष में, ऋण और अग्रिम संविभाग में अच्छी वृद्धि हुई। उनके निवेश में कम वृद्धि हुई (सारणी IV.29)।

सारणी IV.29: प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामिण विकास बैंकों की देयताएं और आस्तियां

(राशि करोड़ रुपए)

मद	मार्च के अंत में		प्रतिशत में अंतर
	2004	2005	2004-05
1	2	3	4
देयताएं			
1. पूंजी	914	927	1.4
	(4.7)	(4.6)	
2. रिज़र्व	2,942	2,567	-12.7
	(15.1)	(12.6)	
3. जमाराशियां	395	365	-7.6
	(2.0)	(1.8)	
4. उधार	11,879	12,873	8.4
	(60.9)	(63.2)	
5. अन्य देयताएं	3,384	3,624	7.1
	(17.3)	(17.8)	
कुल देयताएं / आस्तियां	**19,515**	**20,355**	**4.3**
	(100.0)	**(100.0)**	
आस्तियां			
1. नकदी और बैंक शेष	230	210	-8.7
	(1.2)	(1.0)	
2. निवेश	780	806	3.3
	(4.0)	(4.0)	
3. ऋण और अग्रिम	11,311	12,763	12.8
	(58.0)	(62.7)	
4. अन्य आस्तियां	7,194	6,577	-8.6
	(36.9)	(32.3)	

टिप्पणी : 1. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल का प्रतिशत दर्शाते हैं।
2. रिज़र्व में लाभ-हानि खाते के प्रावधान और ऋण शेष शामिल हैं।
3. तमिलनाडु के आंकड़े 2003-04 से दोहराए गए हैं।
4. आंकड़े अनंतिम हैं।

स्रोत : नाबार्ड।

वित्तीय निष्पादन

4.98 प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों के वित्तीय निष्पादन में 2004-05 के दौरान बहुत सुधार हुआ। प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों की आय में तेज वृद्धि हुई जिसका मुख्य कारण अन्य आय में तेज वृद्धि था। दूसरी ओर, व्यय में कम वृद्धि हुई जिससे परिचालनगत लाभ में तेज वृद्धि हुई। इसके साथ-साथ कम प्रावधान और आकस्मिक व्यय के कारण 2004-05 में हुई हानि की तुलना में इस वर्ष उल्लेखनीय लाभ हुआ। 2004-05 में, हानि में चल रहे 465 प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों को 274 करोड़ रुपए की हानि हुई जबकि पिछले वर्ष 489 प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों को 335 करोड़ रुपए की हानि हुई थी। उसी प्रकार, लाभ में चल रहे 262 प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों को 620 करोड़ रुपए का लाभ हुआ जबकि पिछले वर्ष लाभ प्राप्त करने वाले 282 प्राथमिक सहकारी

सारणी IV.30: प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों का वित्तीय कार्यनिष्पादन

(राशि करोड़ रुपए)

मद	2003-04	2004-05	प्रतिशत में अंतर
			2004-05
1	2	3	4
क. आय (i+ii)	**1,792**	**2,368**	**32.1**
	(100.0)	**(100.0)**	
i) ब्याज आय	1,471	1,488	1.2
	(82.1)	(62.9)	
ii) अन्य आय	321	879	173.8
	(17.9)	(37.2)	
ख. व्यय (i+ii+iii)	**2,050**	**1,976**	**-3.6**
	(100.0)	**(100.0)**	
i) व्यय किया गया ब्याज	1,145	1,143	-0.2
	(55.9)	(57.9)	
ii) प्रावधान और आकस्मिक व्यय	612	521	-14.9
	(29.9)	(26.4)	
iii) अन्य व्यय	292	312	6.8
	(14.3)	(15.8)	
जिसमें से : वेतन बिल	204	204	–
	(10.0)	(10.3)	
ग. लाभ			
i) परिचालन लाभ	354	913	157.9
ii) निवल लाभ	-258	391	–
घ. कुल आस्तियां	**19,515**	**20,355**	**4.3**

– : शून्य/नगण्य

टिप्पणी : 1. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े संबधित कुल का प्रतिशत दर्शाते हैं।
2. तमिलनाडु के आंकड़े 2003-04 दोहराए गए हैं।
3. आंकड़े अनंतिम हैं ।

स्रोत : नाबार्ड।

कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों को 77 करोड़ रुपए का लाभ हुआ था। लाभ में वृद्धि होने से प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों की संचति हानि 2004 के 2,788 करोड़ रुपए से कम होकर मार्च 2005 के अंत में 2,475 करोड़ रुपए रह गई (सारणी IV.30, परिशिष्ट सारणी IV.10)।

आस्ति गुणवत्ता और वसूली निष्पादन

4.99 प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (प्रासकृग्राविबैं) की समग्र एन पी ए 2004-05 के दौरान बढ़ गईं, यद्यपि ऋण संविभाग में उल्लेखनीय वृद्धि से ऋण-एनपीए अनुपात कम हो गया। वर्ष के दौरान आस्तियों में कोई विशेष गिरावट नहीं देखी गई। वर्ष के दौरान वसूली निष्पादन में कुछ सुधार हुआ, किंतु उसमें बहुत अधिक सुधार की आवश्यकता है ताकि एन पी ए का स्तर नीचे आ सके। प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों ने ग्रामीण सहकारी बैंकिंग क्षेत्र में अन्य संस्थाओं की प्रवृत्ति के अनुरूप अधिक प्रावधान किया (सारणी IV.31)।

सारणी IV.31: प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों की आस्ति गुणवत्ता

(राशि करोड़ रुपए)

मद	मार्च के अंत में		प्रतिशत में अंतर	
	2004	2005	2003-04	2004-05
1	2	3	4	5
क. आस्ति वर्गीकरण कुल अनर्जक आस्तियां (i+ii+iii)	**4,016** **(100.0)**	**4,056** **(100.0)**	**10.0**	**1.0**
i) अवमानक	2,079	2,161	3.5	3.9
	(51.8)	(53.3)		
ii) संदिग्ध	1,890	1,845	17.5	-2.4
	(47.1)	(45.5)		
iii) हानि आस्तियां	47	50	38.2	6.4
	(1.2)	(1.2)		
ख. ऋण के तुलना में अनर्जक आस्तियों का अनुपात*	**35.8**	**31.9**		
ज्ञापन मदें:				
i) मांग की तुलना में वसूली	43.9	50.6		
ii) अपेक्षित प्रावधान	944	872	17.0	-7.6
iii) किया गया प्रावधान	943	910	14.6	-3.5

* : तमिलनाडु के आंकड़े शामिल है।

टिप्पणी : 1. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल का प्रतिशत दर्शाते हैं ।
2. आंकड़े अनंतिम हैं।

स्रोत : नाबार्ड।

क्षेत्रीय दिशाएं

4.100 12 राज्यों में कार्यरत 727 प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों में से 262 प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों को लाभ प्राप्त हुआ। मात्र छह राज्यों (हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उड़ीसा, राजस्थान, महाराष्ट्र और केरल) में कार्यरत प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों ने निवल लाभ अर्जित किया। अन्य राज्यों (छत्तीसगढ़, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु) में कार्यरत प्रासकृग्राविबैं को हानि हुई (परिशिष्ट सारणी IV.10)।

4.101 सभी राज्यों में मार्च 2005 के अंत में प्रासकृग्राविबैं का एन पी ए अनुपात 15 प्रतिशत से अधिक था। महाराष्ट्र में कार्यरत प्रासकृग्राविबैं का एन पी ए अनुपात न्यूनतम (15.5 प्रतिशत) और कर्नाटक में उच्चतम (62.5 प्रतिशत) था। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में कार्यरत प्रासकृग्राविबैं के एन पी ए 20 प्रतिशत से अधिक थे । 283 प्रासकृग्राविबैं की औसत वसूली कुल मांग के 60 प्रतिशत से अधिक थी। 229 प्रासकृग्राविबैं की वसूली दर 40 प्रतिशत और 60 प्रतिशत के दायरे में थी। अन्य 215 प्रासकृग्राविबैं के संबंध में, वसूली दर 40 प्रतिशत से कम थी। इन पर नीचे चर्चा की गई है (परिशिष्ट सारणी IV.10)।

4. लघु वित्त

4.102 लघु वित्त पहल को अब किफायती और बैंकिंग प्रणाली को ग्रामीण निर्धन लोगों तक पहुंचाने का व्यवहार्य मार्ग के रूप में पहचान प्राप्त हुई है। लघु वित्त की पहलों के पीछे मार्गदर्शी भावना निम्नवत् है (i) निर्धन लोगों तक पहुंच बढ़ाने के लिए औपचारिक संस्थाओं को किफायती दृष्टिकोण प्रदान करना; (ii) संपार्श्विक स्थानापन्न विकसित करना, (iii) ग्रामीण और शहरी निर्धनों, विशेषतः महिलाओं पर ध्यान केंद्रित करना; (iv) औपचारिक बैंकों के लिए वैकल्पिक मार्ग के रूप में लघु ऋण सुपुर्दगी की अन्य प्रणाली की जांच करना; और (V) व्यापक आर्थिक विकास की लक्ष्य प्राप्ति हेतु प्रभावी प्रयास करना। लघु वित्त के अंतर्गत दो मुख्य स्वरूप हैं, अर्थात् स्व-सहायता समूह - बैंक लिंकेज और एम एफ आइ बैंक लिंकेज जो देश में कार्यरत हैं।

क. स्व-सहायता समूह - बैंक लिंकेज कार्यक्रम

4.103 स्व-सहायता समूह - बैंक लिंकेज कार्यक्रम 500 स्व-सहायता समूहों को जोड़ने के लिए प्रायोगिक परियोजना के रूप में 1992 में प्रारंभ किया गया था जिसे रिज़र्व बैंक की नीतिगत सहायता के माध्यम से सहायता प्राप्त थी। उक्त कार्यक्रम में ग्रामीण निर्धनों को स्व-सहायता समूहों में संगठित करने, उनके स्वयं के वित्त के प्रबंध की उनकी क्षमता निर्माण करके बैंक ऋण के संबंध में वाणिज्यिक आधार पर निर्णय लेने की रूपरेखा दी गई थी। निर्धनों को प्रोत्साहित किया गया कि वे अल्प राशियों की नियमित बचत के लिए संगठित होकर उनके बीच लघु ऋणों का विस्तार करें। जैसे ही समूह बड़े संसाधनों को संभालने की क्षमता प्राप्त कर लेता है, तब उसे बैंक ऋण दिया जा सकता है। लघु वित्त की पहलों का केंद्र मुख्यतः वे ग्रामीण निर्धन हैं जिनकी औपचारिक बैंकिंग प्रणाली तक पहुंच नहीं है। लक्ष्यित समूह में मुख्यतः छोटे और सीमांत किसान, भूमिहीन कृषक और कृषितर श्रमिक, कार्यगट और शिल्पी तथा बिक्री और फेरीवालों जैसे छोटे कारोबार में लगे ग्रामीण निर्धन आते हैं।

4.104 स्व-सहायता समूह - बैंक लिंकेज कार्यक्रम ने निर्धनों के साथ बैंकिंग की दृष्टि से मुख्यधारा के कार्यक्रम के रूप में अपनी क्षमता सिद्ध कर दी है। इस कार्यक्रम के मुख्य लाभों में बैंकों को ऋण की समय पर चुकौती, निर्धनों और बैंक, दोनों के लिए लेनदेन लागत में कमी, निर्धनों के लिए द्वार पर बचत और ऋण सुविधा; और ग्रामीण भारत में परिधि से बाहर रही कारोबारीय संभावना को परिधि में लेना शामिल है। पहुंच कार्यक्रम के रूप में शुरू हुए इस कार्यक्रम ने वस्तुतः निर्धन महिलाओं हेतु बचत और ऋण सुविधा के प्रावधान से बहुत अधिका का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। इसने ग्रामीण महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक दृष्टि से सशक्तिकरण की दृढ़ प्रक्रिया स्थापति कर दी है। अधिकाधिक गैर सरकार संगठनों और अन्य द्वारा स्व-सहायता समूहों का संवर्धन और पोषण सहित समुदाय संगठन के कार्य करने, से यह अपेक्षा है कि यह कार्यक्रम देश के अनेक भागों में धीरे-धीरे महिला आंदोलन का रुप ले लेगा। यह कार्यक्रम निरंतर रुप से विश्व में सबसे बड़ा लघु-वित्त कार्यक्रम बना हुआ है।

इस कार्यक्रम में हुई प्रगति

4.105 वर्ष के दौरान इसमें उल्लेखनीय प्रगति हुई जिसमें इस काय्रक्रम में निरंतर विस्तार देखा गया जहाँ बैंकिंग प्रणाली द्वारा 0.6 मिलियन नए स्व-सहायता समूहों के ऋण लिंकेज हुए और ऐसे स्व-सहायता समूहों की कुल संख्या 31 मार्च 2005 के 1.6 मिलियन से बढ़कर 31 मार्च 2006 को 2.2 मिलियन हो गई। बैंकों ने पिछले वर्ष की तुलना में 2005-06 के दौरान 50.3 प्रतिशत अधिक वृद्धि दर्ज करते हुए 4,499 करोड़ रुपए का ऋण दिया। प्रति स्व-सहायता समूह को दिया गया औसत बैंक ऋण 2004-05 के 44,624 रुपए से बढ़कर 2005-06 में 50,915 रुपए हो गया जो स्व-सहायता समूहों के बीच ऋण पहुंच अधिक गहन होना दर्शाता है। इस कार्यक्रम को स्व-प्रबंध, द्वार पर सेवा आधारित लघु वित्त आंदोलन में ग्रामीण निर्धन महिलाओं का भारी समर्थन मिला है। इस प्रकार स्व-सहायता समूहों के माध्यम से लाभान्वित होने वाले निर्धन परिवारों की संख्या 31 मार्च 2005 के 24.3 मिलियन से बढ़कर 31 मार्च 2006 को 32.9 मिलियन हो गई जो 35.4 प्रतिशत वृद्धि है (सारणी IV.32)।

4.106 स्व-सहायता समूह - बैंक लिंकेज कार्यक्रम को बैंकिंग प्रणाली द्वारा अब वाणिज्यिक अनुपात के रूप में माना गया हे जहाँ बैंक शाखाओं की दृष्टि से लेनदेन लागत कम है और ग्रामीण ग्राहकों का उच्चतर कवरेज है। वाणिज्य बैंकों ने स्व-सहायता समूहों के वित्तपोषण में वृद्धि जारी रखी और उनका हिस्सा 2004-05 के 52.1 प्रतिशत से बढ़कर 2005-06 में 53.1 प्रतिशत हो गया (सारणी IV.33)। स्व-सहायता समूह - लिंकेज में सहकारी बैंकों का हिस्सा 13.0 प्रतिशत से थोड़ा बढ़कर 13.9 प्रतिशत हो गया जबकि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का हिस्सा 34.8 प्रतिशत से कम होकर 33.1 प्रतिशत रह गया। सहकारी बैंकों संस्थाओं द्वारा वित्तपोषित स्व-सहायता समूहों की कुल संख्या मार्च 2005 के अंत के 2,11,137 से तेजी से बढ़कर मार्च 2006 के अंत में 3,10,230 हो गई जो अनेक सहकारी बैंकों द्वारा प्रदर्शित दिलचस्पी दर्शाती है (सारणी IV.33)।

4.107 स्व-सहायता समूह - बैंक लिंकेज कार्यक्रम को स्व-सहायता समूहों की संवर्धक संस्थाओं द्वारा भारी संख्या में समर्थन मिलना जारी रहा। ग्रामीण निर्धनों को स्व-सहायता समूहों में संगठित करना, अपने वित्त के प्रबंध की उनकी क्षमता निर्माण करना और बैंक ऋण के

सारणी IV.32: स्वयं सहायता समूह बैंक संबद्धता कार्यक्रम

(राशि करोड़ रुपए)

वर्ष	बैंकों द्वारा वित्तपोषित कुल स्वयं सहायता समूह (संख्या हजारों में)		बैंक ऋण		पुनर्वित्त	
	वर्ष के दौरान	संचयी	वर्ष के दौरान	संचयी	वर्ष के दौरान	संचयी
1	2	3	4	5	6	7
1992-99	33	33	57	57	52	52
1999-00	82	115	136	193	98	150
	(147.9)	(247.9)	(138.1)	(238.1)	(88.4)	(188.4)
2000-01	149	264	288	481	245	395
	(82.3)	(129.9)	(111.8)	(149.2)	(150.0)	(163.3)
2001-02	198	461	545	1,026	395	790
	(32.6)	(74.9)	(89.5)	(113.4)	(61.4)	(100.0)
2002-03	256	717	1,022	2,049	622	1,413
	(29.5)	(55.4)	(87.4)	(99.6)	(57.5)	(78.8)
2003-04	362	1,079	1,856	3,904	705	2,118
	(41.4)	(50.4)	(81.5)	(90.6)	(13.3)	(49.9)
2004-05	539	1,618	2,994	6,898	968	3,086
	(49.1)	(50.0)	(61.4)	(76.7)	(37.2)	(45.7)
2005-06	620	2,239	4,499	11,398	1,068	4,154
	(15.0)	(38.3)	(50.3)	(65.2)	(10.3)	(34.6)

टिप्पणी : कोष्ठक में दिए गए आंकड़े वार्षिक प्रतिशत वृद्धि दर्शाते हैं।
स्रोत : नाबार्ड।

संबंध में वाणिज्यिक आधार पर समझौता करना स्व-सहायता समूहों की संवर्धक संस्थाओं के लिए चुनौती पूर्ण कार्य रहे हैं। निर्धनों को इस बात के लिए प्रोत्साहित और सहायता दी जाती है कि वे अल्प बचतों की छोटी-छोटी राशियों की बचत के लिए स्वैच्छिक रूप से इकट्ठे हो जाएं और उनकी आकस्मिक आवश्यकताएं पूरी करने के लिए उनके बीच लघु ऋणों का विस्तार करें। उक्त समूह जैसे ही बड़े संसाधन संभालने योग्य हो जाता है, वैसे ही गैर सरकारी संगठन स्व-सहायता समूह को बैंक ऋण प्राप्त करवाने में सहायता करते हैं।

4.108 स्व-सहायता समूह - बैंक लिंकेज कार्यक्रम में वर्षों में उभरे तीन मॉडलों में से लगभग 80.7 प्रतिशत स्व-सहायता समूहों को बैंकों द्वारा मॉडल II के अंतर्गत वित्तपोषण मिला जिसमें गैर सरकारी संगठन और सरकारी संस्थाएं शामिल थीं (सारणी IV.34)।

सारणी IV.33: एजेंसीवार संबद्धता की स्थिति

(मार्च के अंत में)

(राशि करोड़ रुपए)

एजेंसी	स्वयं सहायता समूहों की संख्या (हजारों में)				बैंक ऋण			
	2004-05	2005-06	प्रतिशत में अंतर		2004-05	2005-06	प्रतिशत में अंतर	
			2004-05	2005-06			2004-05	2005-06
1	2	3	4	5	6	7	8	9
i) वाणिज्यिक बैंक	843	1,188	56.7	40.8	4,159	6,987	84.4	68.0
	(52.1)	(53.1)	(60.3)	(61.3)				
ii) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	564	740	38.9	31.2	2,100	3,322	64.3	58.2
	(34.8)	(33.1)	(30.4)	(29.1)				
iii) क्रेडिट सहकारी बैंक	211	310	56.8	46.9	640	1,087	72.5	69.9
	(13.0)	(13.9)	(9.3)	(9.5)				
कुल (i+ii+iii)	**1,618**	**2,239**	**50.0**	**38.3**	**6,898**	**11,398**	**76.7**	**65.2**
	(100.0)	**(100.0)**			**(100.0)**	**(100.0)**		

* : अवधि के अंत की संचयी स्थिति।
टिप्पणी : 1. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल में प्रतिशत अंश दर्शाते हैं।
2. पूर्णांकन के कारण संबंधित जोड़ में आंकड़े जोड़े नहीं जा सकते।
स्रोत : नाबार्ड।

सारणी IV.34: मॉडलवार संबद्धता की स्थिति

मॉडेल का प्रकार		31 मार्च 2005 की स्थिति		31 मार्च 2006 की स्थिति	
		स्वयं सहायता समूहों की संख्या ('000)	बैंक ऋण (करोड़ रुपए)	स्वयं सहायता समूहों की संख्या ('000)	बैंक ऋण (करोड़ रुपए)
1		2	3	4	5
i)	बैंक द्वारा विकसित, मार्गदर्शित और वित्तपोषित स्वयं सहायता समूह	343	1,013	449	1,637
		(21.2)	(14.7)	(20.1)	(14.4)
ii)	एनजीओ / सरकारी एजेंसियों द्वारा विकसित एवं बैंकों द्वारा वित्तपोषिक स्वयं सहायता समूह	1,158	5,529	1,646	9,200
		(71.6)	(80.2)	(73.5)	(80.7)
iii)	एनजीओ द्वारा विकसित एवं वित्तीय बिचौलियों के रूप में एनजीओं/औपचारिक एजेंसियों का इस्तेमाल करके बैंकों द्वारा वित्तपोषित स्वयं सहायता समूह	117	356	143	561
		(7.2)	(5.2)	(6.4)	(4.9)
कुल (i+ii+iii)		**1,618**	**6,898**	**2,239**	**11,398**

टिप्पणी : कोष्ठक में दिए गए आंकडे कुल में प्रतिशतता दर्शाते हैं।
स्रोत : नाबार्ड।

4.109 ऐतिहासिक रूप से, स्व-सहायता समूहों का संकेंद्रण दक्षिणी राज्यों में हुआ है जिसका मुख्य कारण वहाँ के राज्य सरकारों की सक्रिय भूमिका है। तथापि, नाबार्ड में ग्रामीण निर्धनों की लगभग 70 प्रतिशत जनसंख्या वाले प्राथमिकता प्राप्त 13 राज्यों, यथा उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तरांचल, असम और हिमाचल प्रदेश में स्व-सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम को गहन करने का कार्य शुरू किया है। परिणाम स्वरूप, दक्षिणी राज्यों में संचित स्व-सहायता समूहों के संबद्ध ऋण में मार्च 2001 के 71 प्रतिशत से गिरावट आकर वह मार्च 2006 में 54 प्रतिशत रह गया। 2005-06 के दौरान, स्व-सहायता समूहों के संबद्ध ऋण में महाराष्ट्र (60,234), उड़ीसा (57,640), पश्चिम बंगाल (43,553),उत्तर प्रदेश (42,263), राजस्थान (38,165) असम (25,215) और छत्तीसगढ़ (12,722) जैसे प्राथमिकता प्राप्त कुछ प्रमुख राज्यों में उल्लेखनीय रूप से बढ़ी। 2005-06 के दौरान, प्राथमिकता प्राप्त 13 राज्यों में स्व-सहायता समूहों के संबद्ध ऋणों की संख्या 6,20,109 स्व सहायता समूहों के अखिल भारतीय ऋण लिंकेज के 54.4 प्रतिशत थी।

4.110 वर्तमान में, बैंकों के साथ 2.2 मिलियन से अधिक स्व-सहायता समूह ऋण जुड़े हैं। इनमें से, एक मिलियन स्व-सहायता समूहों से अधिक समूह तीन वर्ष से अधिक पुराने हैं। इन स्व-सहायता समूहों ने न सिर्फ ऋण लिए हैं, बल्कि उन्होंने ऋण लेने की पुनरावृत्ति भी की है। इस बात पर बल दिया जा रहा है कि किसी पुराने स्व-सहायता समूह का सदस्य आय उत्पादक कार्यों से लघु उद्यमों में आगे बढ़ने की स्थिति में होगा। यद्यपि, लघु उद्यम चिरकालिक बेरोजगारी और निर्धनता की जटिल समस्या का एकमात्र हल नहीं है, फिर भी निर्धनों और अति निर्धनों की आय और संपत्ति में उल्लेखनीय वृद्धि करने के लिए लघु उद्यमों का संवर्धन एक सक्षम और प्रभावी रणनीति है। स्व-सहायता समूह के सदस्य को लघु उद्यम करने योग्य बनाने के लिए बाज़ार के स्वरूप के समक्ष, कार्य कुशलता और उद्यमशीलता प्रबंध से तालमेल सहित प्रबंध के विभिन्न पहलुओं पर गहन प्रशिक्षण आवश्यक होता है। 2005-06 के दौरान, पुराने स्व-सहायता समूहों के लोगों के लिए जीविका की निरंतरता बनाए रखने के लिए कार्य कुशलता और विकास पर केंद्रित और स्थानीय विशेष लघु उद्यम विकास काय्रक्रम शुरू किया गया। लघु उद्यम विकास कार्यक्रम में, उद्यमों में तकनीकी कार्य कुशलता, आधारभूत उद्यमीशलता उपलब्ध कराना और बाज़ार से संबंधित पहलुओं पर पुराने स्व-सहायता समूहों के सदस्यों की आवश्यकता तुरंत पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है।

4.111 वर्ष 2006-07 के केंद्रीय बजट में की गई घोषणा के अनुरूप नाबार्ड द्वारा स्व-सहायता समूहों के माध्यम से कृषि और निवेश गतिविधियों के लिए ऋण की अलग व्यवस्था की नई वित्तपोषण योजना शुरू की गई। 2006-07 के दौरान उक्त योजना के अंतर्गत पुनर्वित्त उपलब्ध कराने के लिए 500 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की गई। इस योजना के अंतर्गत, स्व-सहायता समूहों को अनुसूचित वाणिज्य बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों द्वारा मात्र कृषि उत्पादन और कृषि तथा संबद्ध कार्यों सहित निवेश कार्यों के लिए दी गए सावधि और नकदी ऋण सीमा नाबार्ड से 100 प्रतिशत पुनर्वित्त के लिए पात्र है। समग्र सीमा के 30 प्रतिशत तक उपभोग ऋण भी उक्त प्रयोजन के लिए पात्र है।

ख. एम एफ आइ - बैंक लिंकेज

4.112 लघु वित्त संस्थाओं (एम एफ आइ) और बैंक के बीच लिंकेज बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। बैंकों से लघु वित्त संस्थाओं

की ओर वाणिज्यिक ऋणों का प्रवाह बढ़ाने के लिए नाबार्ड द्वारा 2005-06 के दौरान एक योजना शुरू की गई थी ताकि लघु वित्त संस्थाओं के स्तर निर्धारण के प्रति बैंकों को वित्तीय सहायता मिल सके। उक्त योजना को अधिक उदार बनाकर 31 मार्च 2008 तक के लिए लागू किया गया है।

4.113 नाबार्ड द्वारा 'एम एफ डी इ एफ से लघु वित्त संस्थाओं को पूंजी / इक्विटी सहायता' नामक योजना की घोषणा की गई जिसके अंतर्गत नाबार्ड विभिन्न प्रकार की लघु वित्त संस्थाओं को पूंजी / इक्विटी सहायता प्रदान करता है ताकि वे निर्धन लोगों को वहनीय लागत पर वित्तीय सेवाएं देने के लिए बैंकों से वाणिज्यिक और अन्य निधियां प्राप्त करने के लिए पूंजी / इक्विटी जुटा सकें और साथ ही वे तीन से पांच वर्ष की अवधि में अपने ऋण परिचालनों में पर्यातप्तता ला सकें।

लघु वित्त और रिज़र्व बैंक

4.114 बैंकों को नागरी समिति संगठनों की बुनियादी सुविधाएं उपयोग करते हुए एजेंसी मॉडल अपनाने की अनुमति देना, उधारदाता बैंक और लाभार्थी के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए 'बैंकिंग प्रतिनिधि' की नियुक्ति और लघु वित्त संस्थाओं के संवर्धन हेतु प्रयासों की पहचान जैसे मुद्दों की समीक्षा के लिए रिज़र्व बैंक में आंतरिक दल (अध्यक्ष : श्री एच.आर. खान) का गठन किया गया जिसने अपनी अंतिम रिपोर्ट जुलाई 2005 में प्रस्तुत की। उक्त दल की सिफारिशों के आधार पर और अधिक वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करने तथा बैंकिंग क्षेत्र की पहुंच बढ़ाने के लिए बैंकों को अनुमति दी गई कि वे कारोबार सहयोगी और कारोबार प्रतिनिधि मॉडलों का उपयोग करते हुए वित्तीय और बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने में मध्यस्थ के रूप में गैर सरकारी संगठनों / स्व-सहायता समूहों, लघु वित्त संस्थाओं और अन्य नागरी समिति संगठनों की सेवाएं लें।

5. नाबार्ड और सहकारी क्षेत्र

4.115 राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की स्थापना निम्नलिखित कार्य करने के लिए 12 जुलाई 1982 को विकास बैंक के रूप में की गई थी : (i) ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न विकासात्मक कार्यों के लिए निवेश और उत्पादन ऋण उपलब्ध कराने वाली संस्थाओं के लिए शीर्ष वित्तपोषक संस्था के रूप में कार्य करना; (ii) निगरानी, पुनर्वास योजनाएं बनाना, ऋण संस्था का पुनर्गठन और कार्मिकों के प्रशिक्षण सहित ऋण सुपुर्दगी प्रणाली की अवशोषण क्षमता सुधारने के लिए संस्था-निर्माण की दिशा में उपाय करना; (iii) जमीनी स्तर के विकास कार्य में लगी सभी संस्थाओं की ग्रामीण वित्तपोषण के कार्यों में समन्वय करना और भारत सरकार, राज्य सरकारों, रिज़र्व बैंक और नीति निर्माण से संबंधित अन्य राष्ट्र स्तरीय संस्थाओं से संपर्क रखना; और (iv) उसके द्वारा पुनर्वित्त प्राप्त परियोजनाओं की निगरानी और मूल्यांकन करना।

4.116 नाबार्ड का पुनर्वित्त राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, राज्य सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, वाणिज्य बैंक और रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदित अन्य वित्तीय संस्थाओं के लिए उपलब्ध है। निवेश ऋण के अंतिम लाभार्थी एकल व्यक्ति, भागीदारी संस्था, कंपनियां, राज्य के स्वामित्व के निगम या सहकारी समितियां हो सकती हैं, किंतु ऋण सामान्यतः एकल व्यक्तियों को ही दिया जाता है।

नाबार्ड के संसाधन

4.117 रिज़र्व बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 17 (4 इ) के तहत नाबार्ड को दो प्रकार की सामान्य ऋण व्यवस्था उपलब्ध करता आ रहा है ताकि नाबार्ड अनुसूचित वाणिज्य बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की अल्पावधि अपेक्षाएं पूरी कर सके। 2005-06 (जुलाई-जून) के दौरान, मौसमी कृषि परिचालनों के लिए राज्य सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को पुनर्वित्त उपलब्ध कराने के लिए 6 प्रतिशत वार्षिक की ब्याज दर पर 3,000 करोड़ रुपए का जीएलसी स्वीकृत किया गया था। तथापि, 31 दिसंबर 2006 तक चुकौती और आहरणों के लिए 2005-06 हेतु स्वीकृत जीएलसी सीमा परिचालित करने की नाबार्ड को दी गई। चूंकि उक्त सीमा 31 दिसंबर 2006 के बाद उपलब्ध नहीं रहेगी, अतः नाबार्ड को सूचित किया गया है कि वह पर्याप्त राशि के लिए बाजार से नियमित आधार पर संपर्क रखें ताकि जी एल सी की वापसी की समय सीमा का पालन हो सके।

4.118 वर्ष 2005-06 के दौरान नाबार्ड के संसाधनों में 6,826 करोड़ रुपए की निवल वृद्धि ने 39.6 प्रतिशत की तेज वृद्धि दर्ज की। ग्रामीण बुनियादी सुविधा विकास निधि और बांड निर्गम निधि नाबार्ड की दो मुख्य स्रोतों के रूप में उभरे। पिछले वर्ष लिए गए कंपनी उधार की उल्लेखनीय राशि के भुगतान और निर्गमकर्ता बैंक को चुकौती के बाद वर्ष के दौरान उनके पास उधार कार्यों के लिए पर्याप्त राशि उपलब्ध थी (सारणी IV.35)।

ग्रामीण बुनियादी सुविधा विकास निधि

4.119 ग्रामीण बुनियादी सुविधा निधि का गठन केंद्र सरकार ने 1995-96 में नाबार्ड में किया था जिसकी मूल निधि 2,000 करोड़ रुपए थी और उद्देश्य राज्य सरकारों को ऋण देना था ताकि वे मध्यम और लघु सिंचाई, भू-संरक्षण, जल संग्रह प्रबंधन और ग्रामीण बुनियादी सुविधाओं के अन्य रूपों से संबंधित ग्रामीण बुनियादी सुविधाओं की परियोजनाओं का वित्त पोषण कर सकें। सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों के घरेलू अनुसूचित वाणिज्य बैंक जो प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र और / या कृषि उधार लक्ष्य पूरे नहीं कर पाए हैं, से अपेक्षित है कि वे

सारणी IV.35: नाबार्ड के संसाधनों में निवल अभिवृद्धि

(राशि करोड़ रूपए)

संसाधन का प्रकार	2004-05	2005-06
1	2	3
1. पूंजी	–	–
2. रिजर्व और अधिशेष	908	775
3. एन आर सी (i+ii)	93	42
i) एल टी ओ निधि	82	31
ii) स्थिरीकरण निधि	11	11
4. जमाराशियां (i+ii)	-2,926	4,827
i) साधारण जमाराशि	-6	21
ii) आरआइडीएफ जमाराशि	-2,920	4,806
5. उधार (i+ii+iii+iv+v)	6,695	873
i) बांड और डिबेंचर	5,321	3,609
ii) केंद्र सरकार से उधार	-159	-4
iii) भारतीय रिजर्व बैंक से उधार	-267	-929
iv) विदेशी मुद्रा ऋण	–	-3
v) वाणिज्य बैंकों से उधार	1,800	-1,800
6. अन्य देयताएं	-25	60
7. अन्य निधियां	145	249
कूल	**4,890**	**6,826**

- : शून्य/नगण्य।
स्रोत : नाबार्ड।

ग्रामीण बुनियादी सुविधा विकास निधि में राशि जमा करें। इस निधि को कार्य करते हुए ग्यारह वर्ष पूरे हो गए हैं। वर्ष के दौरान वाणिज्य बैंकों से 6,092 करोड़ रुपए प्राप्त होने से ग्रामीण बुनियादी सुविधा विकास निधि की संचयी जमाराशि 31 मार्च 2006 तक 28,749 करोड़ रुपए हो गई (सारणी IV.36)।

4.120 ग्रामीण बुनियादी सुविधा विकास निधि (स्तर I से XI) की मूल निधि 50,000 करोड़ रुपए थी। ग्रामीण बुनियादी सुविधा विकास निधि I से XI के अंतर्गत स्वीकृत और वितरित वित्तीय सहायता 31 मार्च 2006 को क्रमशः 51,283 करोड़ रुपए और 31,337 करोड़ रुपए थी (सारणी IV.37)। ग्रामीण बुनियादी सुविधा विकास निधि IV 31 मई 2005 को बंद हो गई। तथापि, 31 मई 2005 तक हुए व्यय के लिए 30 सितंबर 2005 तक वितरणों को अनुमति दी गई। ग्रामीण बुनियादी सुविधा विकास निधि V से VIII तक के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं के लिए कार्यान्वयन अवधि 31 मार्च 2006 तक बढ़ाई गई ताकि राज्य सरकार चालू परियोजनाएं पूरी कर सकें और व्यय की प्रतिपूर्ति का लाभ ले सकें (परिशिष्ट सारणी IV.11)।

4.121 ग्रामीण बुनियादी सुविधा विकास निधि XI के अंतर्गत 30,440 परियोजनाएं स्वीकृत की गई जिसमें 8,514 करोड़ रुपए की ऋण राशि लगी थी। इससे परियोजनाओं की कुल संख्या 2,44,651 और स्वीकृत राशि 51,283 करोड़ रुपए हो गई। 2005-06 के दौरान उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों में राज्यों को स्वीकृत और वितरित राशि क्रमशः 659 करोड़ रुपए और 235 करोड़ रुपए थी। वर्ष के दौरान वितरित कुल राशि 5,953 करोड़ रुपए थी जबकि लक्ष्य 5,000 करोड़ राशि का था।

4.122 ग्रामीण बुनियादी सुविधा विकास निधि I से XI के अंतर्गत वितरित राशि 31 मार्च 2006 को 31,337 करोड़ रुपए थी। ग्रामीण

सारणी IV.36: आरआईडीएफ के अंतर्गत संग्रहित जमाराशियां

(राशि करोड़ रुपए)

वर्ष	आरआई-डीएफ I	आरआई-डीएफ II	आरआई-डीएफ III	आरआई-डीएफ IV	आरआई-डीएफ V	आरआई-डीएफ VI	आरआई-डीएफ VII	आरआई-डीएफ VIII	आरआई-डीएफ IX	आरआई-डीएफ X	आरआई-डीएफ XI	**कुल**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	**13**
1995-96	350	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**350**
1996-97	842	200	–	–	–	–	–	–	–	–	–	**1,042**
1997-98	188	670	149	–	–	–	–	–	–	–	–	**1,007**
1998-99	140	500	498	200	–	–	–	–	–	–	–	**1,338**
1999-00	67	539	797	605	300	–	–	–	–	–	–	**2,307**
2000-01	–	161	412	440	850	790	–	–	–	–	–	**2,653**
2001-02	–	155	264	–	689	988	1,495	–	–	–	–	**3,591**
2002-03	–	–	188	168	541	817	731	1,413	–	–	–	**3,857**
2003-04	–	–	–	–	261	503	257	681	457	–	–	**2,159**
2004-05	–	–	–	–	125	488	752	1,213	1,354	422	–	**4,353**
2005-06	–	–	–	–	215	165	461	923	1,372	2,020	936	**6,092**
कुल	**1,587**	**2,225**	**2,308**	**1,413**	**2,982**	**3,751**	**3,696**	**4,230**	**3,182**	**2,441**	**936**	**28,749**

– : शून्य/नगण्य।
स्रोत : नाबार्ड।

सारणी IV.37: आरआईडीएफ के अंतर्गत स्वीकृत और वितरित ऋण

(मार्च 2006 के अंत में)

आरआईडीएफ	वर्ष	परियोजनाओं की संख्या	राशि (करोड़ रुपए)	स्वीकृत ऋण (करोड़ रुपए)	वितरित ऋण (करोड़ रुपए)	मंजूर ऋण की तुलना में वितरित ऋण का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
I	1995	4,168	2,000	1,906	1,761	92.4
II	1996	8,334	2,500	2,667	2,398	89.9
III	1997	14,346	2,500	2,734	2,454	89.7
IV	1998	6,172	3,000	2,903	2,482	85.5
V	1999	12,254	3,500	3,477	3,033	87.2
VI	2000	43,354	4,500	4,525	3,851	85.1
VII	2001	24,987	5,000	4,658	3,757	80.7
VIII	2002	21,012	5,500	6,009	4,440	73.9
IX	2003	19,605	5,500	5,599	3,388	60.5
X	2004	59,979	8,000	8,290	2,968	35.8
XI	2005	30,440	8,000	8,514	807	9.5
कुल		**2,44,651**	**50,000**	**51,283**	**31,337**	**61.1**

स्रोत : नाबार्ड।

बुनियादी सुविधा विकास निधि के सभी स्तरों के आधार पर, नौ राज्यों (आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और कर्नाटक) का हिस्सा कुल वितरणों और स्वीकृतियों में क्रमशः 72 प्रतिशत और 70 प्रतिशत था। ग्रामीण बुनियादी सुविधा विकास निधि I से XI के अंतर्गत स्वीकृत कुल राशि में से मुख्य लाभार्थी ग्रामीण मार्ग और पुल (45.2 प्रतिशत), सिंचाई परियोजनाएं (34 प्रतिशत) और अन्य (21 प्रतिशत सामाजिक क्षेत्र के 10 प्रतिशत और बिजली क्षेत्र के 3 प्रतिशत सहित) थे।

4.123 भारत सरकार द्वारा यथा सूचित, ग्रामीण बुनियादी सुविधा विकास निधि XI के अंतर्गत स्वीकृत ऋण 30 कार्यों के तहत की परियोजनाओं के लिए थे जिसमें ग्रामीण मार्ग और पुल, सिंचाई और पण बिजली परियोजनाएं, पेय जल, भू-संरक्षण, जल संग्रह विकास, जल विकास, बाढ़ से बचाव, वन विकास, बाजार यार्ड, अपना मंडी, ग्रामीण हाट और मार्केटिंग की अन्य बुनियादी सुविधाएं, शीत गृह, बीज / कृषि / बागवानी कृषि, बागान और बागवानी, श्रेणीकरण और प्रमाणन तंत्र, सामूहिक सिंचाई के मछली पकड़ने के बंदरगाह / जेट्टी, नदी में मत्स्य पालन, पशु पालन, ग्रामीण शैक्षिक संस्थाओं के लिए बुनियादी सुविधाएं; सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाएं, विद्यमान पाठशालाओं में विशेष रुप से कन्या विद्यार्थियों के लिए प्रसाधन गृहों का निर्माण, ग्रामीण क्षेत्रों में 'भुगतान करके उपयोग' वाले प्रसाधन गृह, ग्राम्य ज्ञान केंद्र, समुद्र किनारे के क्षेत्रों में डिसॉलिनेशन फ्लांट और ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना प्रौद्योगिकी के लिए बुनियादी सुविधाएं शामिल हैं। इस स्तर में ग्राम्य ज्ञान केंद्र की निर्मिती पर विशेष बल दिया गया था जिसके लिए 8,000 करोड़ रुपए की मूल निधि में से 100 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए थे।

4.124 वर्ष 2006-07 के केंद्रीय बजट में की गई घोषणा के अनुसरण में ग्रामीण बुनियादी सुविधा विकास निधि XII का गठन किया गया था जिसकी मूल निधि 10,000 करोड़ रुपए थी। भारत निर्माण कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण मार्गों के वित्तपोषण के लिए ग्रामीण बुनियादी सुविधा विकास निधि के अंतर्गत 2006-07 के दौरान एक विशेष व्यवस्था भी की जाएगी जिसकी मूल निधि 4,000 करोड़ रुपए होगी और ग्रामीण बुनियादी सुविधा विकास निधि की राशि में पहुंच के लिए सार्वजनिक निजी मॉडल के तहत विशिष्ट परियोजनाओं को अनुमति दी जाएगी। जमाराशि और सुधार के ब्याज दर ग्रामीण बुनियादी सुविधा विकास निधि पर लागू ब्याज दरों जैसे ही होंगे।

नाबार्ड द्वारा दिया गया ऋण

4.125 नाबार्ड राज्य सहकारी बैंकों को मौसमी कृषि परिचालनों, फसल की मार्केटिंग, मत्स्य पालन कार्यों, सहकारी बुनकर समितियों के उत्पादन / सरकारी खरीद और मार्केटिंक कार्यों, शीर्ष / क्षेत्रीय समितियों द्वारा धागों की क्रय-विक्रय, औद्योगिक सहकारी संस्थाओं के उत्पादन और मार्केटिंग कार्यों, प्राथमिक कृषि सहकारी समिति के माध्यम से निजी ग्रामीण शिल्पियों का वित्तपोषण, उर्वरक और संबद्ध वस्तुओं का क्रय और वितरण के वित्तपोषण के लिए अल्पावधि ऋण सुविधा देता है। राज्य सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बेंकों को अल्पावधि ऋणों को दीर्घावधि ऋणों में परिवर्तित करने के लिए और अनुमोदित कृषि प्रयोजनों के लिए मध्यावधि सुविधाएं प्रदान की

गईं। राज्य सरकारों को सहकारी ऋण संस्थाओं की शेयर पूंजी में योगदान करने के लिए दीर्घावधि ऋण दिए जाते हैं। 2005-06 के दौरान नाबार्ड ने कुल 13,099 करोड़ रुपए की कुल ऋण सीमा राज्य सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को विभिन्न अल्पावधि, मध्यावधि प्रयोजनों से तथा राज्य सरकारों को दीर्घावधि आधार पर प्रदान की जबकि 2004-05 के दौरान उक्त राशि 13,230 करोड़ रुपए थी। वर्ष के दौरान राज्य सहकारी बैंकों को स्वीकृत की गई सीमा में भारी गिरावट आई वहीं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को दी गई सीमा में वृद्धि हुई। तथापि, इन संस्थाओं द्वारा आहरित राशि पिछले वर्ष की तुलना में बहुत अधिक थी जिससे मार्च 2006 के अंत में शेष राशि में भारी बढ़त हुई (सारणी IV.38)।

4.126 कृषि क्षेत्र की दिशा में ऋण-प्रवाह बढ़ाने के लिए नाबार्ड ने जून 2004 में राज्य सहकारी बैंकों; जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को किसानों को राहत देने वाली विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत किए जाने वाले उपायों की जानकारी दी। इन उपायों को कार्यान्वित करते हुए और निर्धन तथा कर्जदार किसानों के ऋणों के रुपांतरण / पुनर्रचना की सुविधा देते हुए यह विचार किया गया कि सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में चलनिधि की कमी हो जाएगी जिससे वर्ष के दौरान नए ऋण देने और निर्धारित वृद्धि दर प्राप्ति की उनकी क्षमता पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। चलनिधि संबंधी ऐसे अंतरों को पाटने के लिए सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सक्षम बनाने की दृष्टि से नाबार्ड ने जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की ओर से राज्य सहकारी बैंकों को पांच प्रतिशत के रियायती ब्याज दर पर 36 माह की नियत अवधि के लिए और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को 6.5 प्रतिशत की ब्याज दर पर 18 माह की अवधि के लिए चलनिधि सहायता प्रदान की। 30 जून 2006 को उक्त योजनाधीन स्वीकृतियों की राशि राज्य सहकारी बैंकों के लिए 515 करोड़ रुपए और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के संदर्भ में 482 करोड़ रुपए थी (सारणी IV.38)।

नाबार्ड द्वारा प्रभारित ब्याज दर

4.127 नाबार्ड द्वारा किए गए वित्तपोषण पर ब्याज दर का निर्धारण ऋण राशि और जिसके लिए ऋण स्वीकृत किया जाता है उस कार्य के प्रकार / क्षेत्र के आधार पर किया जाता है। कमजोर राज्य सहकारी बैंकों को ब्याज दर शेष पुनर्वित्त की उच्च लागत के संबंध में आठ प्रतिशत की एकरूप दर पर पुनर्निधारित करने का विकल्प दिया जाता है बशर्ते वे नाबार्ड के साथ विकास कार्य योजना के कार्यान्वयन के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करें। यह सुविधा 2005-06 में राजस्थान राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक को और 2006-07 में मध्य प्रदेश राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक को दी गई थी। नाबार्ड द्वारा सावधि ऋण पर 22 जुलाई 2006 से लगाई गई ब्याज दर 6.5 से 8.0 प्रतिशत के दायरे में थी (सारणी IV.39)।

किसान क्रेडिट कार्ड योजना

4.128 किसानों को कृषि निविष्टियां खरीदने और उनकी उत्पादन आवश्यकता के लिए नकदी आहरण के लिए सक्षम बनाने के लिए 1998-99 में किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की गई। सार्वजनिक खेत्र के बैंकों द्वारा जारी किसान क्रेडिट कार्डों की कुल संख्या मार्च 2006 के अंत में

सारणी IV.38: राज्य सहकारी बैंकों, राज्य सरकारों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को नाबार्ड का ऋण

(राशि करोड़ रुपए)

श्रेणी	2004-05				2005-06			
	सीमा	आहरण	चुकौती	बकाया	सीमा	आहरण	चुकौती	बकाया
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. राज्य सहकारी बैंक (क+ख)	**10,811**	**11,820**	**10,413**	**6,790**	**9,834**	**13,791**	**10,975**	**9,606**
क. अल्पावधि	9,041	11,030	10,159	5,709	9,319	12,590	10,764	7,535
ख. मध्यावधि	1,770	790	253	1,081	515	1,201	211	2,071
2. राज्य सरकारें								
दीर्घावधि	**39**	**11**	**65**	**406**	**23**	**47**	**65**	**387**
3. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (क+ख)	**2,380**	**2,065**	**1,385**	**1,381**	**3,243**	**3,222**	**1,833**	**2,770**
क. अल्पावधि	2,221	2,047	1,379	1,360	2,761	2,613	1,831	2,142
ख. मध्यावधि	159	18	5	21	482	609	2	628
कुल जोड़ (1+2+3)	**13,230**	**13,896**	**11,862**	**8,577**	**13,099**	**17,059**	**12,873**	**12,763**

स्रोत : नाबार्ड।

सारणी IV.39: कृषि / गैर कृषि क्षेत्रों के अंतर्गत निवेश ऋण पर नाबार्ड द्वारा पुनर्वित्त पर ब्याज दर

(मार्च 2006 के अंत में)

(प्रतिशत)

ऋण का आकार	अंतिम लाभार्ती को ब्याज का दर			पुनर्वित्त पर ब्याज का दर*		
	वाणिज्य बैंक	आरआरबी	एसटीसीबी/ एससीएआरडीबी	वाणिज्य बैंक	आरआरबी	एसटीसीबी/ एससीएआरडीबी
1	2	3	4	5	6	7
50,000 रुपए तक	पीएलआर की सीमा तक मुक्त	मुक्त	न्यूनतम 12 प्रतिशत तक मुक्त (सभी ऋण के स्लैब के लिए)	7.5	7.0	6.5
50,000 रुपए से अधिक तथा 2 लाख रुपए तक	वही	वही	वही	8.0	7.5	7.0
2. लाख रुपए से अधिक	मुक्त	वही	वही	8.0	7.5	7.0

* : 22 जुलाई 2006 से प्रभावी।

टिप्पणी : 1. उत्तर-पूर्वी राज्य, सिक्किम तथा अंडमान व निकोबार के संबंध में 50,000 रुपए तक के वाले मीयादी ऋण संबंधी पुनर्वित्त पर ब्याज 6.5 प्रतिशत एवं 50,000 रुपए से अधिक मीयादी ऋण संबंधी पुनर्वित्त पर 7.0 प्रतिशत।

2. स्वयं सहायता समूह के संबंध में 50,000 रुपए तक के आकार वाले मीयादी ऋण संबंधी पुनर्वित्त ब्याज 6.5 प्रतिशत एवं 50,000 रुपए से अधिक मीयादी ऋण संबंधी पुनर्वित पर 7.0 प्रतिशत। स्वयं सहायता समूह के ऋण के आकार का निर्धारण प्रति व्यक्ति आय के आधार पर किया गया है।

21.8 मिलियन थी। मार्च 2006 के अंत तक जारी 59.09 मिलियन किसान क्रेडिट कार्डों में से सहकारी बैंकों का हिस्सा 51.5 प्रतिशत था जिनके बाद वाणिज्य बैंकों (36.9 प्रतिशत) और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (11.6 प्रतिशत) का स्थान था (सारणी IV.40)। 2005-06 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने 41,64,551 किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए।

4.129 31 मार्च 2006 तक जारी राज्यवार किसान क्रेडिट कार्डों के विश्लेषण से पता चलता है कि देश में सहकारी बैंकों द्वारा जारी कुल किसान क्रेडिट कार्डों में छह राज्यों, यथा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उड़ीसा के सहकारी बैंकों का हिस्सा 67.4 प्रतिशत था। देश भर के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा जारी कुल कार्डों में तीन राज्यों यथा उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का हिस्सा 59.3 प्रतिशत था। सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्य बैंकों द्वारा जारी कार्डों का अधिकांश भाग पांच राज्यों, नामतः आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र में था जो इनके द्वारा संपूर्ण देश में जारी कार्डों का 65.2 प्रतिशत था। पूरे भारत में बैंकों द्वारा जारी कुल कार्डों में आठ राज्यों, यथा उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल का हिस्सा 74.4 प्रतिशत था। जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तर-पूर्वी राज्य इस योजना के कार्यान्वयन में लागातार पीछे बने रहे (परिशिष्ट सारणी IV.12)।

सारणी IV.40: एजेंसीवार, वर्षवार किसान क्रेडिट कार्डों की संख्या

(मार्च 2006 के अंत में)

(संख्या मिलियन)

वर्ष	सहकारी बैंक	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	वाणिज्य बैंक	**कुल बैंक**
1	2	3	4	**5**
1998-99	0.16	0.01	0.62	**0.78**
1999-00	3.60	0.17	1.37	**5.13**
2000-01	5.61	0.65	2.39	**8.65**
2001-02	5.44	0.83	3.07	**9.34**
2002-03	4.58	0.96	2.70	**8.24**
2003-04	4.88	1.28	3.09	**9.25**
2004-05	3.56	1.73	4.40	**9.68**
2005-06	2.60	1.25	4.17	**8.01**
कुल	**30.41**	**6.88**	**21.80**	**59.09**
कुल में अंश (प्रतिशत)	**51.5**	**11.6**	**36.9**	**100.0**

स्रोत : नाबार्ड।

नाबार्ड की हालिया पहलें

4.130 किसान क्रेडिट कार्ड को अधिक प्रयोगकर्ता अनुकूल बनाने ओर एकल खिड़की के माध्यम से किसानों की ऋण आवश्यकताओं के अनुरूप कवरेज बढ़ाने की दृष्टि से नाबार्ड ने उपभोग आवश्यकताओं के उचित घटक सहित कृषि और संबद्ध कार्यों के लिए सावधि ऋण कवर करने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना की व्याप्ति बढ़ाई जो फसल ऋण सीमा प्रदान करने की वर्तमान सुविधा के अतिरिक्त है।

4.131 वैयक्तिक दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत कवरेज के लिए प्रतिस्पर्धात्मक रूप से निरंतर आधार किसान क्रेडिट कार्ड धारकों के हितों की रक्षा के लिए नाबार्ड ने बैंकों को 'अपनी पसंद की कोई भी बीमा कंपनीट चुनने का अधिकार दिया। तथापि, बीमा कंपनी के साथ समझौता-वार्ता करते समय बैंकों को वैयक्तिक दुर्घटना बीमा योजना के दिशा निदेशाा विशेषतः प्रीमियम हिस्सेदारी का फार्मूला और कवरेज, ध्यान में रखने होंगे। इससे यह अपेक्षित है कि प्रतिस्पर्धात्मक रुप से और निरंतर आधार पर वैयक्तिक दुर्घटना बीमा कवरेज उपलब्ध कराकर

किसान क्रेडिट कार्ड धारकों के हितों की रक्षा होगी। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत किसानों को 'अतिरिक्त सुविधा' के लाभ से यह अपेक्षित है कि इसमें किसान बड़ी संख्या में जुडेंगे।

4.132 कृषि क्षेत्र को ऋण प्रवाह अगले एक से दो वर्षों के बीच दुगुना करने के भारत सरकार के निदेश के अनुसरण में नाबार्ड ने सहकारी बेंकों क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सूचित किया कि वे चूककर्ता, मौखिक पट्टेदार और काश्तकार किसानों सहित किसानों की अधिकाधिक संख्या में पहचान करके उन्हें अपनी परिधि में लाए। इसके अलावा, बैंकों से यह अपेक्षित है कि वे किसान क्रेडिट कार्डों का निरंतर नवीकरण सुगमतापूर्वक होना सुनिश्चित करें और किसान क्रेडिट कार्डों के गुणवत्तापूर्ण परिचालन की सुनिश्चिति की दिशा में प्रयास करें। यह अधिक महत्वपूर्ण है कि बैंक यह सुनिश्चित करें कि फसल ऋण किसान क्रेडिट कार्डों के माध्यम से ही वितरित हो।

4.133 नाबार्ड ने 1992-93 के दौरान सहकारी विकास निधि का गठन किया जिसका मुख्य उद्देश्य मानव संसाधन विकास, बेहतर एम आइ एस निर्माण, बुनियादी सुविधाओं का निर्माण और तकनीकी कार्मिकों को साथ लेकर कारोबार विकास विभाग का गठन करना था। 2005-06 के दौरान 6 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत और वितरित की गई। 31 मार्च 2006 की स्थिति के अनुसार 71 करोड़ रुपए और 61 करोड़ रुपए की राशि क्रमशः स्वीकृत और वितरित की गई थी। इस निधि से दी गई सहायता से एम आइ एस और प्रशिक्षित मानव शक्ति की उपलब्धता में सुधार हुआ जिससे सहकारी ऋण ढांचे की समग्र क्षमता बढ़ गई।

4.134 संख्या विशेष के अनुसार विकास कार्य योजना बनाने और समझौता ज्ञापन निष्पादित करने की प्रक्रिया 1994-95 के दौरान प्रारंभ की गई जिसका लक्ष्य सहकारी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सक्षम बनाना ताकि वे उनकी स्थिति सुधारकर निरंतर व्यवहार्य संस्था के रूप में कार्य कर सकें। सहकारी ऋण ढांचे की निरंतर कमज़ोरता को देखते हुए विकास कार्य योजना / समझौता ज्ञापन प्रक्रिया को कुछ संशोधनों के साथ जारी रखने का निर्णय लिया गया। इस प्रकार, उक्त प्रक्रिया को तीन वर्ष की अवधि (2004-07) के लिए विस्तार दे दिया गया जो दसवीं योजनावधि की सहवर्ती थी। इस प्रक्रिया को अधिक केंद्रित और प्रभावी बनाने की दृष्टि से उसमें अनेक संशोधन किए गए। पहला, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों को विकास योजना प्रक्रिया के अंतर्गत लाया गया और उन्हें सूचित किया गया कि वे जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के मार्गदर्शन में व्यवहार्यता कार्य योजना तैयार करें और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के साथ समझौता ज्ञापन निष्पादित करें। नाबार्ड ने जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों और प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के लिए एक मॉडल समझौता ज्ञापन जारी किया था जिसमें व्यवहार्यता कार्य योजना दी गई थी। इस पर प्राप्त प्रति सूचना से पता चलता है कि अनेक राज्यों में जमीनी स्तर की सहकारी संस्थाओं ने इस पर कार्य शुरू कर दिया है। दूसरा, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (स स पर यथा लागू) की धारा II(1) का अनुपालन न करने वाले जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों पर विशेष ध्यान दिया गया। तदनुसार, क्षेत्रीय कार्यालयों को सूचित किया गया कि ऐसे कुछ बैंकों को चुने जिनपर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सस पर यथा लागू) की धारा II(1) के अनुपालन की दृष्टि से संस्थागत विकासात्मक प्रयासों के माध्यम से ध्यान केंद्रित किया जाए ताकि वे तीन से पांच वर्ष की अवधि के भीतर अपनी स्थिति सुधार सकें।

6. ग्रामीण सहकारी बैंकिंग क्षेत्र का पुनरुज्जीवन

4.135 सहकारी बैंकों में अनेक प्रकार की कमज़ोरताएं दिखती हैं जिनमें उभरते हुए वित्तीय बाजार में वाणिज्य बैंकों के साथ प्रभावी प्रतिस्पर्धा करने की उनकी योग्यता प्रभावित होती है। इन कमज़ोरताओं में कमज़ोर संसाधन आधार, उच्चतर वित्तीय एजेंसियों पर निर्भरता, कारोबारीय विविधता और वसूली में कमी, भारी संचित हानि, व्यवसायिकता और कार्य कुशल स्टाफ की कमी, कमज़ोर एम आइ एस कमजोर आंतरिक निगरानी और नियंत्रण प्रणाली शामिल है। कृषि ऋण में सहकारी बैंकों का हिस्सा 1992-93 के 62 प्रतिशत से कम होकर 2002-03 में 34 प्रतिशत रह गया। सहकारी बैंकों की वित्तीय स्थिति भी खराब हो गई। 31 मार्च 2005 की स्थिति के अनुसार, 31 राज्य सहकारी बैंकों में से छह, 367 जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों में से उनासी, 108,779 प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों में से इकसठ हजार तीन सौ तेईस, 20 राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों में से नौ और 693 सूचनादाता प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों में से 465 को हानि हुई। अल्पावधि सहकारी ऋण ढांचे में 31 मार्च 2005 को कुल अनुमानित हानि लगभग 10,000 करोड़ रुपए थी और दीर्घावधि सहकारी ऋण ढांचे में लगभग 4,000 करोड़ रुपए थी। देश में सहकारी ऋण ढांचे को मज़बूत करने की चिंता को कारण भारत सरकार ने ग्रामीण सहकारिता के पुनरुज्जीवन के लिए व्यवहार्य और कार्यान्वयन योग्य कार्य योजना तैयार करने के लिए अगस्त 2004 में ग्रामीण सहकारी ऋण संस्थाओं के पुनरुज्जीवन पर कार्य दल (अध्यक्षः प्रो. ए. वैद्यनाथन) का गठन किया।

4.136 उक्त कार्य दल ने भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट फरवरी 2005 में प्रस्तुत की और ऋण सहकारिता को वास्तव में लोकतांत्रिक, स्वायत्त, सक्रिय, सदस्यता-प्रेरित, व्यावसायिक रूप में प्रबंधित और वित्तीय रूप से मज़बूत बनाने की दृष्टि से आवश्यक सुधारों के साथ वित्तीय पैकेज की सिफारिश की।

बॉक्स IV.7 : अल्पावधि सहकारी ऋण ढांचे के लिए पुनरुज्जीवन पैकेज

अल्पावधि सहकारी ऋण ढांचे के पुनरुज्जीवन पैकेज में अल्पावधि सहकारी ऋण संस्थाओं के लिए कुल 13,596 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता का प्रावधान प्रस्तावित हे जिसमें भारत सरकार, राज्य सरकारों और सहकारी ऋण ढांचे के यूनिटों का सहभाग होगा जिसके लिए राज्य सरकारों को कुछ विधिक और संस्थागत सुधार करने होंगे। उक्त सहायता निम्नलिखित के लिए उपलब्ध होगी: (i) संचित हानि की समाप्ति; (ii) राज्य सरकारों द्वारा दी गई उन गारंटियों को कवर करने जो भुगतान हेतु प्रयोग में लाई गई हैं किंतु जिनका भुगतान नहीं हुआ है; (iii) जोखिम भारित आस्तियों के प्रति अनुपात का सात प्रतिशत का न्यूनतम स्तर प्राप्त करने के लिए पूंजी बढ़ाना; और (iv) तकनीकी सहायता (विशेष लेखा परीक्षा, मानव संसाधन विकास और कंप्यूटरीकरण)।

कार्य दल ने वित्तीय सहायता के लिए निम्नलिखित हिस्सेदारी फार्मूला बतलाया।

- *भारत सरकार :* भारत सरकार निम्न मदों को कवर करने के लिए अनुदान के रूप में अपना हिस्सा उपलब्ध कराएगी :
  - (i) निम्नवत् से संबंधित संचित हानि : (क) प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के सभी ऋण कारोबार और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों/ राज्य सहकारी बैंकों के कृषि ओर ऋण कारोबार, (ख) जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों / राज्य सहकारी बैंकों के कृषेतर ऋण कारोबार का मुख्य भाग और (ग) प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के ऋणेतर कारोबार का 50 प्रतिशत;
  - (ii) मानव संसाधन विकास, विशेष लेखापरीक्षा की लागत;
  - (iii) विशेष लेखा परीक्षा
  - (iv) सॉफ्टवेयर सहित कंप्यूटरीकरण; और
  - (v) कार्यान्वयन लागत।
- *राज्य सरकार :* राज्य सरकारों से निम्न बातें अपेक्षित हैं :
  - (i) निम्न से संबंधित संचित हानि (क) जिला मध्यवर्ति सहकारी बैंकों / राज्य सहकारी बैंकों के कृषेतर ऋण कारोबार का छोटा हिस्सा, और (ख) प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के ऋणेतर कारोबार का 50 प्रतिशत;
  - (ii) भुगतान हेतु प्रयोग की गई और भुगतान न हुई गारंटियों का 100 प्रतिशत और राज्य सरकारों से अन्य प्राप्तियां।
- *सहकारी ऋण समिति यूनिट :* राज्य सहकारी बैंकों / जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को कृषेतर ऋण से संबंधित संचित हानि का बहुत छोटा हिस्सा वहन करना होगा। आवश्यक हो तो, राज्य सरकारों / सहकारी ऋण समिति यूनिटों को उनके हिस्से की पूर्ति के लिए भारत सरकार द्वारा कम ब्याज वाले ऋण उपलब्ध कराए जाएंगे।
- हिस्सेदारी का स्वरूप हानि के उद्गम पर आधारित होगा। भारत सरकार, राज्य सरकार और सहकारी ऋण समिती यूनिटों का सामान्य हिस्सा लगभग 68:28:04 के अनुपात में है, तथापि हिस्सा ऋण संविभाग के स्वरूप और प्रत्येक सहकारी ऋण समिति यूनिट में संचित हानि, राज्य सरकारों द्वारा जारी गारंटियों के विस्तार और राज्य सरकारों से प्राप्य अन्य मदों की राशियों पर निर्भर होगी। तथापि, विशेष लेखा परीक्षा करने पर ही इसे अंतिम रूप दिया जाएगा।

वित्तीय पैकेज के अंतर्गत वित्तीय सहायता का जारीकरन अंतिम सीमा तक का होगा और विधिक, संस्थागत और विनियामक सुधारों के संबंध में पूर्व परिभाषित सीमा की प्राप्ति से संबद्ध होगा, अतः एक अवधि के बाद समाप्त हो जाएगा।

4.137 केंद्र सरकार ने उक्त कार्य दल की सिफारिशें सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लीं। कार्य दल की सिफारिशों पर राज्य सरकारों के साथ गहन चर्चा करके बनी सहमति के आधार पर भारत सरकार ने अल्पावधि सहकारी ऋण ढांचे के लिए एक पुनरुज्जीवन पैकेज अनुमोदित किया (बॉक्स IV.7)।

4.138 कार्य दल ने ऋण सहकारिता में राज्य सरकारों की भूमिका पुनर्परिभाषित करने की आवश्यकता इंगित की और राज्य सहकारी समितियां अधिनियम तथा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 में उचित संशोधन की सिफारिश की (बॉक्स IV.8)। यह पुनर्जीवन पैकेज के अंतर्गत अनुपालन की जाने वाली शर्तों का महत्वपूर्ण भाग बना है।

4.139 कार्य दल ने मॉडल सहकारिता कानून का सूझाव दिया था जो राज्य सरकारों द्वारा अधिनियमन किया जाना था। उक्त दल ने यह भी सुझाव दिया था कि जिन राज्यों में पुराना सहकारी समितियां अधिनियम और साथ ही मॉडल अधिनियम के आधार का नया अधिनियम था, वहां यह बेहतर होगा कि क्रमिक रुपांतरण के साथ एक ही अधिनियम प्रचलित रखा जाए ताकि दुविधा और कानूनी समस्याएं कम हो जाएंगी।

अल्पावधि सहकारी ऋण समितियों के पुनरुज्जीवन के चालू प्रभाव

4.140 भारत सरकार द्वारा अनुमोदित पुनरुज्जीवन पैकेज के अनुसार योजना के कार्यान्वयन के लिए नाबार्ड को कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है। इस प्रयोजनार्थ नाबार्ड में सहकारिता पुनरुज्जीवन और सुधार विभाग बनाया गया है। इस पुनरुज्जीवन पैकेज के कार्यान्वयन के लिए नाबार्ड राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर कर्तव्यनिष्ठ मानव शक्ति उपलब्ध कराता है।

4.141 राष्ट्रीय स्तर पर इस योजना के कार्यान्वयन का मार्गदर्शन और निगरानी भारत सरकार द्वारा गठित राष्ट्र स्तरीय कार्यान्वयन निगरानी समिति द्वारा की जाएगी। कार्यान्वयन का मार्गदर्शन और निगरानी करने के लिए राज्य और जिला स्तर पर ऐसी ही समितियों का गठन किया जाएगा। तदनुसार, अप्रैल 2006 में भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने राष्ट्रीय कार्यान्वय और निगरानी समिति का गठन किया जिसके अध्यक्ष रिज़र्व बैंक के गवर्नर हैं और सदस्य भारत सरकार, रिज़र्व बैंक, नाबार्ड, सहभागी होने वाले राज्य सरकारों से हैं और दो प्रमुख सहयोजकों का चुनाव भारत सरकार द्वारा किया जाता है। समिति के अध्यक्ष को प्राप्त अधिकारों के अनुसार, यदि

बॉक्स IV.8 : राज्य सहकारी समितियाँ अधिनियम और बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 में संशोधन - कार्य बल की सिफारिशें

क. राज्य सहकारी समितियाँ अधिनियम

- सहकारी बैंकों से इतर सहकारी संस्थाओं में जमाकर्ताओं सहित वित्तीय सेवाओं के सभी उपयोगकर्ताओं को पूर्ण मतदान सदस्यता अधिकार सुनिश्चित करना।
- सहकारी संस्थाओं में सभी वित्तीय और आंतरिक प्रशासनिक मामलों में राज्य का हस्तक्षेप समाप्त करना।
- सहकारी संस्थाओं में सरकारी इक्विटी पर 25 प्रतिशत की उच्चतम सीमा रखना और सहकारी बैंकों के बोर्ड में सहभागिता को मात्र एक नामिती तक सीमित करना। कोई भी राज्य सरकार या सहकारी संस्था सरकारी इक्विटी को और भी कम करना चाहे तो उन्हें इसकी अनुमति होगी और किसी सहकारी संस्था को ऐसा करने से रोका नहीं जाएगा।
- सहकारी समितियाँ अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत सहकारी संस्थाओं को समानांतर अधिनियम (जहां अधिनियमित हो) में अंतरित होने की अनुमति देना।
- वित्तीय मसलों पर प्रतिबंधात्मक आदेशों का वापस लेना।
- सहकारी संस्थाओं को मात्र उच्च स्तर से ऋण लेने के बजाय तीन में से किसी भी स्तर की वित्तीय संस्था से ऋण लेने और उसी प्रकार उनकी जमाराशि उनकी पसंद की किसी भी विनियमित वित्तीय संस्था में रखने की अनुमति देना।
- समानांतर अधिनियमों (जहां अधिनियमित हो) के अंतर्गत की सहकारी संस्थाओं को विद्यमान सहकारी समितियाँ अधिनियम के अंतर्गत उच्च-स्तर की संस्था में सदस्य बनने या इसके विपरित की अनुमति देना।
- राज्य सरकार के बोर्ड अधिक्रमण के अधिकार सीमित करना।
- विद्यमान बोर्डों की कार्य अवधि समाप्त होने से पहले समय पर चुनाव सुनिश्चित करना।
- सहकारी बैंकों के मामले में रिज़र्व बैंक के अधिकार सुगम बनाना।
- प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों सहित सभी वित्तीय सहकारी संस्था के लिए जोखिम भारित आस्तियों के प्रति अनुपात सहित विवेक सम्मत मानदंड।

ख. बैंककारी विनियमन अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन

- विनियामक मानदंडों के संबंध में सभी सहकारी बैंकों का वाणिज्य बैंकों के स्तर पर होना चाहिए।
- रिज़र्व बैंक सहकारी बैंकों के बोर्ड के चुनाव के लिए 'सक्षम और उचितट मानदंड निर्धारित करेगा। तथापि, ऐसा मानदंड प्राथमिक सहकारी संस्थाओं की सदस्यता के स्वरूप से भिन्न नहीं होगा जिसमें जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों और राज्य सहकारी बैंकों के सदस्य होते हैं।
- तथापि, वित्तीय संस्थाओं के अनुरूप, इन बोर्डों के लिए बोर्ड स्तर पर न्यूनतम सहयोग आवश्यक होगा। इस प्रकार, रिज़र्व बैंक व्यावसायिकों को सहकारी बैंकों के बोर्ड पर आने के लिए कुछ मानदंड तय करेगा। यदि ऐसी व्यावसायिक पात्रता या अनुभव वाले सदस्य सामान्य चुनाव प्रक्रिया के माध्यम से चुनाव नहीं जीत पाते हैं तो बोर्ड में ऐसे व्यावसायिकों को सहयोजित करना आवश्यक होगा और उन्हें मतदान का पूरा अधिकार होगा।
- सहकारी बैंकों के मुख्य कार्यपालक अधिकारी संबंधित बैंकों द्वारा ही नियुक्त किए जाएंगे, न कि राज्य द्वारा। तथापि, चूंकि ये बैंकिंग संस्थाएं हैं, अतः रिज़र्व बैंक नियुक्त किए जाने वाले मुख्य कार्यपालक अधिकारी के लिए न्यूनतम पात्रता मानदंड निर्धारित करेगा और सहकारी बैंकों द्वारा मुख्य कार्यपालक अधिकारी की नियुक्ति हेतु प्रस्तावित नाम के लिए रिजर्व बैंक का अनुमोदन आवश्यक होगा।
- रिज़र्व बेंक द्वारा यथा अनुमोदित सहकारी बैंकों से भिन्न सहकारी संस्थाएं मतदान का अधिकार न होने वाले सदस्यों से जमाराशि स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसी सहकारी संस्थाएं उनके पंजीकृत नाम में 'बैंक', 'बैंकिंग', 'बैंकर' या 'बैंक' शब्द से उत्पन्न कोई भी रुप नहीं लगाएंगे।

आवश्यक हो तो वे अल्पावधि सहकारी ऋण ढांचे के लिए पुनरुज्जीवन पैकेज के कार्यान्वयन और निगरानी के लिए उप समिति / समूह का गठन कर सकते हैं जिसमें गैर सरकारी विशेषज्ञों / बैंकों / नाबार्ड / रिज़र्व बैंक के प्रतिनिधियों का सहयोजित किया जा सकता है। राष्ट्र स्तरीय कार्यान्वयन निगरानी समिति की पहली बैठक 30 मई 2006 को हुई। इस प्रयोजनार्थ वैसी ही राज्य और जिला स्तरीय समितियों का गठन किया जा रहा है।

4.142 किसी भी राज्य में पुनरुज्जीवन पैकेज के कार्यान्वयन की प्रक्रिया भारत सरकार, सहभागी राज्य और नाबार्ड के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के होने के बाद शुरू होती है (बॉक्स IV.9)। राज्य स्तरीय कार्यान्वयन निगरानी समिति द्वारा बनाया गया समझौता ज्ञापन का ड्राफ्ट राज्यों को भेजा गया था। परिणाम स्वरूप, आंध्र प्रदेश सरकार ने भारत सरकार और नाबार्ड के साथ समझौता ज्ञापन पर 29 अगस्त 2006 को हस्ताक्षर किए।

4.143 अगला कदम प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों, जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों और किसी राज्य के राज्य सहकारी बैंक की संचित हानि की सही राशि का पता लगाने के लिए विशेष लेखापरीक्षा करने के रूप में होगा। इस कार्य को सरल बनाने के लिए नाबार्ड ने विशेष फार्मेट, मैनुअल और बार-बार पूछे जाने वाले प्रश्न तैयार किए हैं। ये विशेष लेखा परीक्षाएं राज्य के सहकारी लेखा परीक्षा विभाग के कार्मिकों द्वारा या चुनिंदा बाहरी लेखा परीक्षक करेंगे। इन दो में से किसी भी मामले में उक्त कार्य की समीक्षा जांच सनदी लेखाकरों के सेट द्वारा करवाई जाएगी जो अपनी रिपोर्ट प्रत्येक जिले में कार्यान्वयन के मार्गदर्शन और निगरानी के लिए गठित जिला स्तरीय कार्यान्वयन और निगरानी समिति को देंगे। प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों की 31 मार्च 2004 की विशेष लेखा परीक्षा करने की प्रारंभिक व्यवस्था राज्य सरकारों के माध्यम से की गई थी। कार्य बल को प्रशिक्षण दिया गया और मुख्य प्रशिक्षकों को महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान,

बॉक्स IV.9 : समझौता ज्ञापन

भारत सरकार द्वारा अनुमोदित अल्पावधि ग्रामीण सहकारी ऋण ढांचे के पुनरुज्जीवन पैकेज में निश्चित किया गया है कि कार्यान्वयन प्रक्रिया के पहले कदम के रूप में सहभागी राज्यों, नाबार्ड और भारत सरकार के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाने चाहिए। समझौता ज्ञापन में निम्नलिखित रूपरेखा दी गई है :

उद्देश्य

- ग्रामीण क्षेत्रों में जमीनी स्तर पर बचत और ऋण उत्पादों सहित वित्तीय सेवाओं की प्रभावी सुपुर्दगी जो न्यूनतम विनियामक भार के साथ सहकारी ऋण ढांचे के माध्यम से होगी।
- सहकारी बैंकिंग प्रणाली द्वारा स्वीकृत जनता की जमाराशि की सुरक्षा सुनिश्चित करना।

स्वरूप के सिद्धांत

- समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित करके और विधान में आवश्यक परिवर्तन करके दर्शाए गए सुधारों की ओर लक्षित आधार पर उक्त पैकेज के अंतर्गत वित्तीय राहत देना।
- उद्देश्यों से समझौता किए बिना राज्य विशेष के इश्यू के निभाव में लोच।
- अच्छे निष्पादन को प्रोत्साहन देना और बुरे निष्पादन को हतोत्साहित करना।
- किसी विशेष पहलू का अर्थ लगाने का कोई मामला हो तो वह राज्य स्तरीय कार्यान्वयन निगरानी समिति को भेजा जाएगा जिसका निर्णय अंतिम होगा।

इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए और उस सिद्धांतों से मार्गदर्शन लेते हुए यह आवश्यक है कि सहकारी ऋण संस्थाएं निम्नलिखित मानदंडों का पालन करें :

- वे लोकतांत्रिक, सुसंचालित, व्यावसायिक रूप से प्रबंधित और लेखा परीक्षित हों।
- उन्हें संसाधन जुटाने, निधि-विनियोजन और उनसे संबंधित अन्य परिचालनगत मामलों में स्वायत्तता हो।
- वे वित्तीय कार्य प्रमुख कारोबार के रुप में करते हो और यदि अन्य गतिविधियां भी की जाती हैं तो उनका अलग खाता रखा जाता है और उसके लिए अलग निधि दी जाती है।
- राज्य सहकारी बैंकों और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों का विनियमन जनता से जमाराशि स्वीकारने वाली अन्य संस्थाओं जैसा ही किया जाए।

इसके अलावा, समझौता ज्ञापन में हस्ताक्षरकर्ता पक्षों की भूमिका और दायित्व तथा पैकेज की महत्वपूर्ण शर्तें भी निर्धारित की गई हैं।

गुजरात, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में प्रशिक्षण दिया गया जो विशेष लेखा परीक्षा करने के लिए निर्धारित किए गए लेखा परीक्षकों को प्रशिक्षण देंगे।

4.144 सात राज्यों, यथा आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, सिक्कीम और दादरा तथा नगर हवेली के केंद्र शासित प्रदेश ने पुनरुज्जीवन पैकेज की सैद्धांतिक स्वीकृति से भारत सरकार को अवगत कराया है। पुनरुज्जीवन पैकेज के कार्यान्वयन के लिए इन राज्यों में कार्रवाई प्रारंभ की गई है (सारणी IV.41)।

सुधार के अन्य उपाय

4.145 अन्य अनेक उपायों पर भी विचार किया जा रहा है। पहला, समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करनेवाले राज्य पुनरुज्जीवन पैकेज में दी गई रूपरेखा के अनुसार संस्थागत और कानूनी सुधार लागू करने

सारणी IV.41: पुनरूज्जीवन पैकेज के कार्यान्वयन की राज्यवार स्थिति

राज्य का नाम	कार्यान्वयन की स्थिति
1	2
आंध्र प्रदेश	राज्य सरकार ने 29 अगस्त 2006 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। विशेष लेखा परीक्षा के लिए मुख्य प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण अगस्त 2006 में पूरा हुआ।
गुजरात	भारत सरकार को सैद्धांतिक स्वीकृति की सूचना दी गई। विशेष लेखा परीक्षा के लिए मुख्य प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण जुलाई 2006 में पूरा हुआ।
महाराष्ट्र	भारत सरकार को सैद्धांतिक स्वीकृति की सूचना दी गई। विशेष लेखा परीक्षा के लिए मुख्य प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण जुलाई 2006 में पूरा हुआ।
मध्य प्रदेश	भारत सरकार को सैद्धांतिक स्वीकृति की सूचना दी गई। विशेष लेखा परीक्षा के लिए मुख्य प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण अगस्त 2006 में पूरा हुआ।
उड़ीसा	भारत सरकार को सैद्धांतिक स्वीकृति की सूचना दी गई। विशेष लेखा परीक्षा के लिए मुख्य प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण अगस्त 2006 में पूरा हुआ।
राजस्थान	भारत सरकार को सैद्धांतिक स्वीकृति की सूचना दी गई। विशेष लेखा परीक्षा के लिए मुख्य प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण जुलाई 2006 में पूरा हुआ।
सिक्कीम	भारत सरकार को सैद्धांतिक स्वीकृति की सूचना दी गई। राज्य में बहु उद्देशीय सहकारी समितियों के तुलन पत्र में कोई संचित हानि नहीं है, अतः राज्य सरकार ने गहन मानव संसाधन विकास और कंप्यूटरीकरण हेतु प्रयास करने की सूचना दी है।

के लिए राज्य सहकारी समितियां अधिनियम में संशोधन करेगी और यथा समय आवश्यक विधान अधिनियमित करेगा। दूसरा, नाबार्ड अधिनियम के अंतर्गत कुछ प्रावधान किए जा रहे हैं ताकि नाबार्ड का पुनर्वित्त सहकारी संस्थाओं के लिए किसी भी स्तर पर प्रत्यक्ष या केंद्रीय सहकारी संस्था या किसी विनियमित वित्तीय संस्था के माध्यम से उपलबध हो जाए। तीसरा, रिज़र्व बेंक सहकारी बैंकों के बोर्ड के चुनाव के लिए 'सक्षम और उचित' मानदंड निर्धारित करेगा और साथ ही इन बैंकों के बोर्ड के व्यावसायीकरण के लिए भी मानदंड निर्धारित करेगा। रिज़र्व बैंक जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों और राज्य सहकारी बैंकों के मुख्य कार्यापालक अधिकारियों के लिए भी न्यूनतम योग्यता निर्धारित करेगा। चौथा, अल्पावधि सहकारी ऋण संस्थाओं के लिए एक सामान्य लेखांकन प्रणाली तैयार की जा रही है जो पारदर्शिता और विवेकसम्मत लेखांकन पद्धति सुनिश्चित करेगी। उक्त प्रणाली को पुनरुज्जीवन पैकेज के एक भाग के रुप में कंप्यूटरीकृत किया जाएगा और वह आंतरिक नियंत्रण तथा प्रबंधन निर्णयों के लिए आवश्यक एम आइ एस उत्पन्न करेगा और साथ ही अन्य संबंधित एजेंसियों की आवश्यकताएं भी पूरी करेगा। पांच, सहकारी ऋण संस्थाओं के चुने हुए निदेशकों और स्टाफ के प्रशिक्षणके लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल की रूपरेखा बनाई जा रही है। इस प्रयोजन से राष्ट्रीय बैंक स्टाफ महाविद्यालय, लखनऊ में एक निष्ठावान कार्य दल का गठन किया जा रहा है। छह, नाबार्ड ने भारत सरकार से पुनरुज्जीवन पैकेज के कार्यान्वयन की पहली किस्त के रूप में 400 करोड़ रुपए की राशि जारी करने का अनुरोध किया। भारत सरकार भी इस पैकेज के निधीयन के लिए द्वीपक्षीय और बहुपक्षीय एजेंसियों से चर्चा कर रही है।

दीर्घावधि सहकारी ऋण ढांचे का पुनरुज्जीवन

4.146 दीर्घावधि ढांचा लगभग पूरी तरह नाबार्ड के पुनर्वित्त पर निर्भर है। इन संस्थाओं की ग्रामीण क्षेत्रो ंमें मज़बूत उपस्थिति है और कृषि में निजी पूंजी निर्माण में मुख्यतः इन्हीं का योगदान रहा है। नाबार्ड ने इन संस्थाओं को बड़ी मात्रा में राशि दी है। यद्यपि राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों को प्रदान किए गए सभी ऋण सरकारी प्रतिभूतियों की ज़मानत पर हैं, किंतु उनकी कमज़ोरता की निरंतरता से चिंता उभर रही है।

4.147 भारत सरकार ने कृषि और ग्रामीण विकास हेतु दीर्घावधि सहकारी ऋण ढांचे के अध्ययन का कार्य भी उसी कार्य बल को सौंपा है। कार्य बल ने भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट अगस्त 2006 में प्रस्तुत की (बॉक्स IV.10)।

बॉक्स IV.10 : दीर्घावधि ग्रामीण सहकारी ऋण संस्थाओं के पुनरुज्जीवन पर कार्य बल की सिफारिशें

ग्रामीण सहकारी ऋण संस्थाओं के पुनरूज्जीवन पर कार्य बल (अध्यक्ष : प्रो.ए. वैद्यनाथन) ने ड्राफ्ट रिपोर्ट में निम्नलिखित सिफारिशें कीं:

I. पुनर्पूंजीकरण

- संचित हानि, विशेष लेखा परीक्षा की लागत और अन्य तकनीकी सहायता को कवर करने के लिए 4,839 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी जाए।
- कृषि और संबंधित कार्यों के दीर्घावधि ऋणों में से उत्पन्न सभी हानियों, विशेष लेखा परीक्षा, मानव संसाधन विकास के प्रयासों सहित तकनीकी सहायता की संपूर्ण लागत और कार्यान्वयन लागत भारत सरकार द्वारा वहन की जाएगी।
- राज्य सरकार द्वारा दीर्घावधि सहकारी ऋण समितियों को देय सभी राशियां और कृषेतर ऋणों से उत्पन्न होने वाली हानि का 50 प्रतिशत राज्य सरकारें वहन करेंगी; और
- कृषेतर ऋणों से उत्पन्न हानि का 50 प्रतिशत दीर्घावधि सहकारी ऋण संस्थाएं वहन करेंगी।

II. संस्थागत पुनर्गठन

- प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों को सदस्यों से सभी प्रकार की जमाराशियाँ स्वीकारने, उन्हें सभी प्रकार के ऋण देने और अल्पावधि ग्रामीण सहकारी ऋण ढांचे के केंद्रीय यूनिटों सहित किसी भी विनियमित वित्तीय संस्था से उधार लेने की अनुमति दी जाए;
- राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों को उपयुक्त विनियामक व्यवस्था के अंतर्गत एन बी एफ सी की तर्ज पर जमना से जमाराशि जुटाने की अनुमति दी जाए;
- दीर्घावधि सहकारी ऋण संस्थाओं में संपूर्ण राज्य इक्विटी का उन्मोचन किया जाए;
- एकल स्वरूपीय शाखाओं को स्वायत्त प्राथमिक सहकारी कृषि ओर ग्रामीण विकास बैंकों में रुपांतरित किया जाए;
- प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों को उनकी पसंद की उच्चतम स्तरीय संस्था के साथ जोड़ने की अनुमति दी जाए;
- राज्य सहकारी कृषि ओर ग्रामीण विकास बैंकों ने अपने राज्य में शहरी सहकारी बैंकों के साथ हाथ मिलाना चाहिए और दोनों ही ढांचों में निम्नतर स्तरीय संस्थाओं को सहायक सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए परस्पर स्वीकार्य शर्तों पर उक्त सेवाओं के यूनिट गठित करने चाहिए;
- न्यूनतम 7 प्रतिशत जोखिम भारित आस्तियों के प्रति अनुपात निर्धारित किया जाए और उसे 5 वर्षों में बढ़ाकर 12 प्रतिशत कर दिया जाए।